


16th

ANNUAL REPORT
2020-2021



తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ **तेलंगाना ग्रामीण बैंक**
TELANGANA GRAMEENA BANK
(SPONSORED BY STATE BANK OF INDIA)



Runner-Up among all RRB's for **Best Digital Financial Inclusion Initiatives** from Indian Bank's Association.

SHG disbursement to Women beneficiaries during the Financial Literacy camp at Gannaram Branch. Shri V. Arvind, Chairman, Shri V.S. Mahesh, GM, Shri P. Rajender, RM, Nizamabad and Smt. Neelima, DPM, IKP and SHG members participated in the programme.



Participants in the programme.



प्रेषण पत्र

दिनांक: 13 मई 2021

सेवा में
सचिव
वित्तीय सेवाएं विभाग,
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार,
नई दिल्ली.

प्रिय महोदय,

तेलंगाना ग्रामीण बैंक 16 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार, मैं इसके साथ निम्नलिखित प्रलेख अग्रेषित कर रहा हूँ.

- ◆ 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के दौरान बैंक के कार्य और उसकी गतिविधियों के बारे में निदेशक मंडल की रिपोर्ट.
- ◆ 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र एवं लाभ-हानि लेखे की प्रति.
- ◆ 01.04.2020 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए बैंक के लेखों से संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की प्रति.

भवदीय,

वी.अरविंद

अध्यक्ष



परिदृष्टि, कार्य-लक्ष्य, मान्यताएं

परिदृष्टि

बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में तकनीकी रूप से उन्नत, समर्पित तथा गुणात्मक सेवाएं प्रदान करते हुए तेलंगाना राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बनना तथा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अत्यंत विश्वसनीय बैंक के रूप में उभरना

कार्य-लक्ष्य

“शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करते हुए, ग्रामीण ग्राहकों को सशक्त बनाते हुए, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी), विशेषकर महिलाओं को, प्रोन्नत करते हुए समुचित दरों पर पारदर्शी और दक्ष बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करना तथा स्वस्थ-कारोबार सम्मिश्रण के साथ निरंतर लाभार्जन करना तथा इस प्रकार अपने परिचालन के क्षेत्र में अग्रणी बैंक बनना

मान्यताएं

- ग्रामीण विकास के लिए वचनबद्धता
- पारदर्शिता
- ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता
- टीम भावना

क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय

तेलंगाना राज्य के क्षेत्र :

आदिलाबाद

क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय,
सरस्वती भवन, गाँधी पार्क के पास,
आदिलाबाद - 504 002
दूरभाष : 08732-226574, फ़ैक्स : 08732-225250
rmadb@tgbhyd.in

निजामाबाद

क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय,
मकान संख्या 5-4-60/1,
किशन दास कंपाउंड, खलीलवाडी,
निजामाबाद - 503 002
दूरभाष : 08462-227147
rmnzb@tgbhyd.in

मंचेरियाल

क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय,
मकान संख्या 4-56,
जन्मभूमि नगर, मंचेरियाल
दूरभाष / फ़ैक्स : 08736-255516
rmmncl@tgbhyd.in

जगित्याल

क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय,
मकान संख्या 3-6-92, करीमनगर रोड,
बाम्बे क्लथ शो रूम के सामने,
जगित्याल शहर, जगित्याल जिला - 505 327
दूरभाष : 08724-2253601
rmjgl@tgbhyd.in

करीमनगर

क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय,
मकान संख्या 2-8-128 वार्ड नं :2,
सेवन हिल्स के पास, मुखरमपुरा,
करीमनगर - 505 002
दूरभाष : 0878-2249275, फ़ैक्स : 0878-2242794
rmknr@tgbhyd.in

हैदराबाद - I

क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय,
मकान संख्या 9-27/1, ललिता नगर,
दिलसुखनगर,
हैदराबाद - 500 060
फ़ैक्स : 040-24065129
rmhyd@tgbhyd.in

हैदराबाद - II

क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय,
मकान संख्या 2-1-520, तीसरी मंजिल,
मार्ग संख्या 9, शंकर मठ रोड,
नल्लकुंटा, हैदराबाद - 500 044
फ़ैक्स : 040-27608545
rmhyd2@tgbhyd.in

निदेशक मंडल
31-03-2021 की स्थिति के अनुसार




श्री वी अरविंद
अध्यक्ष
(महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक से प्रतिनियुक्ति पर)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(a) के अंतर्गत भारत सरकार के नामिती निदेशक



रिक्त



रिक्त

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(b) के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती निदेशक



श्री मनभंजन मिश्रा
सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय रिजर्व बैंक,
हैदराबाद

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(c) के अंतर्गत नायार्ड के नामिती निदेशक



श्री जी. संतानम
उप महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय,
तेलंगाना राज्य, नायार्ड,
हैदराबाद

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(d) के अंतर्गत प्रायोगिक बैंक के नामिती निदेशक



श्री पी एम पात्रो
उप महाप्रबंधक
(ए एण्ड एस-आरआरबी)
एसबीआई, मुंबई



श्री प्रफुल्ल कुमार जेना
उप महाप्रबंधक (एफआईएमएम)
एसबीआई, स्थानीय प्रधान कार्यालय,
हैदराबाद

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 9(1)(e) के अंतर्गत राज्य सरकार के नामिती निदेशक



श्री रावी रवि
अपर सचिव, वित्त विभाग,
तेलंगाना राज्य सरकार



डॉ. वी जनार्दन रेड्डी, आईएस
सचिव राज्य सरकार (तेलंगाना) &
कृषि आयुक्त,
तेलंगाना राज्य सरकार

शीर्ष प्रबंधन



श्री वी अरविंद
अध्यक्ष



श्री सी मुरली मोहन
महा प्रबंधक -I



श्री एस सतीश कुमार
महा प्रबंधक -II



श्री नाग श्रीनिवास सीएच
महा प्रबंधक -III



श्री डी वी सुब्बा राव
महा प्रबंधक - (सीवीओ)



श्री वी एस महेश
महा प्रबंधक - (आईटी)

क्षेत्रीय प्रबंधक

श्री के रघुनन्दन रेड्डी
क्षेत्रीय प्रबंधक
आदिलाबाद

श्री एम वेंकटेश्वरलु
क्षेत्रीय प्रबंधक
करीमनगर

श्री पी राजेंद्र
क्षेत्रीय प्रबंधक
निजामाबाद

श्री डी राममोहन राव
क्षेत्रीय प्रबंधक
हैदराबाद -I

श्री सी रमना मूर्ति
क्षेत्रीय प्रबंधक
मंचेरियाल

श्री के लक्ष्म्या
क्षेत्रीय प्रबंधक
हैदराबाद -II

श्री एस रवींद्र रेड्डी
क्षेत्रीय प्रबंधक
जगित्याल

सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक

मेसर्स सागर & एसोसिएट्स,
बंगारा हिल्स, हैदराबाद.

हमारे परामर्शक



श्री दिनेश कुमार खारा

अध्यक्ष
भारतीय स्टेट बैंक,



श्री अश्विनी कुमार तेवारी

प्रबंध निदेशक
भारतीय स्टेट बैंक,



श्री देवेंद्र कुमार

मुख्य महा प्रबंधक (ए & एस)
भारतीय स्टेट बैंक,

हमारे विनियामक और पर्यवेक्षक



श्रीमती के निखिला

क्षेत्रीय निदेशक
आरबीआई, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद



श्री वाई के राव

मुख्य महा प्रबंधक
नाबार्ड, टीएसआरओ, हैदराबाद



बैंक का कार्य निष्पादन एक दृष्टि में 2020-21

I. विशेषताएं	(रूपये करोड़ों में)	
	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
शाखाएं	424	421
जमाराशियाँ	10109.15	8992.31
अग्रिम	10103.76	8487.97
कुल व्यवसाय	20212.91	17480.28
सकल लाभ	397.09	267.88
सकल एनपीए	227.63	176.33
कुल अग्रिमों में सकल एनपीए	2.25%	2.08%
कुल अग्रिमों में निवल एनपीए	0.23%	0.41%
जमाराशियों की औसत लागत	5.16%	5.80%
अग्रिमों पर औसत प्रतिफल	10.40%	10.59%
निवेशों पर औसत आय	6.93%	7.77%
कृषि क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिम	67.99%	75.93%
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम	82.37%	86.06%
ऋण जमा अनुपात	99.95%	94.39%
स्वाधिकृत निधियाँ	1161.51	867.55
उत्पादकता		
क) प्रति शाखा	47.67	41.52
ख) प्रति कर्मचारी	11.68	9.97
आस्तियों पर प्रतिफल	1.94%	1.36%
ईक्विटी पर प्रतिफल	29.74%	21.97%
प्रतिकर्मचारी निवल लाभ	16.99 लाख	9.76 लाख
निवल ब्याज मार्जिन	4.06%	3.68%
पूँजी पर्याप्तता अनुपात	12.55%	11.63%
प्रावधान कवरेज अनुपात	90.03%	81%
निधियों की लागत	4.72%	5.44%



अध्यक्ष का संदेश

में लगातार चतुर्थ वित्तीय वर्ष की वित्तीय विवरणों के साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ।

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने व्यवसाय के लक्ष्य रु 20,000 करोड़ को पार कर लिया है और यह वित्तीय वर्ष 2019-20 के रु. 17480.28 करोड़ में 15.63% की वृद्धि के साथ रु. 2732.63 करोड़ बढ़कर रु. 20212.91 करोड़ रहा।

बैंक की कुल जमा राशियाँ 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार रु. 8992.31 करोड़ की तुलना में 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार रु. 10109.15 करोड़ रहीं और इनमें रु. 1116.84 करोड़ की वृद्धि रिकॉर्ड की गई। कासा जमा राशियाँ 12.20% की दर पर रु. 418.53 करोड़ तक बढ़े और 31-03-2020 की स्थिति पर रु. 3429.88 करोड़ की तुलना में रु. 3848.41 करोड़ हो गए।

बैंक के अग्रिम 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार 19.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करके रु. 8487.97 करोड़ से बढ़कर 31.03.2021 को रु 10103.76 करोड़ हो गए।

कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए लघु एवं सीमांत किसानों तथा समाज के कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए सभी किसानों को ऋण सहायता इस वर्ष भी

जारी रही, ताकि वे आधुनिक प्रौद्योगिकी और बेहतर कृषि पद्धतियों को अपना सकें। वित्तीय वर्ष के दौरान फसल ऋण, एसएचजी तथा खुदरा उत्पाद जैसे कि आवास ऋण आदि पर जोर रहा। बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में रु. 1017.74 की वृद्धि दर्ज की है।

बैंक के आवास ऋण संविभाग वित्त वर्ष 2019-20 में रु. 814.98 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में रु. 987.64 करोड़ हो गया। इसमें 21.18% की वृद्धि हुई (सकल वृद्धि रु. 239.64 करोड़)। वैयक्तिक स्वर्ण ऋण वित्त वर्ष 2019-20 में रु. 510.66 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 में रु. 966.11 करोड़ हो गए और इसमें 89.18% की वृद्धि हुई (रु. 455.45 करोड़ की सकल वृद्धि)। बैंक एनपीए रु. 227.63 करोड़ (सकल) रहा, जो 31-03-2021 की समापन की तिथि पर कुल अग्रिमों का 2.25% है। निवल एनपीए 31-03-2020 की स्थिति के अनुसार 0.41% से घटकर 31-03-2021 की स्थिति पर 0.23% रहा। बैंक ने एनपीए को कम करने के लिए उचित कार्यनीति अपनाई। इनके लिए बैंक की समग्र संवृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए हमारे परिचालन पदाधिकारियों की ओर से सुविचारित प्रयासों और संकेंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। बैंक की अनर्जक



आस्तियाँ 31-03-2020 की स्थिति के अनुसार रु.176.33 करोड़ से रु.51.30 करोड़ तक बढ़कर 31-03-2021 को रु.227.63 करोड़ हो गई। बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रु.267.88 करोड़ की तुलना में 48.23% की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रु.397.09 करोड़ सकल लाभ दर्ज किया। जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) 9% के सूचक स्तर की तुलना में 12.55% रहा, जो बैंक की सुदृढ़ता को दर्शाता है।

वर्ष के दौरान बैंक का प्रति शाखा व्यवसाय गत वर्ष में रु. 41.52 करोड़ से बढ़कर रु. 47.67 करोड़ हो गया। प्रति कर्मचारी व्यवसाय वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान रु.9.97 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान रु.11.68 करोड़ हो गया।

बैंक की जमाराशियों की लागत 31-03-2021 की स्थिति पर समझौता ज्ञापन लक्ष्य 5.45% से नीचे 5.16% रही।

बैंक का निवल ब्याज मार्जिन समझौता लक्ष्य 3.70% के ऊपर की तुलना में 31-03-2021 की स्थिति के अनुसार 4.06% पर रहा। बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात समझौता ज्ञापन लक्ष्य 83.00% की तुलना में 31-03-2021 की स्थिति पर 90.03% रहा। बैंक की निधियों की लागत 31-03-2020 की स्थिति के अनुसार 5.44% के स्तर की तुलना में 31-03-2021 की स्थिति के अनुसार 4.72% पर रही।

ग्रीन चैनल के अधीन ग्रीन बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने नाबार्ड की सहायता से अपनी शाखाओं में 461 माइक्रो एटीएम लगाए हैं।

बैंक ने नकदी रहित लेनदेनों के बारे में ग्राहकों को समर्थ करने और लोगों को डिजिटल लेनदेन करने के लिए उनके स्वभाव को बदलने तथा उन्हें शिक्षित करने हेतु विशेष वित्तीय साक्षरता जागरूकता शिविर (एफएलएसी) लगाए हैं।

हमने अपने श्रण जमा अनुपात को वर्ष 2019-20 के दौरान 94.39% से वर्ष 2020-21 के दौरान 99.95% तक बढ़ाया है।

हम सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों तथा सेवाओं के निरंतर नवोन्मेषण एवं कार्यान्वयन के लिए स्वयं प्रतिबद्ध हैं। मुझे आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बैंक ने पर्याप्त संख्या में आईटी पहलों को प्रारंभ किया है।

बैंक को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अपने कार्य निष्पादन के लिए आईबीए से दो पुरस्कार प्राप्त हुए:

- आरआरबी खंड के अंतर्गत आईटी जोखिम एवं साइबर सुरक्षाबलों में विजेता (विनर)।
- आरआरबी खंड के अंतर्गत सर्वोत्तम डिजिटल वित्तीय समावेशन पहलों में रनरअप।

हमें प्रसन्नता है कि दिनांक 01-02-2021 को श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बिभिन्न डिजिटल उत्पादों के कार्यान्वयन के लिए दिशा मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया। बैंक ने सीकेवाईसी दस्तावेजों की स्कैनिंग के लिए एंड्राइड एप्लीकेशन आरंभ की है।

मैं अपने सभी ग्राहकों, हमारे प्रायोजक बैंक (एसबीआई), नाबार्ड, आरबीआई, भारत सरकार, तेलंगाना सरकार तथा जिला प्रशासन को वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक की प्रगति एवं विकास में उनके द्वारा दी गई मूल्यवान सहायता एवं समर्थन के लिए सभी के प्रति अपनी प्रशंसा अभिव्यक्त करता हूँ।

मैं अपने बोर्ड के निदेशको के प्रति बोर्ड की सभी बैठकों में उनके द्वारा दिए गए मूल्यवान मार्गदर्शन, संपूर्ण सहायता एवं समर्थन के प्रति धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ।

आगे मुझे पूर्ण विश्वास है कि बैंक अपने स्टाफ के सत्य एवं प्रतिबद्ध प्रयासों से नयी बुलंदियों को प्राप्त करेगा और मैं उनकी उत्कृष्ट टीम भावना के प्रति भी अपनी सराहना लेखाबद्ध करना चाहता हूँ।

वी.अरविंद
अध्यक्ष



मुख्य कार्य निष्पादन सूचकांक

भद सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21
ए.	मुख्य कार्य निष्पादन सूचकांक :			
1	कवर किए गए जिलों की संख्या	18	18	18
2	शाखाओं की संख्या	416	421	424
क.	ग्रामीण	304	309	312
ख.	अर्ध - शहरी	66	68	68
ग.	शहरी	33	31	31
घ.	महा नगरीय	13	13	13
	अति सूक्ष्म शाखाएं	436	436	596
3	कुल कर्मचारि (प्रायोजक बैंक के कर्मचारियों को छोड़कर)	1790	1754	1730
	उनमें से, अधिकारी	1182	1158	1129
4	जमाराशियाँ	77117262	89923116	101091507
	वृद्धि प्रतिशत	7.40	16.60	12.42
5	बकाया उधार	33223490	40784422	39344221
	वृद्धि प्रतिशत	87.49	22.76	(-)3.53%
6	बकाया सकल ऋण एवं अग्रिम	70511116	84879749	101037578
	वृद्धि प्रतिशत	19.44	20.38	19.04
	उपर्युक्त 6 में, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण	62379179	73050277	83227767
	उपर्युक्त 6 में, गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण	8131937	11829471	17809811
	उपर्युक्त 6 में, अ.जा./अ.ज.जा को ऋण	22291881	19681419	18691952
	उपर्युक्त 6 में, ल.कृ/म.कृ/कृ. को ऋण	35132840	38356067	41877133
	उपर्युक्त 6 में, अल्प संख्यकों को ऋण	5187400	5922363	6211798
7	ऋण जमा अनुपात %	91.43	94.39	99.95
8	बकाया निवेश	42531472	23455650	33568485
	बकाया एसएलआर निवेश	26393377	22942655	32795506
बी.	बकाया गैर एसएलआर निवेश (टीडीआर सहित)	16138095	25960910	772979
	औसत :			
9	औसत जमाराशियाँ	73962263	82085697	96942557
	वृद्धि प्रतिशत	16.29	10.98	18.10
10	औसत उधार	26151437	34682017	41786516
	वृद्धि प्रतिशत	54.64	32.62	20.48
11	औसत सकल ऋण एवं अग्रिम	63134440	74784647	90130809
	वृद्धि प्रतिशत	19.94	18.45	20.52
12	औसत निवेश	38604012	41231661	51607682
	वृद्धि प्रतिशत	22.00	6.80	25.16
	औसत एसएलआर निवेश	26633556	23621867	29546078
	औसत जमाओं में % के रूप में	36.01	28.78	30.48
	औसत गैर-एसएलआर निवेश	11970695	1221328	876327
	औसत जमाओं में % के रूप में	16.18	1.49	0.90
13	औसत कार्यकारी निधियाँ	111164746	125643504	151503490




मद सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21
सी.	वर्ष के दौरान जारी किए गए ऋण :			
14	वर्ष के दौरान जारी किए गए ऋण	46655648	55571940	72040604
	पिछले वर्ष से वृद्धि %	5.97	19.12	29.63
	उपर्युक्त 14 में, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण	38404796	43183166	53061116
	उपर्युक्त 14 में, गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण	8246821	12388774	18979488
	उपर्युक्त 14 में, अ.जा./अ.ज.जा को ऋण	9097065	8032630	11223700
	उपर्युक्त 14 में, ल.कृ/म.कृ/कृ. को ऋण	35132829	35172396	40111952
	उपर्युक्त 14 में, अल्प संख्यकों को ऋण	6483723	5157076	5114882
डी.	उत्पादकता :			
15	प्रति शाखा	354876	415209	476720
	प्रति कर्मचारी	82474	99660	116838
	प्रति कर्मचारी लाभ (सकल)	377	1527	2295
ई.	वसूली कार्य निष्पादन :			
16	कुल			
	मांग	31455006	40037556	76296510
	वसूली	26942330	33580940	58602913
	अतिदेयताएं	4512676	6456616	17693597
	वसूली% (जून की स्थिति)	85.65	83.87	76.81
17	कृषि क्षेत्र			
	मांग	28998246	36646021	72041114
	वसूली	24985562	30553698	54794082
	अतिदेयताएं	4012698	6092323	17247033
	वसूली% (जून की स्थिति)	86.16	83.37	76.06
18	गैर-कृषि क्षेत्र			
	मांग	2456768	3391535	4255396
	वसूली	1956778	3027242	3808831
	अतिदेयताएं	499990	364293	446565
	वसूली% (जून की स्थिति)	79.65	89.26	89.51
एफ.	आस्ति वर्गीकरण :			
19	क. मानक	68855572	83116415	98761311
	ख. अवमानक	533910	644656	1191023
	ग. संदिग्ध	976710	979708	1010796
	घ. हानि	144924	138969	74448
	कुल	70511116	84879748	101037578
20	बकाया सकल ऋण & अग्रिमों में	97.65	97.92	97.75
	मानक आस्तियों का प्रतिशत			




मद सं.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21
जी.	लाभ प्रदत्ता विश्लेषण :			
21	निम्नलिखित पर प्रदत्त ब्याज			
अ)	जमाराशियों पर	4395116	4757170	5005191
आ)	ऋणों पर	1582094	2081595	2142635
22	वेतन और भत्ते	1296910	2566722	2431877
23	अन्य परिचालन व्यय	695524	932012	1030395
24	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान			
अ)	एनपीए के प्रति	358572	374400	789002
आ)	अन्य प्रावधान	8487	1047407	41188
इ)	परिशोधन	14031	10647	9366
25	निम्नलिखित पर प्राप्त ब्याज			
अ)	ऋण और अग्रिमों पर	6750069	7913268	9330906
आ)	एसएलआर निवेश / अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / गैर एसएलआर / मांग पर नकदी / अन्य बैंकों में टीडीआर पर	2981748	3201551	3574386
26	विविध आय	1593702	2338663	2515275
27	हानि / लाभ	674255	2678750	3970912
एघ.	अन्य सूचना :			
28	प्राप्त शेयर पूँजी जमा	0.00	0.00	0.00
29	डी आई और सी जी सी			
अ)	संचित निपटाए गए दावे	0.00	0.00	0.00
आ)	प्राप्त परंतु समायोजन के लिए लंबित दावे	0.00	0.00	0.00
इ)	निगम के पास लंबित दावे	0.00	0.00	0.00
30	संचयी प्रावधान	1280238	1698190	2369102
अ)	एनपीए के प्रति	1049943	1419522	2049267
	मानक आस्तियों के प्रति	192009	244197	285364
आ)	अगोचर परिसंपत्तियाँ धोखा धड़ी आदि के प्रति	38286	34471	34471
31	अमान्य ब्याज			
अ)	वर्ष के दौरान	0	0	0
आ)	संचयी	0	0	0
32	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए ऋण			
अ)	खातों की संख्या	4881	0	3556
आ)	राशि	147947	0	154069
33	आरक्षितियाँ और अधिशेष			
अ)	आरक्षितियाँ	1670870	2029934	2617861
आ)	लाभ व हानि खाते में शेष	5112898	6464867	8816574




जमाराशियाँ
(रुपये करोड़ों में)




अग्रिम
(रुपये करोड़ों में)



व्यवसाय
(रुपये करोड़ों में)



प्रति कर्मचारी व्यवसाय
(रुपये करोड़ों में)




निवल लाभ
(रुपये करोड़ों में)



प्रति कर्मचारी निवल लाभ
(रुपये लाखों में)



प्रति शाखा व्यवसाय
(रुपये करोड़ों में)



प्रति शाखा निवल लाभ
(रुपये लाखों में)



निदेशक मंडल रिपोर्ट - वर्ष 2020-21

31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तेलंगाना ग्रामीण बैंक की 16 वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षित लेखों की विवरणियाँ, व्यवसाय और परिचालन पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और बैंक के व्यवसाय और परिचालन की रिपोर्ट हम सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

बैंक का उद्भव :

स्टेट बैंक आफ हैदराबाद द्वारा प्रायोजित चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समामेलन करके दक्कन ग्रामीण बैंक के नाम से दिनांक 24 मार्च, 2006 को तेलंगाना ग्रामीण बैंक की स्थापना की गयी, बैंक तेलंगाना राज्य के 18 जिलों में (पूर्ववर्ती 5 जिलों में, यानी, अदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, रंगारेड्डी और हैदराबाद जिलों में) परिचालनरत है. 31.03.2021 को बैंक की 424 शाखाएं हैं।

भारत सरकार ने दिनांक 20.10.2014 की अधिसूचना के अनुसार बैंक का नाम दक्कन ग्रामीण बैंक से तेलंगाना ग्रामीण बैंक के रूप में परिवर्तित किया. प्रायोजक बैंक का नाम दिनांक 01.04.2017 से भारतीय स्टेट बैंक के रूप में परिवर्तित किया गया.

व्यवसाय समीक्षा :

बैंक व्यवसाय ने रु 20,000 करोड़ के मील के पत्थर (माइलस्टोन) को पार किया और यह 31 मार्च 2021 को रु. 20212.91 करोड़ हो गया इसमें 31 मार्च, 2020 से 15.63% वृद्धि दर के साथ रु. 2732.63 करोड़ की निरपेक्ष वृद्धि हुई, जिसमें जमाराशियों का योगदान 1116.84 करोड़ की निरपेक्ष वृद्धि के साथ 40.87% तक रहा और ये रु. 10109.15 करोड़ के स्तर तक पहुँच गई। रु. 1615.79 करोड़ की निरपेक्ष वृद्धि के साथ अग्रिमों का योगदान 59.13% रहा और ये रु.10103.76 करोड़ के स्तर पर पहुँच गए।

(रुपये करोड़ों में)

विवरण	2020-21	2019-20	वृद्धि	वृद्धि %
जमाराशियाँ	10109.15	8992.31	1116.84	12.42
अग्रिम	10103.76	8487.97	1615.79	19.04
कुल	2021.91	17480.28	2732.63	15.63

लाभ विश्लेषण :

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रु.267.98 करोड़ की तुलना में 48.23% की वृद्धि सहित वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल लाभ रु.397.09 करोड़ दर्ज किया।

ब्याज आय बढ़ कर रु. 179.18 करोड़ हो गई (जिसमें निवेशों पर प्राप्त ब्याज आय में वृद्धि रु. 37.28 करोड़ शामिल है).

(रुपये करोड़ों में)

विवरण	2019-20	2020-21	वृद्धि %
ब्याज आय	1110.42	1289.59	16.13
ब्याज व्यय	683.88	714.78	4.52
गैर-ब्याज आय	233.87	251.53	7.55
गैर-ब्याज व्यय	349.83	346.23	-1.03
प्रावधान और आकस्मिकताएं	42.66	83.02	94.61
परिचालन लाभ	267.88	397.09	48.23
आस्थगित कर आस्ति और पिछले वर्षों के समायोजन (अतिरिक्त)	0.22	0.13	-40.90
कर व्यय	97.00	103	6.18
निवल लाभ	171.10	293.96	71.81

निवल ब्याज आय :

वर्ष के दौरान अर्जित निवल ब्याज आय रु.1289.59 करोड़ है, जबकि कुल ब्याज व्यय रु.714.78 करोड़ है. वर्ष के दौरान निवल ब्याज आय वित्त वर्ष 2019-20 में रुपए 426.54 करोड़ की तुलना में बढ़कर रुपए 574.81 करोड़ हो गई, यह वृद्धि दर 34.76% (रुपए 148.27 करोड़) रही।

ब्याज व्यय :

- जमाओं पर प्रदत्त ब्याज (वित्त वर्ष 2019-20) के रु. 475.72 करोड़ की तुलना में (वित्त वर्ष 2020-21) में बढ़कर रु. 500.52 करोड़ हो गया।
- बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान उधारों (नाबार्ड, एनएचबी और मुद्रा से पुनर्वित्त) पर ब्याज के प्रति रु. 214.26 करोड़ का भुगतान किया, जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु.208.16 करोड़ का भुगतान किया था, अर्थात इसमें रु. 6.10 करोड़ की बढ़त हुई.



परिचालन व्यय:

पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के रु.349.87 करोड़ की तुलना में रु.3.65 करोड़ तक घटकर वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु.346.23 करोड़ रहे।

ब्याज आय:

- वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रु.1110.42 करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान रु.1289.59 हो गई। यह वृद्धि दर रु.179.16 करोड़ (वृद्धि दर 16.13%) रही।
- चालू राजस्व वर्ष में बैंक ने ऋण और अग्रिमों से रु.933.09 करोड़ अर्जित किए. वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु.791.33 करोड़ अर्जित किए थे इसमें वृद्धि 141.76 करोड़ (वृद्धि दर 17.91%) रही।
- निवेशों से प्राप्त ब्याज आय रु. 37.28 करोड़ तक बढ़ी और ये वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु.320.15 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में रु. 357.44 करोड़ हो गई।

एनपीए के लिए प्रावधान:

वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने एनपीए पर रु. 78.90 करोड़ प्रावधान किया। इस प्रकार अनर्जक आस्तियों पर किया गया कुल प्रावधान रु. 175.81 करोड़ है (मानक आस्तियों पर किया गया रु.28.54 करोड़ संचित प्रावधान को मिलाकर)।

(रूपये करोड़ों में)

आस्तियाँ	2019-20		2020-21	
	बकाया	प्रावधान	बकाया	प्रावधान
मानक	8311.64	24.42	9876.13	28.53
अवमानक	64.46	9.27	119.10	62.25
अशोध्य व संदिग्ध	97.98	44.13	101.08	77.59
हानि	13.89	13.89	7.44	7.44
कुल	8487.97	91.71	10103.76	175.81

अंश पूंजी और प्रदत्त पूंजी:

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधित) अधिनियम 2015, 2015 का नंबर 14, दिनांक 12.05.2015 के अनुसार बैंक की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 2000.00 करोड़ है। अभिदत्त प्रदत्त शेयर पूंजी रु 18.07 करोड़ है। जो रु. 10/- प्रति शेयर के 1,80,72,295 लाख शेयर है। इनका अंशदान भारत सरकार, प्रायोजक बैंक और राज्य सरकार ने क्रमशः 50:35:15 के अनुपात में किया है।

(रूपये लाखों में)

अंशधारक	प्रदत्त पूंजी
भारत सरकार	903.62
तेलंगाना राज्य सरकार	271.08
स्टेट बैंक आफ इंडिया	632.53
कुल	1807.23

आरक्षितियाँ और अधिशेष :

वर्ष के दौरान बैंक ने रु. 293.96 करोड़ (कर के बाद) निवल लाभ अर्जन किया. उस में से रु. 58.79 करोड़ की राशि सांविधिक आरक्षितियों को अंतरित की गई, रु. 235.17 करोड़ लाभ-हानि लेखा को ले जाया गया.

पिछले वित्त वर्ष 2019-20 के रु. 849.48 करोड़ के स्तर की तुलना में, वर्ष 2020-21 के दौरान कुल आरक्षितियाँ और अधिशेष 34.61% वृद्धि दर दर्ज करते हुए बढ़ कर रु. 1143.44 करोड़ हो गए।

(रूपये लाखों में)

विवरण	31.03.2020	31.03.2021
शेयर पूंजी	1807.23	1807.23
शेयर पूंजी जमा	0.00	0.00
आरक्षितियाँ और अधिशेष	84948.02	114344.25
कुल	86755.25	116151.48

पूँजी पर्याप्तता अनुपात:

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के 11.63% की तुलना में आलोच्य वर्ष के अंत तक पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31.03.2021 को 12.55% रहा जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% मानदंड से अधिक है और बैंक की सुदृढता का घटक है।

जमाराशियाँ:

बैंक जमाराशियों में 31 मार्च, 2020 की स्थिति से 12.42% की वृद्धि दर के साथ रुपये 1116.84 करोड़ की वृद्धि दर्ज हुई। 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार रु.8992.31 करोड़ की तुलना में कुल जमाराशियाँ 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार रु.10109.15 करोड़ रही।

जमाओं का संमिश्रण:

चालू खाता बचत खाता (कासा) जमाराशियाँ 12.20% पर रु. 418.53 करोड़ तक बढ़ी और यह 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार रु. 3838.41 करोड़ की तुलना में बढ़ कर रु. 3429.88 करोड़ हो गयी। सावधि जमाराशियाँ 12.55% की दर पर रु. 698.31 करोड़ तक बढ़ी और ये 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार रु. 5562.43 करोड़ की तुलना में रु. 6260.74 करोड़ के स्तर तक पहुँच गई।

(रुपये करोड़ों में)

जमा संमिश्रण	2019-20	2020-21
चालू खाता	84.01	97.64
वृद्धि	-12.72	13.63
वृद्धि %	-13.15	16.22
बचत बैंक खाता	3345.87	3750.77
वृद्धि	621.63	404.90
वृद्धि %	22.82	12.10
कुल कासा	3429.88	3848.41
वृद्धि	608.91	418.53
वृद्धि %	21.59	12.20
सावधि जमा	5562.43	6260.74
वृद्धि	671.67	698.31
वृद्धि %	13.73	12.55
कुल जमा राशियाँ	8992.31	10109.15
वृद्धि	1280.58	1116.84
वृद्धि %	16.60	12.42

उधार:

बैंक के सकल उधार 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार रु. 4078.44 करोड़ की तुलना में 31.03.2021 की स्थिति पर रु. 3934.42 करोड़ रहे।

(रुपये करोड़ों में)		
संस्थाएं	31.03.20209 को बकाया शेष	31.03.2021 को बकाया शेष
नाबार्ड-एसटी एसएओ	530.91	350.00
नाबार्ड-योजनाबद्ध	3059.46	2702.47
नाबार्ड-एसएसएओ	300.00	700.00
मुद्रा	11.64	10.32
एनएसएफडीसी	9.33	12.21
उप - जोड़	3911.34	3775.00
एनएसकेएफडीसी	0.00	2.45
एनएचबी	166.66	140.72
एनबीसीएफडीसी	0.44	0.44
कुल पुनर्वित्त	4078.44	3918.61
भारतीय स्टेट बैंक के सावधि जमाओं पर ओवरड्राफ्ट	0	15.78
कुल उधार	4078.44	3934.42

बैंक ने नाबार्ड से फसल ऋण वितरणों पर वितरित ऋणों के @ 20% पुनर्वित्त प्राप्त किया। नाबार्ड से एलटीआरसीएफ के अंतर्गत बैंक ने पुनर्वित्त प्राप्त किया।

आस्तियाँ:

निवेश:

बैंक के कुल निवेश सांविधिक चल निधि और गैर सांविधिक चल निधि अनुपात, दोनों पिछले वर्ष की स्थिति में 2345.56 करोड़ से बढ़कर 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार रु. 3356.85 करोड़ हुए, इनमें 43.11% सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई।



(रुपये करोड़ों में)		
विवरण	2019-20	2020-21
एसएलआर निवेश	2294.26	3279.55
वृद्धि	-345.08	+985.29
वृद्धि %	-13.07	42.95
गैर एसएलआर निवेश	51.30	77.30
वृद्धि	6.00	26.00
वृद्धि %	13.25	50.68
कुल निवेश	2345.56	3356.85
वृद्धि	-339.08	1011.29
वृद्धि %	-12.63	43.11

अन्य बैंकों में सावधि जमाएं:

पिछले वर्ष रु. 2544.79 करोड़ के स्तर से अन्य बैंकों में सावधि जमाएं 31.03.2021 को घटकर रु. 1260.47 करोड़ तक हो गई।

निवेश नीति:

बैंक ने अपनी एक निवेश नीति बनायी। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समय समय पर बोर्ड द्वारा उसकी समीक्षा / संशोधन और अनुमोदन किया जाता है।

एसएलआर निवेश:

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 24 के अनुसार एसएलआर आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नीति में निर्धारित क्षेत्रों में बैंक ने निवेशों को बनाए रखा. सभी एसएलआर निवेश भारत सरकार / राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में ही लगाये गये है।

गैर एसएलआर निवेश:

गैर एसएलआर निवेश म्यूचुअल फंड और बंध पत्रों में निवेश किए जाते हैं। सरकारी प्रतिभूतियों / बंध पत्रों से नियमित रूप से देय ब्याज प्राप्त करने हेतु बैंक सही

निगरानी और अनुवर्तन करता है। गैर एसएलआर संविभाग से आय रिसाव का कोई दृष्टांत नहीं है।

सीआरआर और एसएलआर:

बैंक ने सीआरआर और एसएलआर के प्रति पर्याप्त जमा शेषों को बनाए रखने की विनियामक आवश्यकता का अनुपालन किया। निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) को ध्यान में रखते हुए सीआरआर और एसएलआर आवश्यकताओं के निर्धारण हेतु बैंक में सुव्यवस्थित प्रणाली है। वर्ष के दौरान पर्याप्त शेष राशियों को बनाए रखने में कोई चूक नहीं है 31.03.2021 को बैंक ने रु. 335.23 करोड़ सीआरआर में तथा रु. 3381.03 करोड़ एसएलआर में रखे (जिनमें एसएलआर निवेश, हाथ नकदी और चालू खातों में निवल से शामिल है)।

ऋण संविभाग:

बैंक के ऋण संविभाग में पिछले वर्ष के रु. 8487.97 करोड़ की तुलना में 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 19.04% वृद्धि दर के साथ ऋणसंविभाग रु. 10103.75 करोड़ हो गया. इस प्रकार वर्ष में इस संविभाग में निरपेक्ष वृद्धि रु. 1615.78 करोड़ रही जबकि निर्धारित लक्ष्य 1273.20 करोड़ है। इस प्रकार बैंक अग्रिम बजट के अधीन 78.79% वृद्धि प्राप्त कर सका।

कृषि को ऋण

वर्ष के दौरान, कृषि क्षेत्र अग्रिम के अधीन संवितरण 14.40% तक बढ़ा और यह विगत वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 6444.49 करोड़ की तुलना में रु. 928.17 करोड़ की वृद्धि के साथ रु. 7372.66 करोड़ के स्तर तक पहुँच गया। कृषि क्षेत्र के उधारकर्ताओं की संख्या पिछले वर्ष की 522118 से बढ़कर 588632 हो गई।

एसएचजी वित्तपोषण के अंतर्गत दिए गए अग्रिमों में 75% से अधिक अग्रिम कृषि परिचालनों के लिए दिए गए हैं। बैंक

ने पिछले वर्ष के रू. 3996.86 करोड़ के संवितरण की तुलना में वर्ष के दौरान रू.5061.44 करोड़ कृषि क्षेत्र को वितरित किए।

संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली के अधीन फसल ऋण:

भारत सरकार और नाबार्ड के दिशानिर्देशानुसार, हमने खरीफ 2012 से फसल ऋण उधारकर्ताओं के लिए संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली को लागू किया है।

हमने 31.03.2021 को रू. 4682.13 करोड़ के बकाया ऋण के साथ 472441 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जबकि पिछले वर्ष के दौरान रू. 4283.31 करोड़ बकाया क्रेडिट के साथ 460284 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए थे। वर्ष 2020-21 के दौरान, हमने 335421 केसीसी कार्ड धारकों को रू. 3267.61 करोड़ की राशि संवितरित की जबकि वर्ष 2019-20 के दौरान ये आँकड़े क्रमश 298504 कार्ड धारक एवं रू. 2765.21 करोड़ थे।

स्वयं सहायता समूह:

31.03.2021 को ₹2491.94 करोड़ के बकाया शेष के साथ बैंक ने (लगभग 9.39 लाख ग्रामीण महिलाओं को कवर करते हुए) 76892 स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषित किया जबकि पिछले वर्ष ₹2082.40 करोड़ के बकाया ऋण के साथ 76762 ग्रुपों को वित्तपोषित किया गया था। एसएचजी खण्ड में वर्ष 2020-21 के दौरान कुल बकाया ऋण 19.67% वृद्धि दर के साथ ₹409.54 करोड़ तक बढ़ गए जबकि पिछले वर्ष में यह बढ़त ₹219.54 करोड़ (11.78%) थी।

वर्ष के दौरान बैंक ने 32694 स्वयं सहायता समूहों को ₹ 1617.54 करोड़ वितरित किए, जबकि पिछले वर्ष में 28006 समूहों को ₹ 1203.69 करोड़ वितरित किए गए थे।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनारएलएम) - आजीविका - ब्याज सहायता योजना:

एनआरएलएम के अंतर्गत पूर्ववर्ती अदिलाबाद और करीमनगर जिलों के सभी महिला एसएचजी को 7% की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया गया है और सरकार 7% तथा वास्तविक ब्याज दर (12.50%) के बीच के अंतर के बराबर तक की ब्याज सहायता देगी, बशर्ते कि वह 5.5% से अधिक न हो। इसके अलावा तत्काल भुगतान करने वाले एसएचजी समूहों को 3% की अतिरिक्त अनुदान सहायता प्रदान की जाएगी। समूहों पर ब्याज के भार को कम करने के लिए तत्काल भुगतान करने वाले एसएचजी समूहों को शेष 4% ब्याज एसईआरपी (ग्रामीण, गरीबी उन्मूलन समिति) द्वारा क्रेडिट किया जाएगा।

संयुक्त देयता ग्रुप (जेएलजी-एनजीओ मॉडल):

पूर्ववर्ती अदिलाबाद जिला, जिसमें अदिलाबाद, निर्मल, मंचेरियाल और कोमरम भीम आसिफाबाद कवर होते हैं, के जेएलजी को वित्तपोषण करने के लिए हमने एनजीओ - ड्रीम सोसाइटी और नाबार्ड के साथ एक त्रि-पक्षीय समझौता किया है। अदिलाबाद और निर्मल जिलों की शाखाएं आदिलाबाद क्षेत्र के अंतर्गत कवर होती हैं। और मंचेरियाल तथा कोमरम भीम आसिफाबाद जिलों की शाखाएं मंचेरियाल क्षेत्र के अंतर्गत कवर होती हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान, हमने योजना को जगित्याल क्षेत्र में भी लागू किया है। वर्ष 2018-19 से क्षेत्रों की शाखाओं ने जेएलजी एनजीओ मॉडल के अंतर्गत वित्तपोषण आरंभ किए हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान, अदिलाबाद क्षेत्र की शाखाओं ने 194 जेएलजी ग्रुपों को रू.2.53 करोड़ का वित्तपोषण किया है, मंचेरियाल क्षेत्र की शाखाओं ने 803 ग्रुपों को रू.10.47 करोड़ का वित्तपोषण किया तथा नए खोले गए जगित्याल ने 20 जेएलजी समूहों को ऋण दिए। इस मॉडल के अधीन 2020-21 के दौरान कुल 1017 ग्रुपों को रूपए 13.2 करोड़ की राशि मंजूर की गई।



प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण:

(रुपये करोड़ों में)

बैंक द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए गए ऋण कुल अग्रिमों का 82.37% है। पिछले वर्ष में यह 86.06% था। समग्र रूप से प्राथमिकता क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण 31.03.2021 को ₹ 8322.77 करोड़ रहे, जबकि 31.03.2020 को ये ₹ 7305.22 करोड़ थे। ऋणों में @13.93% की दर पर ₹1017.75 करोड़ की वृद्धि हुई। कमजोर वर्गों को दिए गए ऋण ₹ 5696.56 करोड़ रहे, जो कुल ऋणों का 56.38% बनते हैं।

क्र. सं.		2020-21	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1	फसल ऋण	2437.62	3267.61
2	कुल कृषि एवं आनुषंगिक ऋण	1572.34	1793.83
3	गैर कृषि क्षेत्र	186.96	70.26
4	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	481.02	174.41
	कुल प्राथमिकता क्षेत्र	4677.94	5306.11
5	गैर प्राथमिकता क्षेत्र	1526.43	1897.95
	कुल वितरित ऋण	6204.37	7204.06
	उपलब्धि का %		116.11

राज्य की ऋण योजनाओं में सहभागिता :

बैंक की सहभागिता राज्य की ऋण योजनाओं में निम्नवत् है :

वर्ष के दौरान किए गए ऋण वितरण :

वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋणों में 26.64% की वृद्धि हुई है और ये ऋण पिछले वर्ष में दिए गए ₹3996.86 करोड़ की तुलना में ₹5061.44 करोड़ तक बढ़ गए। प्राथमिकता क्षेत्र के वितरण 22.87% तक बढ़े और ये पिछले वर्ष रुपये 4318.31 में करोड़ की तुलना में वर्ष में रु. 5306.11 करोड़ तक बढ़ गए। कुल वितरणों में इनका योगदान क्रमशः 73.65% और 77.71% है। वर्ष के दौरान कुल वितरण ₹ 7204.06 करोड़ है और ये गत वर्ष वितरण रु.5557.19 करोड़ से 29.63% तक बढ़े।

खुदरा ऋण :

आवास ऋण, शिक्षा ऋण, बंधक ऋण, वैयक्तिक स्वर्ण ऋण, एमएसएमई आदि खुदरा क्षेत्र के उत्पादों को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया। लाभप्रदता को सुधारने के लिए ऋण संविभाग में विविधता लाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके परिचालन कर्मचारियों के क्षमता वर्धन को उच्च प्राथमिकता दी गयी। कार्य निष्पादन निम्न प्रकार है:

(रुपये करोड़ों में)

क्र.सं.	खण्ड	31.03.2020 को बकाया		31.03.2021 को बकाया	
		खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
1	आवास ऋण	7802	814.98	7879	987.64
2	बंधक ऋण	911	72.07	972	90.01
3	शिक्षा ऋण	554	17.07	453	14.50
4	मांग ऋण	19849	281.17	14781	197.15
5	एनएफएस - सावधि ऋण-एमएसएमई	34433	160.02	42442	158.40
6	वैयक्तिक ऋण	6672	243.88	6388	259.90
7	वैयक्तिक स्वर्ण ऋण	67491	510.66	98909	966.12
	कुल	137712	2099.85	171824	2673.72

ऋण और अग्रिम :

(रूपये करोड़ों में)					
क्र.सं.	खण्ड	31.03. 2020		31.03. 2021	
		खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
	अ) कृषि क्षेत्र				
1.	फसल ऋण	460284	4283.31	472441	46821.13
2.	सावधि कृषि ऋण	15072	78.77	39299	198.59
3.	स्वयं सहायक समूह (एसएचजी)	76762	2082.41	76892	2491.94
	कुल कृषि क्षेत्र	552118	6444.49	588632	7372.66
	आ) गैर-कृषि क्षेत्र				
4.	जी सी सी	556	0.99	356	0.64
5.	सावधि ऋण (व्यवसाय)	33352	136.15	41092	134.54
6.	आवास ऋण	7450	689.23	7268	778.52
7.	सी सी (नकद उधार)	1081	22.88	994	23.22
8.	शिक्षा ऋण	516	11.28	447	13.19
	कुल गैर - कृषि (प्राथमिकता)	42955	860.53	50157	950.11
	कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	595073	7305.02	638789	8322.77
	इ) गैर - प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र				
9.	स्वर्ण ऋण	67491	510.67	98909	966.12
10.	मांग ऋण + सी के + कर्मचारी	26791	656.61	24426	798.34
11.	अन्य	604	15.67	695	16.52
	कुल गैर - प्राथमिकता प्राप्त	94886	1182.95	124030	1780.98
	सकल जोड (अ + आ + इ)	689959	8487.97	762819	10103.75

भारतीय प्रतिभूतिकरण, आस्ति पुनः निर्माण एवं प्रतिभूति हित केंद्रीय पंजी (सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सेक्यूरिटाइजेशन, एसेट रीकंस्ट्रक्शन एंड सेक्यूरिटी इंटरनेट ऑफ इंडिया - सी.ई.आर.एस.ए.आई) :

बैंक ने आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुरूप सीईआरएसएआई में पंजीकरण करा लिया था और अनुदेशों का अनुपालन किया। सभी ऋणों के सम्बन्ध में साप्थिक / पंजीकृत बन्धक तथा दृष्टिबंधक को, जो 31-03-2017 की स्थिति के अनुसार वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन

अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) के अधीन कवर किए गए हैं, उन्हें सी ई आर एस ए आई में पंजीकृत करा दिया गया है।

इसके साथ, हमारे बैंक के पक्ष में सृजित प्रतिभूति हित का विस्तृत विवरण जनता / अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा खोजे जाने के लिए सार्वजनिक डोमेइन में उपलब्ध है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) :

हमारा बैंक सीजीटीएमएसई का सदस्य है और एमएसएमई के अंतर्गत ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर प्राप्त कर रहा है।



भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार रीटेल ट्रेड अग्रिमों को छोड़कर आईएसबी क्षेत्र को ऋण तथा सड़क और परिवहन के छोटे ऋण सहित रु. 10 लाख तक की सीमा के सीजीटीएमएसई गारंटी कवर के अंतर्गत पात्र है।

सीजीटीएमएसई योजना के तहत अभी तक कवर किए गए ऋण खातों के विवरण निम्नानुसार है।

(रूपये लाखों में)			
वर्ष 2020-21 के दौरान		संचयी	
खातों की संख्या	राशि	खातों की संख्या	राशि
85	274.79	518	937.30

साख सूचना कंपनियों:

हमारा बैंक सिबिल (ऋण आसूचना ब्यूरो भारत लिमिटेड) का सदस्य रहा है. सिबिल आरबीआई लाइसेंस प्राप्त और साख सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 द्वारा अधिशासित प्रथम साख सूचना कंपनी है। सिबिल बैंकों तथा अन्य ऋणदाताओं तथा गैर-व्यक्तियों (वाणिज्यिक संस्थाओं) के भुगतान अभिलेखों का प्रति माह आधार पर संग्रह और रखरखाव करता है।

हमारा बैंक डाटा का अपलोडिंग नियमित रूप से करता है और हमारे सभी क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय और शाखाएं अपने ऋण निर्णय लेने के समय ऋण आवेदकों के साख इतिहास की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं।

तीन अन्य साख सूचना केन्द्रों, यानी ईक्वी फैक्स क्रेडिट इनफर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, एक्स्पीरियन क्रेडिट इनफर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सीआरआईएफ हाइ मार्क क्रेडिट इनफर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 15.01.2015 के अपने पत्रांक डीबीआर सं सीआईडी.बीसी. 60/20.16.056/2014-15 के अनुसार हमें सूचित किया है कि सभी ऋण संस्थाओं को अनिवार्यतः सभी साख सूचना कंपनियों का सदस्य बनना है। तदनुसार हम इन तीनों साख सूचना कंपनियों के भी सदस्य बन गए हैं।

आस्ति गुणवत्ता - अनर्जक आस्तियों का प्रबंधन:

बैंक ने एनपीए में रु.227.63 करोड़ (सकल) तक कमी करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए हैं, जो विगत वर्ष के कुल अग्रिमों के 2.08% की तुलना में 31-03-2021 की समाप्ति पर कुल अग्रिमों का 2.25% है। निवल एनपीए 31-3-2020 की स्थिति के अनुसार 0.41% से घटकर 31-03-2021 को 0.23% हो गया। बैंक ने एनपीए को कम करने के लिए समुचित कार्यनीतियां अपनाई हैं। इसके लिए बैंक के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए अपने परिचालनरत पदाधिकारियों की ओर से सुविचारित प्रयास एवं केन्द्रीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अनर्जक आस्तियाँ 31-03-2020 की स्थिति के अनुसार रु.176.33 करोड़ से रु.51.30 करोड़ तक बढ़कर 31-03-2021 को रु.227.63 करोड़ हो गई।

सरफेसी अधिनियम और मुकदमों को दायर करना:

खाते के एनपीए बनने के तुरंत बाद सरफेसी अधिनियम अंतर्गत नोटिस जारी की जाती है। क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय स्तर पर इनकी निगरानी मासिक अंतरालों पर की जाती है। इस संबंध में किए गए हमारे प्रयासों के अच्छे परिणाम निकले हैं। इस संबंध में हमने उल्लेखनीय कार्रवाई, विशेषकर सरफेसी के अंतर्गत की है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एनपीए की निगरानी करने हेतु एक डेस्क अधिकारी को तैनात किया गया। वह सरफेसी के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करने, मुकदमा दायर करने, वाहनों को जब्त करना आदि के साथ साथ मुकदमे दायर खातों को बंद करने, एयूसीए वसूली, आदि के लिए भी कार्रवाई करना

सुनिश्चित करता है। वापस मांगे गए ऋण / मुकद्दमा दायर खातों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुकद्दमों के शीघ्र निपटान हेतु क्षेत्रीय स्तर पर वकीलों के साथ बैठकें भी आयोजित की गईं।

सरफेसी के अंतर्गत कार्य निष्पादन निम्न प्रकार है:

	खातों की संख्या	राशि (रुपये करोड़ों में)
सरफेसी अंतर्गत उठाए गए कुल	75	5.01
नियमित	46	3.18
वर्ष की समाप्ति पर शेष	29	1.83
उक्त में से	0	
जारी किए गए मांग नोटिस	9	0.38
जारी किए गए कब्जा नोटिस	7	0.53
कब्जा में लिए गए	3	0.29

मुकद्दमा दायर खातों के संदर्भ में निष्पादन निम्न प्रकार है:

	खातों की संख्या	राशि (रुपये लाखों में)
मुकद्दमा दायर	511	1266
डिक्री किए गए	251	554
ई पी दायर	41	88.24
मुकद्दमा दायर करने के बाद वसूली	46	253

एनपीए की कटौती / रोकथाम के लिए निम्न उपाय अपनाए गए

1. प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एनपीए की निगरानी करने हेतु एक डेस्क अधिकारी को तैनात किया गया। वह सरफेसी के अंतर्गत कारवाई शुरू करने, मुकद्दमा दायर करने, वाहनों को जब्त करना आदि के साथ साथ मुकद्दमे दायर खातों को बंद करने, एयूसीए

- वसूली, आदि के लिए कार्यवाही करना सुनिश्चित करता है।
2. एनपीए को घटाने हेतु सर्वोच्च 25 एनपीए खातों की निगरानी अध्यक्ष और दो महाप्रबंधकों (म प्र II & म प्र III) द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जाती है।
3. चिरकालिक एनपीए वाली शाखाओं का अनुवर्तन करने और एनपीए को कम करने के लिए उन्हें प्रधान कार्यालय के अधिकारियों को सौंपा गया है।
4. रु.5.00 लाख या उससे अधिक एनपीए की निगरानी संबंधित महाप्रबंधकों द्वारा की जाती है।
5. समीक्षा मेकानिज्म लागू किया गया है। वरिष्ठ प्रबंधक (व्यवसाय) और क्षेत्रीय प्रबंधकों के लिए समीक्षा बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती है।
6. गांवों में बैठकों का आयोजन करके, दीवारों पर पोस्टर और बैनरों को लगाकर आदि द्वारा फसल ऋणों के समय पर नवीकरण से उपलब्ध होने वाले लाभ, जैसे परिवर्धित वित्त मान, फसल बीमा सुविधा, भारत सरकार से ब्याज अनुदान प्रोत्साहन और वड्डी लेनी ऋणालु तथा अन्य सरकार प्रायोजित योजनाएं आदि के बारे में विशेष प्रचार किया गया।
7. उच्च प्रबंधन ने एनपीए की निगरानी तथा कम करने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधकों, वरिष्ठ प्रबंधकों (व्यवसाय), वसूली अधिकारियों, शाखा प्रबंधकों के साथ नियमित अंतरालों पर आवधिक वीडियो सम्मेलन आयोजित किए हैं।
8. क्षमता वर्धन और एनपीए को कम करने के लिए अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाले अधिकारियों को मिलाकर प्रत्येक क्षेत्र में पाँच या छः क्लस्टरों को तैयार किया गया है।
9. व्यक्तिगत स्वर्ण ऋणों से संबंधित स्वर्ण आभूषणों की नीलामी की गयी, जो मासिक अंतरालों पर अतिदेय हो गए।

आस्ति वर्गीकरण:

(रूपये करोड़ों में)

आस्तियाँ	2020-21	
	बकाया	%
मानक	9876.13	97.75
अवमानक	119.10	1.18
अशोध्य और संदिग्ध	101.08	1.00
हानि	7.44	0.07
कुल एनपीए	227.62	2.25
कुल	10103.76	100.00

पूँजी पर्याप्तता अनुपात

बैंक ने 31-03-2020 की स्थिति के अनुसार 11.63% की तुलना में 31-03-2021 को समाप्त वर्ष में 12.55% पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) रिकॉर्ड किया है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित 9% मानदंड से अधिक है और बैंक की सुंदरता का द्योतक है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली - लेखा परीक्षा व निरीक्षण

बैंक के सभी क्रिया-कलाप आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य के अधीन है जिनमें विभिन्न प्रकार की लेखा परीक्षायें शामिल है:

जोखिम केन्द्रित लेखा परीक्षा (आरएफआईए):

हमारे प्रायोजक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सुझाये अनुसार जोखिम केन्द्रित लेखा परीक्षा (आरएफआईए) बैंक में अक्टूबर 2011 से शुरू की गई। बेहतर रेटिंग के लिए योग्य बनने हेतु मानदंडों को और कठिन करके बैंक ने निरीक्षण रेटिंग के न्यूनतम मानदंडों को दिनांक 08.07.2017 से बढ़ा दिया है।

आगे प्रायोजित बैंक के सुझाव के अनुसार लेखा परीक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने हेतु दिनांक 08.12.2017 से निम्नलिखित रेटिंग प्रणाली मानदंड वार अंको सहित आरएफआईए का नया प्रपत्र बैंक में आरंभ किया गया।

संशोधित रेटिंग	अंक श्रेणी
खूब नियंत्रित - A+	>=850
पर्याप्त नियंत्रित - A	>700 और <=850
साधारण रूप से नियंत्रित- B	>600 और <=699
असंतोषजनक रूप नियंत्रित -C	<600

प्रत्येक मानदंड के अंतर्गत आबंटित अंकों को भी निम्नानुसार संशोधित किया गया है।

क्र सं	एस एन मानदंड	संशोधित फार्मेट - अंक
1	व्यवसाय विकास	100
2	त्रण जोखिम प्रबंधन	450
3	परिचालन जोखिम प्रबंधन	410
4	बाह्य अनुपालन	30
5	स्व - लेखा परीक्षा	10

जोखिम केन्द्रित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरएफआईए) का संशोधित रिपोर्टिंग फार्मेट वर्ष के दौरान कार्यान्वित किया गया और उसमें आईएस और आईटी जोखिम जांच (स्कूटिनी) शामिल की गयी है।

"उत्कृष्ट / खूब नियंत्रित - A+ "और" पर्याप्त नियंत्रित - A" रेटिंग वाली शाखाओं की लेखा परीक्षा पिछली लेखापरीक्षा तिथि से 18 महीनों के अंदर की जाती है। जबकि "संतोषजनक/ साधारण रूप से नियंत्रित - B"और" "असंतोषजनक नियंत्रण - "C" रेटिंग वाली शाखाओं की लेखा परीक्षा एक वर्ष के अंदर की जाती है।

वर्ष के दौरान 306 शाखाओं की लेखा परीक्षा होनी थी और सभी 306 शाखाओं की लेखा परीक्षा की जा चुकी है। 306 शाखाओं द्वारा प्राप्त रेटिंग निम्नवत् है:

रेटिंग	वर्ष 2020-21 के दौरान लेखा परीक्षित 306 शाखाओं में से
खूब नियंत्रित - A+	137
पर्याप्त रूप से नियंत्रित - A	168
साधारण रूप से नियंत्रित - B	1
असंतोषजनक नियंत्रित - C	0
कुल	306

लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर जहाँ कहीं भी आवश्यक है, सुधारात्मक प्रयास किए गए। विभाग ने बिना किसी पूर्वग्रह के सही ढंग से अपने परिचालनों का निर्वाह किया, जिसके फल स्वरूप वे पद्धति एवं प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुए।

306 लेखापरीक्षा रिपोर्टों में से, जो वर्ष के दौरान समापन यानी निपटान के लिए शेष रही है। 305 लेखा परीक्षा रिपोर्ट का निपटान किया गया है और शेष बची एक रिपोर्ट समापन के लिए लम्बित है। ये रिपोर्ट 1 महीने से कम अवधि के अंदर निपटान के लिए लम्बित श्रेणी में हैं।

संगामी लेखा परीक्षा

हमारे बैंक में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के भाग के रूप में वित्तीय वर्ष 2012-13 से नाबार्ड द्वारा जारी नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार संगामी लेखा परीक्षा शुरू की गयी। वर्तमान में 18 (अठारह) लेखा परीक्षकों की सहायता से 78 शाखाओं में संगामी लेखा परीक्षा की जा रही है। नाबार्ड द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुपालन करने हेतु संगामी लेखा परीक्षा के अधीन कम से कम 50% बैंक ऋण और अन्य जोखिमों को कवर करने के लिए हमने सेवा निवृत्त बैंक अधिकारियों को इंपैनल किया।

संगामी लेखा परीक्षा की व्याप्ति (अ) नकद धारणा (आ) प्रतिभूतियों की सुरक्षित अभिरक्षा (इ) विवेकाधिकारों का उपयोग (ई) विविध और उच्चत खाते (उ)समाशोधन अंतरालों (ऊ) तुलन पत्र इतर मर्दे, सुरक्षा पहलुओं, आस्ति गुणवत्ता का सत्यापन आदि को कवर करने के लिए निर्दिष्ट की गयी है।

इसके अलावा, दक्षता स्तरों में परिवर्धन हेतु निम्न लेखा परीक्षाएं भी आयोजित की गयी है :

अनुपालन लेखा परीक्षा:

अनुसूची के अनुसार वर्ष में 38 शाखाओं में अनुपालन लेखा परीक्षा आयोजित की गयी।

अन्य प्रशासनिक इकाइयों की लेखा परीक्षा:

सभी सात (7) क्षेत्रीय कार्यालयों और अन्य विभाग जैसे, लेखा, लेखन-सामग्री, अचल परिसंपत्तियाँ और रिकार्ड विभाग, निवेश और मानव संसाधन प्रबंधन सेवाएं विभागों की लेखा परीक्षा भी की गयी।

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति:

भारतीय स्टेट बैंक के एक नामिती निदेशक की अध्यक्षता में तथा भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और भारत सरकार के नामिती निदेशकों की सदस्यता में गठित लेखा परीक्षा समिति ने वर्ष के दौरान 4 बैठकें आयोजित कीं और निम्न मर्दों की समीक्षा की:

- विभिन्न लेखा परीक्षाओं के आयोजन की स्थिति
- (अ) जोखिम केन्द्रित आंतरिक लेखा परीक्षा (आ) स्नैप लेखा परीक्षा (इ) संगामी लेखा परीक्षाओं में पायी गयी सामान्य अनियमितताएं
- क्षेत्रीय कार्यालय और प्रधान कार्यालय के लेखा विभाग की लेखा परीक्षा
- विशेष लेखा परीक्षाएं
- आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर, विशेषकर असंतोषजनक शाखाओं की और बड़ी शाखाओं की तथा संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों के प्रेक्षणों पर समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई।
- बड़ी शाखाओं की आरएफआईए और संगामी लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों में आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा दर्शायी गयी अनियमितताओं पर अनुवर्ती कार्रवाई।
- ऐसी शाखाएं, जिनकी लेखा परीक्षा रेटिंग घटायी गयी है, नाबार्ड निरीक्षण रिपोर्ट, सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, प्रबंधन लेखा परीक्षा, आरएफआईए, स्नैप आडिट रिपोर्ट और संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों का अनुपालन।



- लेखा परीक्षा की रिपोर्टों पर असंतोषजनक अनुपालन रिपोर्ट, अनुपालन में देरी एवं विसंगतियाँ नहीं सुधारने के संदर्भ में जिम्मेदारी निर्धारित करना।
- आंतरिक निरीक्षण अधिकारियों / संगामी लेखा परीक्षकों द्वारा गंभीर अनियमितताओं को पहचानने में चूक पर समीक्षा, जो बाद में प्रकाश में आती है।
- बैंक के खातों में अधिक पारदर्शिता, बैंक द्वारा सामना की गयी या भविष्य में सामना की जाने वाली जोखिमों के निपटान में लेखा नियंत्रणों की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए बैंक की लेखा नीतियों और प्रणाली नियंत्रणों की आवधिक समीक्षा।
- वित्तीय स्थिति - तुलन पत्र और लाभ हानि लेखा विवरण।
- आंतरिक लेखा कार्य और व्यवस्था। रखरखाव की स्थिति और अंतर कार्यालयीन समाधान (बीसीजीए) और बकाया प्रविष्टियाँ
- संगामी लेखा परीक्षकों द्वारा प्रत्येक तिमाही में भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट की गयी प्रतिभूतियों की धारण का प्रमाण।
- प्रकट की गयी धोखाधड़ियाँ, आदि की स्थिति।

प्रबंधन लेखा परीक्षा :

हमारे बैंक की प्रबंधन लेखा परीक्षा हमारे प्रायोजक बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा की गयी। अंतिम प्रबंधन लेखा परीक्षा दिनांक 12.08.2020 को आयोजित की गई और दर निर्धारण सुधरकर "A" हुई। प्रबंधन लेखा परीक्षा रिपोर्ट को अनुपालन रिपोर्ट हमने प्रस्तुत कर दी है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35(6) के अंतर्गत नाबार्ड निरीक्षण:

दिनांक 31.03.2020 को नाबार्ड लेखा परीक्षा की गई

और हमें अतिश्रेष्ठ रेटिंग अवार्ड की गयी। दिनांक 06.10.2020 की रिपोर्ट के लिए अंतिम अनुपालन रिपोर्ट 17.12.2020 को प्रस्तुत की गयी।

सांविधिक लेखा परीक्षा:

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 19 उपधारा (1) के अनुसार, भारत सरकार के अनुमोदन से अपने लेखों की सांविधिक लेखा परीक्षा करने के लिए बैंक को लेखा परीक्षकों को नियुक्त करना अपेक्षित है।

तदानुसार वर्ष 2020-21 के लिए मेसर्स सागर एण्ड एसोसिएट्स को सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित तथा नाबार्ड द्वारा सूचित किये गये लेखा परीक्षाओं की पैनल के अनुसार, हमारी शाखाओं की लेखा परीक्षा करने के लिए निम्नलिखित सनदी लेखाकारों की नियुक्ति की गयी।

1. डी वी रमणा राव एण्ड कंपनी, गाँधी नगर, हैदराबाद
2. के प्रह्लाद राव एण्ड कंपनी, दोमलगुडा, हैदराबाद
3. गर्रे एण्ड कंपनी, एएस राव नगर, सिकंदराबाद
4. आंजनेयुलु एण्ड कंपनी, कवाडीगुडा, हैदराबाद
5. जे एस सुंदरम एण्ड कंपनी, मादापुर, हैदराबाद
6. राममूर्ति (एन) एण्ड कंपनी, बोग्गुलकुंटा, हैदराबाद
7. कृष्ण एण्ड प्रसाद, अबिड्स, हैदराबाद
8. लुहारुका एण्ड एसोसिएट्स, एमजी रोड, सिकंदराबाद
9. नरोत्तम माधव एण्ड रमेश, रेड्डी महिला कालेज गेट के सामने, हैदराबाद
10. वी राव एण्ड गोपी, विट्टल वाडी, हैदराबाद
11. शिव कृष्णा एण्ड नारायण, मासाब टैंक, हैदराबाद

12. एस पी ए डी एण्ड एसोसिएट्स, खैरताबाद, हैदराबाद
13. के एस एसोसिएट्स
14. शास्त्री एण्ड शाजी
15. जी एस माधवराव एण्ड कंपनी
16. एस डागा एण्ड कंपनी
17. गांधी एण्ड गांधी

18. नरसिम्हा राव एण्ड एसोसिएट्स

दिनांक 25.04.2020 के अपने पत्र संख्या एनबी. एचओ. आईडीडी /01 /आरआरबी-323 (C) / 2020-21 के अनुसार नाबार्ड द्वारा सूचित दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की 298 शाखाएं और प्रधान कार्यालय की लेखा परीक्षा सांविधिक परीक्षकों द्वारा की गयी और उन्होंने बैंक बहियों के समग्र रखरखाव के लिए संतोष व्यक्त किया।

वित्तीय समावेशन योजना :

विभिन्न वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) पहलुओं के अंतर्गत दिनांक 31.03.2021 को बैंक का कार्य निष्पादन निम्न प्रकार है :

वित्तीय समावेशन योजना की पहल	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
पीएमजेडीवाई खाते (संख्या)	14,16,250	13,96,036
खोले गए एसबी-एफआई खाते (संख्या)	3,38,606	3,19,586
सक्रिय किए गए रुपये डेबिट सह एटीएम कार्ड (संख्या)	1,40,076	1,51,031
एसबी - एफआई खातों में बकाया शेष (रुपयों लाखों में)	2523.42	3,621.14
जारी किए गए रुपये - केसीसी कार्ड (संख्या)	3,62,125	3,62,506
वर्ष 2020-21 में शाखाओं द्वारा की गयी वित्तीय साक्षरता जागरूकता बैठकें (वित्तीय साक्षरता केन्द्रों द्वारा आयोजित बैठकों के अलावा)	1,287	1,021
पीएमजेबीवाई - बीमा नामांकन	1,92,025	2,13,220
पीएमएसबीवाई - बीमा नामांकन	3,42,674	3,71,310
एपीवाई 2020-21 में नामांकन	18,969	19,496
एपीवाई नामांकन	55,371	74,859

वित्तीय समावेशन योजना :

देश के समग्र संतुलित विकास के लिए सम्मिलित वृद्धि आवश्यक है। बैंक भारत सरकार की वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) की सक्रिय कार्यान्वयन कर रहा है। बैंक की एफआईपी के अंतर्गत राज्य के पूर्ववर्ती 4 जिलों, यानी रंगारेड्डी, करीमनगर, निजामाबाद और अदिलाबाद (पुनर्गठन से पूर्व) के 1526 बैंक-रहित क्षेत्र कवर किए गए हैं।

नाबार्ड से प्राप्त / मंजूर की गयी सहायता अनुदान :

क्र. सं.	कार्यक्रम	सहायता अनुदान राशि (रुपयों में)
1	173 माइक्रो एटीएम	35,67,500.00
2	वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम	30,28,267.10

अति सूक्ष्म शाखाएं (यूएसबी):

दूरस्थ और बैंक रहित क्षेत्रों में 596 अति सूक्ष्म शाखाओं द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही है। (माइक्रो एटीएम की सहायता से) यूएसबी में उपलब्ध सेवाओं में एसबी, आरडी और सावधि जमा रसीद खाता खोलने, नकद जमा और आहरण, निधि अंतरण, डीबीटी, सरकार के पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा भुगतान शामिल है। माइक्रो एटीएम बयो मेट्रिक समर्थित हैं और दुर्ब्यवहारों को रोकने के लिए आधार आधारित लेनदेन करता है।

सीएसपी को क्षमता वर्धन प्रशिक्षण :

यूएसबी द्वारा अबाध और झंझट रहित सेवाएं प्रदान करने तथा बैंकिंग रहित गाँवों में ग्रामीण ग्राहकों को निर्बाध गुणवत्ता सेवाओं को प्रदान करने के लिए बैंक की यह नीति है कि सभी सीएसपी को, यूएसबी का प्रबंधन करने वाले ग्राहक सेवा प्रदाताओं को पर्याप्त और समुचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

वित्तीय साक्षरता जागरूकता शिविर (एफएलएसी) :

वित्तीय साक्षरता के प्रचार प्रसार के लिए वित्तीय समावेशन के तथा अन्य गाँवों में शाखाएं जागरूकता शिविरों का आयोजन कर रही हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1021 एफएलसी आयोजित किए गए।

बैंक के सेवा क्षेत्रों में जनता में वित्तीय साक्षरता के प्रचार और प्रसार के लिए बैंक हर संभव प्रयास कर रहा है।

आधार और मोबाइल नंबर सीडिंग :

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), एमजीएनआरईजीएस, पेंशन और अन्य खातों के अंतर्गत लेनदेनों को सरल बनाने हेतु बैंक ग्राहकों के खातों को आधार नंबर से सीडिंग कराने के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत है। बैंक द्वारा एबीपीएस को उच्च प्राथमिकता दी गयी है।

पीएमजेडीवाई :

हमारे परिचालन के क्षेत्रों में कवर किए गए सभी परिवारों संभव के घरेलू सर्वेक्षण के आधार पर प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) खाते खोले जा रहे हैं। बैंक का यह लक्ष्य है कि वह सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, अर्थात् प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत सभी पात्र ग्राहकों को कवर किया जाए।

डिजिटलीकरण / नकद रहित व्यवसाय :

माइक्रो एटीएम द्वारा रूपे कार्ड का उपयोग करने तथा आधार आधारित लेनदेन को हम लोकप्रिय बना रहे हैं और उनका उपयोग करने के लिए अपने ग्राहकों तथा अन्य को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

बैंक सखी :

यू एस बी में लगाए गए कुल 596 सीएसपी / बैंक मित्रों में से हमने 195 बैंक सखियों की नियुक्ति की. निकट भविष्य में सीएसपी में हम और अधिक एसएचजी महिला सदस्यों को नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं।

एटीएम मोबाइल वैन :

ग्राहकों की दहलीज तक ग्राहक सेवाओं को प्रदान करने तथा बैंकिंग टेकनालजियों को प्रदर्शित करने के लिए नाबार्ड की अनुदान सहायता से 2019 में दो एटीएम मोबाइल वैन खरीदी गई । मोबाइल पूर्ववर्ती अदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, हैदराबाद तथा रंगारेड्डी जिलों के क्षेत्र में इस्तेमाल की जा रही हैं।

माइक्रो एटीएम :

नाबार्ड के सहायता अनुदान से 173 माइक्रो एटीएम खरीदे गये और उन्हें बी सी लोकेशनों पर विनियोजित किया गया।

प्रायोजक बैंक के साथ समझौता ज्ञापन की तुलना में बैंक का निष्पादन :

वर्ष 2020-21 के लिए प्रायोजक बैंक के साथ समझौता ज्ञापन के अनुसार मानदंडों के संबन्ध में बैंक की स्थिति निम्नानुसार प्रस्तुत है।

समझौता ज्ञापन की तुलना में उपलब्धियाँ								(रु. करोड़ों में)	
क्र. सं.	विवरण	31.03.2019 की स्थिति पर वास्तविक आकड़े		31.03.2020 की स्थिति पर वास्तविक आकड़े		31.03.2021 की स्थिति पर समझौता ज्ञापन स्तर		31.03.2021 की स्थिति पर उपलब्धि	
		राशि	राशि	वृद्धि %	राशि	प्रस्तावित एमओयू	वास्तविक स्तर	वृद्धि	
1	जमाराशियाँ								
	(क) कुल जमाराशियाँ	7711.73	8992.31	16.61%	10071.39	12% over Base Level	10109.15	12.42%	
	जीसमें (i) कासा जमाराशियाँ	2820.97	3429.88				3848.41		
	(ख) कासा (%)	36.58%	38.14%		41.14%	41.14%	38.07%		
2	अग्रिम								
	(क) कुल अग्रिम	7051.11	8487.97	20.38%	9761.17	15% over Base Level	10103.76	19.04%	
	(ख) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को न्यूनतम उधार	88.47%	86.06%			75.00%	82.37%		
	(ग) आवास ऋण	575.34	814.98		1059.47	30% over Base Level	987.64	21.19%	
	(घ) स्वर्ण ऋण	355.24	510.64		535.64	Rs.25.00 Cr Fresh Gold Loans	967.02		
3	एनपीए								
	(क) सकल एनपीए	2.35%	2.08%		1.58%	1.58%	2.25%		
	(ख) एयूसाए/बट्टा खाते लिखे गए में वसूली (रु. करोड़ में)	0.92	2.44	165.22%	3.55	15% over Base Level	1.57	0	
4	आय एवं व्यय								
	(क) अन्य व्यय	160.70	205.63	27.96%	246.76	20% over Base Level	251.53	22.32%	
5	लाभ / हानि								
	(क) निवल लाभ/हानि कर के बाद	42.87	171.10		230.00	230.00	293.96		
6	महत्वपूर्ण अनुपात और दक्षता मानदंड								
	(क) व्यवसाय प्रति कार्यकारी (रु.करोड़ में)	8.25	9.97		11.08	11.08	11.68		
	(ख) अग्रिमों पर प्रतिफल	10.95	10.59%		Above 0.83%	Above 10.83%	10.40%		
	(ग) जमाराशियाँ की लागत	5.94	5.80%		Below 5.45%	Below 5.45%	5.16%		
	(घ) निवल ब्याज मार्जिन	3.73	3.68%		Above 70%	Above 3.70%	4.06%		
	(ङ) प्रावधान कवरेज अनुपात	63.42	82.76%		83.00%	83.00%	91.44%		
	(च) व्यय अनुपात	81.64	35.14%		Below 40%	Below 40%	37.77%		

प्रति विक्रय :

एसबीआई जीवन बीमा:

गैर ब्याज आय के अर्जन के अलावा ग्राहकों की जीवन बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक एसबीआई जीवन बीमा का कार्पोरेट एजेंट बन गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बैंक ने रु.20.53 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में रु. 17.68 करोड़ के नये समायोजित रेटेड प्रीमियम का संग्रहण किया और रु.2.85 करोड़ का कमीशन अर्जित किया। पिछले वर्ष 2019-20 में बैंक ने रु.17.61 करोड़ की नये समायोजित रेटेड प्रीमियम का संग्रहण किया था और 2.38 करोड़ का लाभ अर्जित किया था।

एसबीआई सामान्य बीमा:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने एसबीआई सामान्य बीमा के अधीन रु.9.97 करोड़ के लक्ष्य की तुलना में रु.11.53 करोड़ का प्रीमियम संग्रहित किया और रु.1.08 करोड़ का कमीशन अर्जित किया, जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान नए प्रीमियम रु.7.84 करोड़ और कमीशन रु.73.44 लाख अर्जित किया।

सुरक्षा उपाय - सीसी टीवी, बर्गलर अलार्म सिस्टम और अग्नि शामकों का संस्थापन :

बैंकों में बढ़ती डकैतियों की घटनाओं आदि से बैंक परिसंपत्तियों, ग्राहकों और कर्मचारियों की प्रभावी सुरक्षा हेतु बैंक ने सभी शाखाओं को सीसी टीवी (निगरानी), बर्गलर अलार्म सिस्टम और अग्नि शामकों को प्रदान किया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई पहल

1. दिशा मोबाइल ऐप:

श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा दिनांक 01-02-2021 को विभिन्न डिजिटल उत्पादों को कार्यान्वित करने के लिए दिशा मोबाइल ऐप प्रारंभ किया गया।

निम्नलिखित कार्यमूलक प्रणालियां आरंभ की गई:

i) इंस्टा बचत - खाता खोलना :

इंस्टा बचत खाता आधार ओटीपी आधारित खाता है। ग्राहक के विवरण यूआईडीएआई से लिए जाते हैं। इस खाते में लेनदेनों तथा शेष जमा संबंधित सीमाएं हैं। ग्राहकों को सामान्य खाते में खाते के संपरिवर्तन के लिए केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वीडियो केवाईसी द्वारा अथवा शाखा में आकर केवाईसी पूर्ण करना है।

ii) वीडियो-केवाईसी के साथ डिजिटल बचत खाता खोलना:

डिजिटल बचत खाता भी आधार आधारित खाता है। वीडियो के केवाईसी करने से यह पूर्ण केवाईसी बनता है। वीडियो केवाईसी प्रक्रिया के अधीन, ग्राहक वीडियो कॉल करता है, जिस पर बैंक अधिकारियों द्वारा ध्यान / जबाव दिया जाएगा।

हमारी वी केवाईसी की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार प्रस्तुत हैं :

1. आधार कार्ड ईमेज के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर चेहरे का मिलना।
2. ग्राहक भौगोलिक स्थिति ली जाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापित किया जाता है कि ग्राहक भारत में हाजिर है।
3. पैन कार्ड पर पैन संख्या का मिलान करने के लिए ओसीआर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है और ग्राहक द्वारा विवरण प्रविष्ट किए जाते हैं।

2. ऑनलाइन परीक्षा :

हमने अपनी इंटरनेट साइट पर टूगल के जरिए सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र विकसित किया है, ताकि स्टाफ अपनी संबंधित शाखाओं से परीक्षा दे सकें। प्रबंधन ने यह निर्णय लिया है कि अपने स्टाफ के बैंकिंग ज्ञान में

वृद्धि करने के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाए। परीक्षा को बैंकिंग कामकाज के समय के बाद नियत किया है, ताकि स्टॉफ परीक्षा में बैठ सकें।

3. अलग-अलग (इंडिविजुअल) नियंत्रण विवरणियाँ :

शाखाएं बीएमडीपी ऑनलाइन प्रस्तुत कर रही है। जहां कहीं शाखा प्रबंधक के विवेकधारियों से 25% अधिक के ऋण मंजूर किए जाते हैं, उन्हें अलग नियंत्रण विवरणी (आईसीआर) प्रस्तुत करनी पड़ती है। अभी तक शाखाएं प्रत्यक्ष / हार्ड कॉपी के रूप में आईसीआर प्रस्तुत करती थी। हमने टूंगल के जरिए आईसीआर प्रस्तुत करने के लिए एक आंतरिक टूल विकसित किया है। इसकी सहायता से, शाखाएं अपने अपने नियंत्रकों को समय पर आईसीआर भेजने में समर्थ हैं।

4. वृद्धित एफ आई डैश बोर्ड:

हमने वित्तीय समावेशन उत्पादों से संबंधित प्रगति की निगरानी के लिए जैसे अटल पेंशन योजना (ए पी वाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), सीएसपी प्वाइंट्स लॉगइन स्टेटस, सीएसपी द्वारा किए गए लेनदेनों की संख्या तथा दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक अंतरालों पर एसबीआई, नाबार्ड तथा आरबीआई को स्वतः विनियमित विवरणियों को प्रस्तुत करने हेतु वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड विकसित किया है।

हम अपने वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड में निम्नलिखित रिपोर्ट प्रदर्शित कर रहे हैं:

1. एपीवाई पीएमजेबीवाई / पीएमएसबीवाई शाखावार तथा क्षेत्रवार।
2. शाखा और क्षेत्रों द्वारा सीएसपी दौरे।
3. सीएसपी दैनिक लॉगइन स्थिति एवं लेनदेन।
4. हरित चैनल काउंटर (शाखाओं में सूक्ष्म एटीएम लेनदेन) लेनदेन।

5. मोबाइल एटीएम वैन लेनदेन विवरण।
6. पीएमजेबीवाई शून्य शेष, मोबाइल सीड नहीं किए गए, आधार सीड नहीं किए गए, निष्क्रिय खाते तथा कुल पीएमजेबीवाई खातों की सूची।
7. केंद्रों से अध्ययनों पर आधार नामांकन रिपोर्ट, नए नामांकन और बीजीएल में प्राप्त राशि।
8. ए पी वाई गैर सतत रिपोर्ट (गैर सतत शब्द का अर्थ है अनियमित ए पी वाई खाते)।
9. ए पी वाई, पीएमजेबीवाई तथा पीएम एसबीवाई खातों का समाधान।

5. बैंक की वेबसाइट में ऋण के लिए आवेदन करना:

हमारी बैंक वेबसाइट www.tgbhyd.in (ऋण पूछताछ) पर ग्राहक को ऋण अनुरोध करने के लिए विकल्प दिया गया है। संबंधित शाखा एवं क्षेत्र को एक ईमेल तथा एस एम एस भेजा जाएगा।

6. डिजिटल अपनाये अभियान डैशबोर्ड:

वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा प्रारंभ किए गए डिजिटल अपनाये अभियान के लिए शाखाओं की प्रगति की निगरानी करने के लिए डिजिटल अपनाये अभियान डैशबोर्ड विकसित किया गया है।

7. नेटवर्क लिंक:

हमने नेटवर्क लिंकों के विभिन्न प्रकारों के विवरण जानने के लिए एक टूल विकसित किया है। यह विक्रेताओं द्वारा लाई गई नेटवर्किंग इनवाइसों की प्रति जांच करने में भी सहायता करता है।

8. एडीसी डैशबोर्ड:

विकल्प सुपुर्दगी चैनल डैशबोर्ड एटीएम अर्जनकर्ता, एटीएम ईश्युर, पी ओ एस, ई-कॉमर्स, ईपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, आइएमपीएस एण्ड यूपीआई के लिए श्रेणीवार तथा और अवधिवार लेनदेनों का सारांश प्रदर्शित करता है।



9. पीएमजेजेबीवाई तथा पीएम एसबीवाई- सामाजिक सुरक्षा योजना-साप्ताहिक रिपोर्ट:

वित्तीय सेवाएं विभाग की साप्ताहिक रिपोर्ट जिलावार, ग्रामीण / शहरवार, लिंगवार आधार पर प्रजनित होती है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन नामांकित किए गए आधार मोबाइल सीड किए गए खातों की संख्या भी दी जा रही है।

10. गृह निर्माण ऋण श्रेणीकरण तथा पीएमएवाई स्टेटस डेशबोर्ड:

हमने पीएमएवाई के अधीन पात्र तथा आवास ऋण को विभिन्न श्रेणियों यानी शहरी, ग्रामीण, महानगरीय एवं अर्ध महानगरीय में श्रेणीबद्ध करने के लिए एक टूल विकसित किया है। पीएमएवाई के लिए भेजे गए तथा प्राप्त दावे के विवरण इसमें लिए जाते हैं।

11. सीकेवाईसी दस्तावेजों की स्कैनिंग के लिए एंड्राइड आवेदन पत्र :

पृष्ठभूमि : भारतीय रिजर्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार, 01-04-2017 के बाद खोले गए खातों के संबंध में फोटो, पहचान का प्रमाण तथा पते का प्रमाण के बारे में स्कैन किए गए दस्तावेजों की छवि यानी फोटो सीकेवाईसी संख्या के प्रजनन के लिए सी ई आर एस ए पोर्टल में अपलोड किए जाते हैं।

चुनौती : हस्ताक्षर स्कैनिंग के लिए प्रयुक्त शाखाओं में वेबकैम इमेज (छवि) गुणवत्ता, मैनुअल कंप्रेसिंग, इमेज (छवि) का आकार पुनः बदलने (रिसाइजिंग) तथा सीई आर एस ए आई द्वारा निर्धारित अनुसार बहुविध केवाईसी दस्तावेजों का विलय करने की सीमाएं हैं। प्रक्रिया बोज़िल तथा समय लगने वाली है।

समाधान: आईटी टीम द्वारा सी-केवाईसी मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिसमें अपेक्षित विशेष विवरणों यानी छवि को कम्प्रेस करना आकार बदलना, बहुविध केवाईसी दस्तावेजों का विलय

करने के बारे में ध्यान रखा गया है और सुनिश्चित करता है कि दस्तावेज सीकेवाईसी पोर्टल में सफलतापूर्वक अपलोड किए जाते हैं।

मोबाइल आईपीएस की वाइटलिस्टिंग, इंड टू इंड इंफ्रीप्सन तथा अनुचित रोकथाम प्रणाली जैसे सुरक्षा लक्षणों का ध्यान रखा गया है।

प्रयुक्त तकनीकी-फ्लैट्टर, प्रमाणीकरण के लिए फायरबेस, एसएफटीपी तथा आईपीएस।

लाभ : सीआईएफ के लिए दस्तावेजों को स्कैन करने में लगने वाला समय एक मिनट से भी कम है। इस एप ने शाखाओं में अमूल्य समय बचाने तथा मानव शक्ति का प्रभावी प्रयोग करने में सहायता की है। इसके फलस्वरूप स्कैनरों को प्राप्त करने का खर्च नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण, इससे सी ई आर एस ए आई द्वारा लगभग शून्य अस्वीकरण हुआ है।

परिणाम : सीकेवाईसी अद्यतन के लिए कुल मिलाकर 350000 सीआईएफ तथा करीब 1050000 इमेज उपलब्ध कराई गई। इससे बैंक की करीब रु.60 लाख की बचत हुई।

12. आविष्कार : विभाग अनुरोध ट्रेकर :

प्रधान कार्यालय में विभागों की आवश्यकताओं को अभिग्रहण करने के लिए आवेदन पत्र । सॉफ्टवेयर विकास जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं यानी आवश्यकता विश्लेषण, विकास, प्रयोक्ता स्वीकरण, जांच तथा गो-लाइव को शामिल और अधिग्रहित किया गया है।

13. इनवॉइस प्रबंधन टूल :

सभी आईटी सेवाओं के संबंध में सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत बीजकों के विवरणों को अभिग्रहण करने के लिए एक टूल प्रस्तुत किया गया है, जो एस एलए के साथ बीजकों की खोज तथा भुगतान नोटों को प्रजनित करने में सहायता करता है। सभी आईटी संबंधी खर्चों के संबंध में एमआईएस।

14. केवाईसी डैशबोर्ड :

हमने अनिर्णीत सी के वाई खातों की सूची, गैर केवाई खातों तथा ई केवाईसी के जरिए खोले गए खातों की सूची को प्रदर्शित करने के लिए एक टूल विकसित किया है। यह शाखाओं की केवाईसी मानदंडों का अनुपालन करने में सहायता करता है।

15. ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन टूल :

ग्राहकों को हमारे बैंक की वेबसाइट www.tgbhyd.in पर अपनी शिकायतें करने का विकल्प दिया गया है। निपटान के लिए शाखा, क्षेत्र तथा प्रधान कार्यालय को एक एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2019-20 अवधि के लिए आईबीए अवार्ड 2021 :

- आरआरबी खंड के अधीन सर्वोत्तम आईटी जोखिम एण्ड साइबर सुरक्षा पहलों में विजेता (विनर)।
- आरआरबी खंड के अंतर्गत सर्वोत्तम डिजिटल वित्तीय समावेशन पहलों में रनर अप।

मानव संसाधन प्रबंधन :

वर्ष 2020-21 की समप्ति पर, स्टाफ संख्या (सेवा-निवृत्ति / पद-त्याग के कारण मार्च 2021 में बैंक सेवाओं को छोड़ने वाले व्यक्तियों को छोड़कर एवं उसका संघटन निम्नवत है :

क्र. सं.	संतर्ग	31.03.2021
1	अधिकारी वेतनमान - V	5
2	अधिकारी वेतनमान - IV	34
3	अधिकारी वेतनमान - III	137
4	अधिकारी वेतनमान - II	238
5	अधिकारी वेतनमान - I	715
6	कार्यालय सहायक	569
7	कार्यालय परिचायक	33
	कुल	1731

नये और पुराने कर्मचारियों की स्थिति :

वर्ष	नये	पुराने	कुल
2013-14	154	992	1146
2014-15	412	967	1379
2015-16	529	929	1458
2016-17	565	900	1465
2017-18	636	842	1478
2018-19	987	803	1790
2019-20	1085	669	1754
2020-21	1358	373	1731

वर्ष के दौरान, 47 कर्मचारी बैंक की सेवा से निवृत्त हुए हैं। 42 कर्मचारियों ने त्यागपत्र दिया है, 7 कर्मचारियों ने वी आर एस लिया है। 3 कर्मचारियों को सेवा से हटाया गया है। 5 कर्मचारियों का वर्ष के दौरान देहान्त हो गया है।

भर्तियाँ

2009-10 से बैंक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित थोराट समिति की सिफारिशों के अनुसार, वर्तमान में मित्रा समिति सिफारिशों के अनुसार, प्रतिवर्ष 31 मार्च को श्रमशक्ति आकलन एवं आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए आई.बी.पी.एस. के माध्यम से स्टाफ भर्ती करता आ रहा है। पिछले सात वर्षों में बड़ी संख्या में ऐसे स्टाफ सदस्य सेवा-निवृत्त हुए हैं

जिन्होंने तत्कालीन आर.आर.बी यों में 1980 के दशक के उत्तरार्ध में कार्यग्रहण किया था।

तदनुसार 31.03.2020 को यथास्थिति व्यवसाय परिमाणों के आधार पर, बैंक ने विभिन्न श्रेणियों में कर्मचारी - दल में वृद्धि हेतु भर्ती प्रक्रिया आरंभ कर दी है, इसमें सामान्य बैंकिंग में स्केल-II तथा स्केल -III अधिकारियों की तथा विधि, आई.टी., विपणन, कोष, सी.ए. आदि में विशेषज्ञ अधिकारियों की पार्श्वीय भर्ती शामिल है।



क्र. सं.	संतर्ग	वर्ष के दौरान भर्ती किए गए अभ्यर्थियों की संख्या
1	कार्यालय सहायक	58
2	अधिकारी वेतनमान -I	21
3	अधिकारी वेतनमान -II	7
4	अधिकारी वेतनमान -III	3

बैंक नई भर्तियों को कौशलता प्रदान करने और दैनंदिन कार्य निपुणता से संभालने और विद्यमान कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षित करके व सभी क्षेत्रों में जानकारियाँ प्रदान करने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। सभी भर्तियाँ आई.बी.पी.एस. द्वारा आयोजित साक्षात्कार सहित सामान्य लिखित परीक्षा (कॉमन रिटर्न टेस्ट) के माध्यम से पूरी की गई है।

पदोन्नतियाँ :

स्टाफ को समय पर तुरंत पदोन्नतियाँ देने की बैंक की नीति को ध्यान में रखते हुए, हमने 31.03.2020 को यथास्थिति श्रमशक्ति आकलन की दृष्टि से पदोन्नति प्रक्रिया आरंभ की है एवं विभिन्न संवर्गों के 78 कर्मचारियों को अगले उच्चतर संवर्ग में पदोन्नत किया है। पदोन्नति के लिए आईबीपीएस द्वारा लिखित परीक्षा का आनलाइन आयोजन किया गया।

क्र. सं.	पदोन्नति की श्रेणी	पदों की संख्या
1	अधिकारी वेतनमान -I	14
2	अधिकारी वेतनमान-II	23
3	अधिकारी वेतनमान-III	29
4	अधिकारी वेतनमान-IV	10
5	अधिकारी वेतनमान-V	2
6	कार्यालय सहायक	0
	कुल	78

बैंक ने पदोन्नति के लिए पात्र सभी अनु. जाति / अनु. जन जाति अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से पहले पदोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण देने की सांविधिक आवश्यकता की पूर्ति की है। इससे लिखित परीक्षा देने के लिए अनु. जाति/ अनु. जन जाति /अ. पि. वर्ग अभ्यर्थियों को बेहतर तैयारी करने की सुविधा प्राप्त हुई है।

प्रशिक्षण - स्टाफ ज्ञानार्जन केंद्र :

बैंक ने एक प्रशिक्षण नीति तैयार की थी जो सभी स्टाफ सदस्यों को कम-से-कम तीन वर्षों में एक बार प्रशिक्षण देने की परिकल्पना करती है। वर्ष के दौरान, कोविड-19 महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए, हमारे बैंक ने 216 स्टाफ सदस्यों को विभिन्न केन्द्रों में प्रत्यक्ष/ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया। सहभागियों में सभी संवर्गों के स्टाफ सदस्य (अधिकारी- 162 और कार्यालय सहायक - 54 शामिल हैं।

बैंक ने वसूली प्रबंधन, एएमएल, एएलएम, केवाईसी, आरटीआई अधिनियम, राजकोष प्रबंधन, व्यवसाय विकास, ए एम एल-एच यू बी को ऋण मूल्यांकन नैपुण्य, इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर बीआईआरडी (लखनऊ), आरबीआई (सीएबी, पुणे), बीआईआरडी (मंगलूरु), एसबीआईआरबी, गच्ची बौली, हैदराबाद, एसबीआईएलडी, वेस्ट मारेडपल्ली, सिकंदराबाद और वरंगल केन्द्र जैसे प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों में 118 अधिकारियों को, खास तौर पर उच्च पदों के अधिकारियों को प्रतिनियुक्त कर के प्रशिक्षण दिलाया है।

महिला कर्मचारियों के प्रति हमारा बैंक निरंतर ध्यान दे रहा है। कुल कर्मचारियों में उनका अंश 23.66% बनता है। सगठन में महिला शक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए बैंक ने कई प्रयास किए हैं। वे अधिक प्रतिभाशाली और उद्यमशील हैं। यह अभिनंदनीय विषय है कि अधिकांश महिला अधिकारी शाखा प्रबंधक और क्षेत्र अधिकारियों के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए आगे आई है। बैंक की

प्रगति की कहानी में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त एस बी आई सी बी बेगमपेट, हैदराबाद में सभी महिला अधिकारियों के लिए कार्य एवं जीवन संतुलन विषय एक पूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है।

आंतरिक शिकायत समिति

कार्य स्थानों पर महिला कर्मचारियों के प्रति लैंगिक उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निपटान) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए महिला कर्मचारियों के लिए बैंक में हमने एक सुरक्षित कार्य परिवेश का वातावरण उपलब्ध कराया है। लैंगिक उत्पीडन की शिकायतों को निपटाने के लिए 7 क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय में हमने आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। दोनों स्त्री-पुरुष कर्मचारियों को इस संबंध में सुग्राहित कर रहे हैं कि कार्य परिवेश में स्वच्छ और स्नेह पूर्वक वातावरण बनाये रखे।

कर्मचारी कल्याण उपाय

मेडिकलेइम पॉलिसी:

भारत सरकार के पत्र संख्या एफ 8/1/2015 आरआरबी दिनांक 20.10.2016 के अनुसार, हमारे बैंक ने 10 वें द्विपक्षीय समझौते के अनुसार अपने अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उन पर आश्रित पारिवारिक सदस्यों के लिए अनुसूची IV में बताये अनुसार मेडिकल बीमा योजना लागू की है। योजना कर्मचारी + उसके जीवन साथी + आश्रित बच्चे + 2 आश्रित माता / पिता या सास / ससुर को कवर करती है। बीमा राशि अधिकारियों के लिए और कर्मचारियों के लिए क्रमाशः रु.4.00 लाख और रु.3.00 लाख है। हमने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए क्रमशः रु.4.00 लाख एवं रु.3.00 लाख तक के अतिरिक्त खर्च को कवर करने के लिए कारपोरेट बफर भी लिया है। यदि अस्पतालीकरण व्यय बीमा कृत राशि से बढ़ता है

सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों सहित अनुमोदित अस्पताल में फौरन और झंझट-मुक्त भर्ती तथा नकद रहित सुविधा को सुगम बनाने के अतिरिक्त यह योजना 10 प्रतिशत की बीमा राशि तक घरेलू चिकित्सा व्यय को भी कवर करती है। योजना के अंतर्गत पारिवारिक सदस्यों सहित लगभग 6712 कर्मचारी इस योजना के अंतर्गत कवर किए गए।

सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी

हमारे अधिकतर कर्मचारी युवा पीढ़ी के हैं और विभिन्न कार्यालयीन कामकाज के लिए, यानी नकद प्रेषण, वसूली और इकाइयों के निरीक्षण हेतु क्षेत्रों के दौरे, समीक्षा बैंटकों आदि के लिए अक्सर सड़क यात्रा करते हैं। इस संदर्भ में वे सड़क दुर्घटनाओं के और मौत दुर्घटना जोखिम का सामना भी करते हैं।

कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना का सृजन करने तथा स्टाफ सदस्यों के मनोबल को बढ़ाने के लिए प्रति कर्मचारी रु.15 लाख की बीमित राशि के लिए हमने सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी को लिया:

जीटीएलआई :

ऋण संबद्ध बीमा पॉलिसी:

हमने स्टाफ सदस्यों द्वारा स्वयं निधीयन आधार पर प्राप्त किए ऋणों के लिए बकाया राशियों पर बीमा कवरेज सुरक्षित किया है।

उपदान पेंशन तथा छुट्टी नकदीकरण निधि :

बैंक ने उपदान, पेंशन, छुट्टी नकदीकरण के संबंध में अनंतिम प्रावधान संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखा है। 31.03.2021 को कुल कार्पस उपदान के संबंध में रु.65.55 करोड़, पेंशन के लिए रु.363.10 करोड़ तथा छुट्टी नकदीकरण के मद में कुल निधि की राशि रु.37.43 करोड़ है।

औद्योगिक संबंध :

प्रबंधन एवं अधिकारी संघ तथा कर्मचारी संघ ने स्टाफ सदस्यों के कल्याण तथा कारोबार विकास के लिए मिल कर कार्य किया है और वर्ष के दौरान उभरे सामान्य मुद्दों के सौहार्द पूर्ण समाधान प्रस्तुत किए हैं। वर्ष के दौरान मैत्रीपूर्ण एवं मिलनसार परिवेश जारी रहा है।

एस.सी. / एस.टी. तथा ओबीसी कर्मचारियों के लिए कल्याण:

बैंक ने एस.सी. / एस.टी. कल्याण संघ तथा ओबीसी कल्याण संघ के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाये रखे हैं, तथा भर्ती, पदोन्नति आदि सभी पहलुओं में संवैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। उनकी शिकायतों के निवारण के लिए बैंक ने कल्याण संघों तथा संपर्क अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें की है। बैंक ने अपने कर्मचारियों का मनोबल तथा प्रेरणा को उन्नत रखने के लिए सभी उपाय किये हैं।

सेवानिवृत्ति लाभ का निपटान :

बैंक ने एक नीति बनायी है कि सभी सेवानिवृत्ति लाभों को कर्मचारी सदस्यों की सेवानिवृत्ति तिथि को निपटाने जाना है। इसे सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्रिया सेवानिवृत्ति के दो महीने पहले शुरू होती है, ताकि सेवानिवृत्ति की तिथि को भुगतान करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी हों।

कर्मचारी सदस्यों को पेंशन भुगतान:

सेवा निवृत्त / मृतक कर्मचारियों के पेंशन भुगतान हेतु बैंक ने भारत सरकार के दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 के पत्र संख्या एफ.20/2010 - आरआरबी में निहित अनुदेशों का कार्यान्वयन किया। यह 01.04.2018 से प्रभावी है। बैंक ने पेंशन भुगतान देयता के प्रति रु.313 करोड़ के मूल्य का (बीमांकिक मूल्य) प्रावधान किया।

अनुकंपा के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति योजना:

भारत सरकार के पत्र संख्या 7/38/2014 - आरआरबी दिनांक 31.12.2018 में निहित अनुदेशानुसार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में लागू अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए योजना के अनुरूप एक संशोधित नमूना योजना बैंक ने कार्यान्वित की। हमारे बैंक में दोनों विकल्प, यानी अनुकंपा नियुक्ति / अनुकंपा नियुक्ति के बदले में एक मुश्त उपदान का भुगतान उपलब्ध है।

बोर्ड:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बैंक ने निदेशक मंडल की 6 बैठकें आयोजित की।

स्थानांतरण और सेवा निवृत्तियों के कारण बोर्ड के संघटन में निम्न परिवर्तन हुए हैं और उनके स्थान पर नये निदेशक नामित हुए हैं:

1. श्री प्रफुल्ल कुमार जेना, उप महाप्रबंधक (एफआईएमएम), भारतीय स्टेट बैंक, एलएचओ, हैदराबाद को श्री ज्योतिप्रकाश रामन, उप महाप्रबंधक (ए बी यू), भारतीय स्टेट बैंक, एलएचओ, हैदराबाद के स्थान पर प्रायोजक बैंक द्वारा निदेशक के रूप में नामित किया गया है, जो बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।
2. श्रीमती जे सविता श्री, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक हैदराबाद को श्री सी नागेश्वर राव, उप महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक के स्थान पर उनकी अवधि पूर्ण होने पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
3. श्री मनमंजन मिश्रा, सहायक महा प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, हैदराबाद को श्रीमती जे सविता, सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निदेशक के रूप में नामित किया गया है, जिनका अप्रत्याशित देहावसान के कारण स्वर्गवास हो गया।

4. श्री दिनकेर अर्गल, उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट केंद्र, मुंबई को श्री एस गणेशन, महाप्रबंधक (ए&एस) के स्थान पर प्रायोजक बैंक द्वारा निदेशक के रूप में नामित किया गया है, जो बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।
5. श्री पी एम पात्रो, उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक (ए और एस), मुंबई को श्री दिनकेर, उप महाप्रबंधक (ए और एस) मुंबई के स्थान पर एसबीआई आदेशों के अनुसार निदेशक के रूप में नामित किया गया है।

बैंक रिपोर्ट अधीन वर्ष के दौरान सेवा निवृत्त हुए निदेशकों द्वारा प्रदत्त अमूल्य सेवाओं और मार्गदर्शन के लिए अपनी प्रशंसा तथा कृतज्ञता प्रकट करता है।

सतर्कता व्यवस्था

प्रत्येक वित्तीय संस्था के लिए वित्तीय सतर्कता प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और हम इसके अपवाद नहीं हैं। वर्तमान संदर्भ में जैसे-जैसे बैंक का आकार बढ़ता जा रहा है, नये और नवयुवको की भर्ती होने से, जो बैंक के कुल स्टाफ का 80% से अधिक है, सतर्कता की भूमिका और अहम हो जाती है, सभी गतिविधियों में सतर्कता बरतने के साथ-साथ व्यवस्था और प्रक्रियाओं के अनुपालन में कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के साथ साथ निवारक सतर्कता बरतना बैंक का मुख्य क्षेत्र रहा है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको में सतर्कता प्रशासन को और सशक्त करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक, कारपोरेट केन्द्र, मुंबई में अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी (एसीवीओ) की नियुक्ति होने से, बैंक के सतर्कता प्रशासन में 15.02.2021 से कुछ परिवर्तन हुए हैं।

महाप्रबंधक(सतर्कता) की अध्यक्षता में सतर्कता विभाग, जिनको प्रायोजक बैंक द्वारा नियुक्त किया जाता है, सीधे

अध्यक्ष के अधीन कार्य करते हैं। अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी, सतर्कता विभाग, एसबीआई, कारपोरेट केन्द्र, मुंबई सतर्कता मामलों से सम्बन्धित परामर्श देते हैं और बैंक के सतर्कता प्रशासन कार्य की देखरेख करते हैं।

अतिरिक्त मुख्य सतर्कता अधिकारी (एसीवीओ), मासिक अवधि के आधार पर, लंबित सतर्कता मामलों, शिकायत निवारण नीति और व्हिसिल ब्लोर नीति के कार्यान्वयन, लंबित शिकायतों, निवारण सतर्कता समिति (पीवीसी) की बैठकों, सतर्कता विभाग के अधिकारियों द्वारा शाखाओं के नियमित निवारक दौरों, कार्य आवर्तन, सभी अधिकारियों द्वारा आस्ति और देयता विवरणों की प्रस्तुति की समीक्षा करते हैं और अपने प्रेक्षण, यदि कोई हों तो उन्हें सूचित करते हैं।

बैंक ने निवारक सतर्कता समिति के दिशानिर्देशों को प्रचारित-प्रसारित करने, स्टाफ को परामर्शी सूचनाएं देने और सतर्कता संबंधी अन्य गतिविधियों के लिए एक सतर्कता पोर्टल प्रारंभ किया है। सतर्कता पोर्टल में सतर्कता विभाग से संबंधित सभी परिपत्र भी शामिल किए गए हैं। बैंकिंग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से पोर्टल पर निवारक सतर्कता पर एक ऑनलाइन क्विज भी होस्ट किया गया।

शाखाओं के कार्यवृत्तों के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय में समीक्षा की जाएगी और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों की टिप्पणियों के आधार पर प्रधान कार्यालय पीवीसी समिति द्वारा तिमाही में एक बार प्रधान कार्यालय स्तर पर समीक्षा की जाएगी।

महाप्रबंधक (सतर्कता) भी क्षेत्रीय कार्यालयों की कुछ समीक्षा बैठकों में वर्चुअली भाग लेते हैं और निवारक



सतर्कता मामलों और बैंक द्वारा निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के महत्व का परामर्श देते हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020-21

प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा शाखाओं में बैनर लगा कर नई स्फूर्ति तथा अधिकतम सहभागिता सहित “सतर्क भारत, समृद्ध भारत (विजिलेंट इंडिया, प्रॉस्पर्स इंडिया)” प्रमुख उद्देश्य के साथ दिनांक 27-10-2020 से 02-11-2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया

गया। सभी स्टाफ सदस्यों ने सप्ताह के दौरान ई-शपथ ली। सतर्कता विभाग ने बैंक के पोर्टल के जरिये स्टाफ सदस्यों के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की तथा सभी स्टाफ सदस्यों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। बैंक ने सतर्कता के मामलों के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने और अपने दैनंदिन परिचालनों में सतर्कता बरतने के संबंध में जागरूक करने के लिए सभी नए भर्ती स्टाफ सदस्यों के साथ क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर अनेक आभासी बैठकें आयोजित की।

आभारोक्तियाँ

निदेशक मंडल बैंक द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करता है, जिसकी वजह से वे बेहतर कार्य निष्पादन प्रदर्शित कर सके। निदेशक मंडल बैंक के साथ हमेशा जुड़े ग्राहकों से प्राप्त निरंतर विश्वास और संरक्षण के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता है। बोर्ड भविष्य में भी अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने की अपनी वचनबद्धता को दुहराता है।

बोर्ड भारत सरकार, तेलंगाना राज्य सरकार और भारतीय स्टेट बैंक को सभी स्तरों पर बैंक की प्रगति के लिए दिए गए उनके सहयोग के लिए धन्यवाद अर्पित करता है।

बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक को भी समय समय पर उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए धन्यवाद व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल पूर्ववर्ती आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद रंगारेड्डी एवं हैदराबाद जिलों के जिलाधीश और जिला मेजिस्ट्रेटों तथा जिला प्रशासन को, बैंक को हमेशा दी गयी उनकी निरंतर सहायता के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है।

केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षक मेसर्स सागर एण्ड एसोसिएट्स एवं शाखा लेखा परीक्षकों को उनके सहयोग, मार्गदर्शन एवं समय पर लेखा परीक्षा कार्य पूरा करने के लिए बोर्ड इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है।

निदेशक बोर्ड बैंक के सभी स्टाफ सदस्यों के प्रति, बैंक की प्रगति और कार्यनिष्पादन में, उनके समर्पित योगदान की प्रशंसा ज्ञापित करता है। उनके अनवरत प्रयासों के कारण हुआ है कि बैंक ने इस वर्ष अच्छा कार्य निष्पादन दर्शाया है और समझौता ज्ञापन के अधीन कई मानदंडों में लक्ष्यों को पार किया। बोर्ड भविष्य में भी बैंक के समग्र विकास के लिए उनके समर्पित सहयोग और निरंतर प्रयासों की कामना करता है।

कृते निदेशक मंडल



वी. अरविंद

अध्यक्ष

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति महोदय

वित्तीय विवरणियों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट

राय

- हमने तेलंगाना ग्रामीण बैंक (बैंक) की वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है। इन विवरणियों में 31.03.2021 को तुलन-पत्र और उस वर्ष को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरणी और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का संक्षिप्त सार सहित उक्त वर्ष की वित्तीय विवरणियों पर टिप्पणियाँ और अन्य स्पष्टीकरण सूचना सम्मिलित है, जिनमें उसी दिन को समाप्त वर्ष के लिए हमारे द्वारा लेखा परीक्षित 25 शाखाओं, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित 273 शाखाओं की विवरणियाँ शामिल हैं। हमने तथा अन्य लेखा परीक्षकों ने जिन शाखाओं की लेखा परीक्षा की, बैंक द्वारा उनका चयन राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया गया है। साथ ही 179 शाखाओं की विवरणियाँ भी तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरणी में शामिल की गयी, जिनकी लेखा परीक्षा नहीं की गयी है। लेखा परीक्षित नहीं की गई इन शाखाओं का अग्रिमों में 25 प्रतिशत, जमाराशियों में 26 प्रतिशत, ब्याज आय का 25 प्रतिशत तथा ब्याज व्यय का 27 प्रतिशत हिसाब बनता है।
- हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणियाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी परिपत्रों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप बैंक के लिए अपेक्षित

अनुसार सूचना प्रदान करती हैं और वे सामान्यतया भारत में स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुरूप हैं तथा वे..

- महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और तुलन पत्र की गई टिप्पणियों के साथ पठित तुलन पत्र पूर्ण एवं सही तुलन पत्र है, जिसमें सभी आवश्यक विवरण सम्मिलित है और 31 मार्च, 2021 को बैंक के व्यवहारों का सही और उचित चित्र दर्शाने के लिए उसे समुचित रूप से तैयार किया गया है।
- महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और टिप्पणियों के साथ पठित लाभ-हानि लेखा लाभ के सही शेष दर्शाता है और
- उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण सही और समुचित नकदी प्रवाह का चित्र दर्शाता है।

राय का आधार

- हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के द्वारा जारी किए गए लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा की है। उक्त मानकों के अंतर्गत अपने दायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणियों के अनुभाग के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व में और दर्शाया गया है। भारत में वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा के संदर्भ में अपेक्षित नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक गुणों के अनुसार हम बैंक से स्वतंत्र हैं तथा हमने अपने अन्य नैतिक दायित्वों को उक्त आवश्यकताओं और नैतिक कूटों के अनुसार पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा प्रमाण प्राप्त किए हैं, वे लेखा परीक्षा के बारे में अपनी राय हेतु पर्याप्त और समुचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

महत्वपूर्ण विषय

- हम 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय



विवरणियों की अनुसूची-18 की टिप्पणी संख्या-17 की ओर ध्यान दिलाते हैं, जिनमें शाखा लेनदेन, अंतर कार्यालय खाते, उचंत, विविध जमाएं रु. 372.26 लाख (जमा) की सीमा तक के समाशोधन समायोजन लंबित समाधान वर्णित हैं।

5. हम 31.03.2021 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणियों की अनुसूची 18 की टिप्पणी संख्या 2.10 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो पात्र किसानों के लिए मंजूर की गयी वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक वड्डिलेनि ऋणालु से संबंधित है और उस संबंध में बैंक को अभी रु. 6385.33 लाख का ब्याज अनुदान प्राप्त

होना है। तेलंगाना राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली इस राशि को बैंक ने पूर्णतया वसूली योग्य माना है। इन मदों के संदर्भ में हमारी राय अर्हित नहीं है।

लेखा परीक्षा के महत्वपूर्ण विषय

6. हमारे व्यावसायिक निर्णय में महत्वपूर्ण विषय ऐसी मदें हैं, जो वर्तमान अवधि की वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में तथा उन पर निर्णय लेते समय अपनी राय बनाने में हमने इन विषयों को पूर्ण रूप से निपटाया है तथा इन मदों पर हम अलग राय नहीं देते हैं।

लेखा परीक्षा के महत्वपूर्ण मद	उसका निपटान कैसे किया गया
<p>ऋण और अग्रिम के वर्गीकरण में यथार्थता और उनके लिए प्रावधान व्यवस्था तथा आय की पहचान</p> <p>भारतीय रिजर्व बैंक / नाबार्ड के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण और अनर्जक अग्रिमों की पहचान तथा उनके लिए प्रावधान।</p> <p>अग्रिमों में नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मांग पर प्रतिदेय ऋण और सावधि ऋण शामिल हैं।</p> <p>बैंक की कुल आस्तियों में अग्रिम 64% बनते हैं। इन अग्रिमों को अन्य बातों के साथ साथ, आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (आईआरएसी) मानदंडों और समय समय पर भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी परिपत्र और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप शामिल किया जाता है। जो अग्रिमों के अर्जक और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धांत प्रदान करते हैं। बैंक इन अग्रिमों का आईआरएसी मानदंडों पर आधारित अपनी लेखा नीति संख्या 3 के अनुसार वर्गीकरण करता है।</p> <p>अर्जक और अनर्जक आस्तियों की पहचान के लिए समुचित मेकानिज्म की व्यवस्था आवश्यक है। बैंक अपनी</p>	<p>ऋणों के प्रति हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में</p> <p>भारतीय रिजर्व बैंक / नाबार्ड के द्वारा जारी किए गए अन्य संबंधित परिपत्र निदेशों के साथ-साथ आईआरएसी मानदंड, तथा बैंक की आंतरिक नीतियाँ और प्रक्रियाएं परीक्षण में निम्नानुसार शामिल की गयी :</p> <ul style="list-style-type: none"> हमें आबंटित शाखाओं के संबंध में आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आय पहचान, अर्जक और अनर्जक आस्तियों का वर्गीकरण और उन पर प्रावधान करते हुए सिस्टम में डाटा की यथार्थता निविष्ट की गई। बैंक की नीति और प्रक्रिया के अनुसार निगरानी मेकानिज्म का अस्तित्व और प्रभावशीलता जैसे, आंतरिक लेखा परीक्षा, सिस्टम लेखा परीक्षा, क्रेडिट आडिट, स्नेप आडिट, संगामी लेखा परीक्षा आदि बैंक के निगरानी तन्त्र और नाबार्ड निरीक्षण के अनुसार की गयी विभिन्न लेखा परीक्षाओं के अनुपालन के मद्देनजर हमने अग्रिमों पर उपलब्ध पर्याप्त प्रक्रियायें तथा अनुपालन और उनकी प्रकृति, अवधि और सीमा के निर्धारण के लिए विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों के प्रभावीपन की जांच पडताल की है।



सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी प्रणाली) अर्थात् कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में अग्रिमों से संबद्ध सभी लेनदेनों के लिए जिम्मेदार है, जिनमें बैंक यह भी पहचान करता है कि अग्रिम अर्जक है या अनर्जक। आगे एनपीए का वर्गीकरण आईटी प्रणाली (सीबीएस) के जरिए किया जाता है और अग्रिमों पर प्रावधान (अर्जक या अनर्जक) आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण के अनुसार सिस्टम के बाहर एक्सेल शीट में किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों के अनुसार यदि आय पहचान, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान नहीं किए जाते हैं, तो इसका बैंक के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसे महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा के विषय में विषय के रूप में लिया गया है।

निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशोंकी पहचान और उनके लिए प्रावधानीकरण।

निवेशों में बैंक द्वारा विभिन्न सरकारी प्रतिभूतियों, बन्ध पत्रों, ऋण पत्रों और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में किए गए निवेश शामिल हैं।

बैंक की कुल आस्तियों में निवेशों का अंश 22% बनता है।

ये भारतीय रिजर्व बैंक / नाबार्ड के परिपत्र और निदेशों द्वारा शासित हैं। इन निदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ, निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके प्रति किए गए संबंधित आय की गैर पहचान और प्रावधान शामिल हैं।

उक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा जारी परिपत्र और मार्ग दर्शी सिद्धांतों के अनुरूप किया जाना है, जिनमें एफआईएमएमडीए दर, बीएसई / एनएसई पर कोट की गयी दरें जैसी विभिन्न स्रोतों से संग्रहित डाटा सूचना शामिल है। इस मूल्यांकन में निहित जटिलता और न्याय निर्णयों की सीमा पर, लेनदेनों की मात्रा, हाथ में निवेश और विनियामक दृष्टिकोण पर विचार करते हुए इसे एक महत्वपूर्ण लेखा मुद्दा माना गया। तदनुसार हमारी लेखा परीक्षा में निवेश का मूल्यांकन

- हमें आबंटित शाखाओं में पर्याप्त प्रक्रियाओं की लेखा परीक्षा करते समय हमने सभी बड़े अग्रिमों का परीक्षण किया, जबकि अन्य अग्रिमों का नमूने के आधार पर परीक्षण किया।
- अन्य सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर भी विश्वास किया गया।
- हमने एनपीए के ट्रेकिंग, पहचान और स्टैमिंग के संदर्भ में सीबीएस में अंतर्निहित बिजनेस लाजिक/ मानदंडों के संदर्भ में बाहरी आईटी सिस्टम लेखा परीक्षा की रिपोर्टों पर भी हमने विश्वास किया।
- आईटी सिस्टम के बाहर के प्रावधानों की गणना की प्रक्रिया के सत्यापन, तथा लेखा बहियों से उसकी यथार्थता और समाधान हेतु हमने व्यापक प्रक्रियाओं को अपनाया है।
- अनर्जक निवेशों का मूल्यांकन, वर्गीकरण और उनकी पहचान से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक / नाबार्ड के परिपत्र / निदेशों के संदर्भ में निवेशों के प्रति हमारे लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण में रूप-कल्पना, आंतरिक नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता तथा व्यापक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा तथा परीक्षण शामिल है।
- अनर्जक निवेशों का मूल्यांकन, वर्गीकरण और उनकी पहचान से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक नाबार्ड के परिपत्र निदेशों के अनुपालन के संदर्भ में हमने बैंक के आंतरिक नियंत्रण सिस्टम का मूल्यांकन किया और समझ लिया।
- इन निवेशों के उचित मूल्य का निर्धारण करने हेतु विभिन्न स्रोतों से सूचना की प्राप्ति के लिए अपनायी गयी प्रक्रियाओं का हमने निर्धारण किया और उनका मूल्यांकन किया।
- हाथ में लिए निवेशों के चयनित नमूने के लिए, प्रतिभूति की प्रत्येक श्रेणी का मूल्यांकन फिर से करके हमने भारतीय रिजर्व बैंक / नाबार्ड के मारटर परिपत्र तथा निदेशों के साथ यथार्थता और अनुपालन की जांचकी।

वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान पर जोर दिया गया है।

आगे, बैंक एक्सेल उपकरण में निवेश रजिस्टर का संकलन कर रहा है और उसी उपकरण के सहारे सभी का परिकलन कर रहा है।

प्रत्यक्ष कर सहित कुछ विवादास्पद मामलों के संदर्भ में प्रावधान और आकस्मिक देयताओं का निर्धारण

प्रावधानीकरण स्तर की जाँच के लिए उच्च स्तरीय न्याय निर्णय की आवश्यकता है। बैंक का निर्धारण यथावश्यक मामले की वस्तु स्थिति, उनका अपना न्याय निर्णय, पिछला अनुभव और विधिक और स्वतंत्र कर परामर्शदाताओं की सलाह से समर्थित है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए लाभ एवं तुलन-पत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

इन मामलों से उत्पन्न होने वाले परिणामों की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए हमने उक्त क्षेत्र को महत्वपूर्ण लेखा विषय माना है। जिसके लिए विधि के निर्वचन करने से न्याय निर्णय की आवश्यकता होती है। तदनुसार हमने लेखा परीक्षा का ध्यान विचाराधीन विषय वस्तु की यथार्थता और निहित कानून के न्याय निर्णय / निर्वचनों के विश्लेषण पर केन्द्रित किया है।

नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद किया गया कि निवेशों की सभी प्रकार की श्रेणियाँ (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) नमूने में कवर की गयी हैं।

- भारतीय रिजर्व बैंक / नाबार्ड के परिपत्र /निदेशों के संदर्भ में प्रस्तुतीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हमने निवेशों (एक्सेल उपकरण) और वित्तीय विवरणियों के बीच निवेशों के मैपिंग का परीक्षण किया।

हमारी लेखा परीक्षा विधि में निम्न शामिल है :

- ▲ विवाद/कर निर्धारणों की वर्तमान स्थिति को समझना
- ▲ विविध कर प्राधिकारियों/न्यायिक मंचों से प्राप्त हाल ही के आदेशों और/या सूचनाओं की जाँच करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई
- ▲ मामलों में प्रस्तुत मुद्दों के संदर्भ में विचाराधीन विषय-वस्तु की श्रेष्ठता का मूल्यांकन और उपलब्ध स्वतंत्र विधिक/कर परामर्श और
- ▲ विचाराधीन विषय वस्तु के विवरणों का संग्रहण, विचार विमर्श के जरिए बैंक के विवाद के मूल्यांकन की समीक्षा तथा विश्लेषण करना तथा उन के संभावित परिणाम व इन मामलों पर उभरने वाली संभाव्यताएं।

विश्लेषण शासन से संबंधित प्रबंधन और वित्तीय विवरणियों की जिम्मेदारी सौंपे गए व्यक्तियों का दायित्व :

7. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा नीतियों के अनुसरण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा समय समय पर जारी किए गए परिपत्रों तथा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन और नकद प्रवाह के वास्तविक और समुचित रूप दर्शाने वाली इन वित्तीय विवरणियों को तैयारी हेतु बैंक का निदेशक

मंडल जिम्मेदार है। इस उत्तरदायित्व में, बैंक की आस्तियों के परिरक्षण के लिए और धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण के लिए, समुचित लेखा नीतियों का चयन और लागू करने के लिए, समुचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने और आकलनों हेतु जो तर्कसंगत और विवेकी हों तथा वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए जो संबद्ध आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की संरचना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण, जो वित्तीय विवरणियों की तैयारी और प्रस्तुतीकरण से संबंधित लेखा रिकार्डों की वास्तविकता और संपूर्णता को सुनिश्चित करते हैं तथा वास्तविक और समुचित रूप दर्शाते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटियों की वजह से

वस्तु विसंगतियों से मुक्त है, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा रिकॉर्डों का रखरखाव शामिल है।

प्रबंधन यानी जब तक यह निर्णय नहीं लेता कि वह बैंक का परिसमापन करे और परिचालनों को समाप्त करे या ऐसा करने के सिवाय उनके यहाँ कोई विकल्प नहीं है, इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करते समय, बैंक के एक कार्यशील संस्था के रूप में चालू रहने के लिए बैंक की क्षमता को निर्धारित करने के लिए प्रकटन, यथा लागू कार्यशील संस्था से संबंधित विषय और लेखाओं के आधार पर प्रयोग करने के लिए प्रबंधन उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संदर्भ में लेखा परीक्षकों का दायित्व:

8. हमारा उद्देश्य है कि हम इस आशय का समुचित आश्वासन प्राप्त करें कि वित्तीय विवरणियाँ कुल मिलाकर धोखाधड़ी या त्रुटियों की वजह से महत्वपूर्ण विसंगतियों से मुक्त है और इस संबंध में हमारी राय सहित एक लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। इस संदर्भ में दिया गया समुचित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन है, परंतु यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा विद्यमान महत्वपूर्ण विसंगति को हमेशा पहचानती है। विसंगतियाँ धोखाधड़ी या त्रुटियों के कारण होती हैं। उन्हें महत्वपूर्ण तभी माना जाता है, जब इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के वित्तीय निर्णय पर एकल रूपमें या सकल रूप में पर्याप्त प्रभाव पड़ने की आशंका है।
9. लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा के अंतर्गत हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और लेखा परीक्षा में व्यावसायिक संशयात्मकता अपनाते हैं। इस संदर्भ में हम निम्न मर्दों पर भी विचार करते हैं:

क. वित्तीय विवरणियों की महत्वपूर्ण अयथार्थता के

जोखिमों की पहचान और उनका मूल्य निर्धारण करना चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटी कारण हुई हों और उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का निष्पादन और तैयारी करना तथा ऐसा लेखा साक्ष्य प्रमाण प्राप्त करना, जो हमारी राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित है। धोखाधड़ी द्वारा उत्पन्न वस्तुपरक अयथार्थता की गैर पहचान की जोखिम त्रुटी की वजह से उत्पन्न होने वाली जोखिम से बढ़ी है। चूँकि धोखाधड़ी में साँठ-गाँठ, जाल-साजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रस्तुतीकरण या आंतरिक नियंत्रण की उपेक्षा शामिल हो सकती है।

- ख. लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने की दृष्टि से लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों को विधिवत् समझना, जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त हों।
- ग. प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त किए गए लेखा नीतियों और लेखा आकलनों की समुचितता और संबंधित प्रकटनों का मूल्यांकन।
- घ. प्रबंधन द्वारा कार्यशील संस्था के आधार पर ऐसे लेखों के प्रयोग के औचित्य और प्राप्त किए लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष करना, जहाँ विद्यमान महत्वपूर्ण अनिश्चितता की घटनाएं या परिस्थितियाँ, कार्य शील संस्था के रूप में बने रहने के लिए बैंक की क्षमता पर संदेह प्रकट करता है। यदि हम निर्णय लेते हैं कि महत्वपूर्ण अनिश्चितता विद्यमान है, वित्तीय विवरणियों में संबंधित प्रकटीकरणों में हमें उस पर ध्यानाकर्षित करना आवश्यक है या, यदि ऐसे अप्रकटन अपर्याप्त हैं तो हमारी राय को परिवर्तन करना है। हमारी अद्यतन लेखा परीक्षा रिपोर्ट द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा प्रमाणों के आधार पर हमारे निष्कर्ष निर्भर है। तथापि, कार्यशील संस्था के रूप में बैंक की

निर्भरता भविष्य की घटनाओं और परिस्थितियों पर आधारित है।

उ प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणियों की विषय-वस्तु संरचना तथा समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना तथा यह निश्चित करना कि वित्तीय विवरणियाँ अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का यथोचित प्रतिनिधित्व करते हैं ताकि उनका उचित प्रस्तुतीकरण हो।

10. अपनी लेखा परीक्षा के दौरान शासन से जुड़े ऐसे सभी को, अन्य बातों के साथ साथ योजना का कार्यक्षेत्र और लेखा परीक्षा का समय, लेखा परीक्षा में शिनाख्त की गयी महत्वपूर्ण बातें, आंतरिक नियंत्रण में किसी प्रकार की महत्वपूर्ण कमियों सहित लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ, सूचित करते हैं, जिनकी हमने लेखा परीक्षा के दौरान पहचान की है।
11. हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान शासन से जुड़े ऐसे सभी को स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं जिसका हमने अनुपालन किया है, भी प्रदान करते हैं। उनको हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाली तथा जहाँ कहीं भी लागू, संबंधित सुरक्षा उपायों सहित सभी सम्बन्धों और अन्य मदों की भी सूचना देते हैं।
12. शासन से जुड़े ऐसे सभी व्यक्तियों को सूचित मामलों में से चालू अवधि की वित्तीय विवरणियों में हमारी लेखा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर हम निर्णय करते हैं। अतः वे महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा की मदें हैं। जब तक विधि या नियमन ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटन पर रोक नहीं लगाता है, हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इसका विवरण प्रस्तुत करते हैं, अति-असाधारण परिस्थितियों में, हम यह निर्णय लेते हैं कि अपनी रिपोर्ट में मामले का प्रकटन नहीं किया जाए, चूँकि ऐसे प्रकटन से जनता के हित से ज्यादा उनका दुष्प्रभाव होने की आशा होगी।

अन्य मामला

13. बैंक के वित्तीय विवरणियों की सूचना में शामिल 273 शाखाओं की वित्तीय विवरणियों सूचनाओं की लेखा परीक्षा हमने नहीं की है। इन शाखाओं की वित्तीय विवरणियाँ / वित्तीय सूचना दिनांक 31 मार्च, 2021 को रु.620203 लाख की कुल आस्तियां प्रतिबिंबित करती है। उक्त दिन को समाप्त वर्ष के लिए विचार की गयी वित्तीय विवरणियों में कुल राजस्व रु.65868 लाख है। इन शाखाओं की वित्तीय विवरणियों / सूचनाओं की लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है, जिनकी रिपोर्टें हमें प्रदान की गई हैं। हमारी राय में, इन शाखाओं के संबंध में शामिल की गयी राशियाँ और प्रकटन, केवल उन शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर है।
14. कोविड 19 प्रतिबंधों के कारण, रिपोर्ट अधीन वर्ष के लिए की गई लेखा परीक्षा को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया दूरस्थ स्थानों यानी बैंक की शाखाओं से इतर स्थानों से की गई और उस सीमा तक डाटा / जानकारी डिजिटल माध्यम से प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई।

इन मामलों के संदर्भ में हमारी राय अपरिवर्तित है।

अन्य कानूनी तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

15. बैंक का तुलन-पत्र और लाभ-हानि लेखा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के क्रमशः फार्म ए और फार्म बी में तैयार किए गये है।
16. उक्त अनुच्छेद 4 से 6 तक में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा की सीमा के अधीन रहते हुए और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 द्वारा अपेक्षित अनुसार तथा उसमें निहित प्रकटन की सीमा के अधीन रहते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि -



- क. हमने सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है जो कि लेखा के प्रयोजन हेतु हमारी उत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक हैं तथा हमने उन्हें संतोषजनक पाया है।
- ख. हमारे ध्यान से आए बैंक के लेनदेन बैंक के अधिकारों के अधीन हैं; तथा
- ग. बैंक के कार्यालयों तथा शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त पाई गई है।

17. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

- क. हमारी राय में विधि के अनुसार आवश्यक समुचित बही खाते बैंक द्वारा रखे गये हैं और उन बही खातों के जाँच से यह प्रतीत होता है कि हमारे द्वारा दौरा नहीं की गयी इन शाखाओं से प्राप्त ये बही खाते और समुचित विवरणियाँ हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु पर्याप्त है।

- ख. इस रिपोर्ट के साथ विचार किए गए तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरणी बैंक की लेखा बहियों और हमारे द्वारा दौरे नहीं की गयी शाखाओं से प्राप्त विवरणियों से मेल खाते है।
- ग. शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं की रिपोर्टें हमें प्रस्तुत की गई है और इस रिपोर्ट की तैयारी में हमने उनका समुचित उपयोग किया है और
- घ. हमारी राय में तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकद प्रवाह विवरणी लागू लेखा मानकों का अनुपालन वहाँ तक करते हैं, जहाँ तक वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखा नीतियों से असंगत नहीं हैं।

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 13.05.2021

कृते मेसर्स सागर एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या : 003510 एस
ह/-
(सी. वी. विद्यासागर बाबु)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 027357
यूडीआईएन : 21027357एएएएसीए9086

31.03.2021 को तुलन-पत्र

(रुपये हजारों में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार
पूँजी और देयताएं			
पूँजी	1	180723	180723
आरक्षितियां एवं अधिशेष	2	11434435	8494801
जमाराशियां	3	101091507	89923116
उधार	4	39344221	40784422
अन्य देयताएं एवं प्रावधान	5	1682670	1419179
कुल		153733556	140802241
आस्तियाँ			
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और अतिशेष	6	3973061	3132705
बैंक में अतिशेष और माँग व अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	7	13126810	26469978
निवेश (निवल)	8	33568485	23455650
अग्रिम (निवल)	9	98988311	83460226
अचल परिसंपत्तियाँ	10	317184	291982
अन्य परिसंपत्तियाँ	11	3759705	3991700
कुल		153733556	140802241
आकस्मिक देयताएं	12	118584	117545
वसूली के बिल		0	0
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	17		
लेखों पर टिप्पणियाँ	18		

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन-पत्र के अग्रिम अंग हैं।

हमारी सम दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
कृते मेसर्स सागर एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकर
फर्म पंजीकरण संख्या : 003510 एस
ह/-
(सीए. वी. विद्यासागर बाबु)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 027357

कृते तेलंगाना ग्रामीण बैंक

ह/-
महा प्रबंधक -1

ह/-
अध्यक्ष

ह/-
(श्री वी जनार्दन रेड्डी, आईएएस)
निदेशक

ह/-
(श्री जी सन्तानम)
निदेशक

ह/-
(श्री अनिल कुमार कलभोरे)
निदेशक

ह/-
(श्री पी एम पात्रो)
निदेशक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 13.05.2021

ह/-
(श्री प्रफुल्ल कुमार जेना)
निदेशक

ह/-
(श्री रायी रवि)
अपर सचिव
निदेशक



31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ - हानि लेखा

(रूपये हजारों में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार
I. आय			
(a) अर्जित ब्याज	13	12895927	11104172
(b) अन्य आय	14	2515275	2338663
कुल		15411202	13442835
II. व्यय			
खर्च किया गया ब्याज	15	7147827	6838764
परिचालन व्यय	16	3462273	3498734
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ		830190	426588
कुल		11440290	10764086
III. लाभ / हानि			
वर्ष के लिए निवल लाभ / हानि (-) (कर से पहले)		3970912	2678750
घटाइये आयकर के लिए प्रावधान		1030000	970000
घटाइये (जोडिए) आस्थगित कर देयता / (आस्ति)		1278	-2286
कर के बाद लाभ		2939634	1711035
लाभ का विनियोजन			
सांविधिक आरक्षितियों को अंतरण		587927	342207
पूँजी आरक्षितियों को अंतरण		-	16857
राजस्व और अन्य आरक्षितियों को अंतरण		-	-
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(i)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियों को अंतरण		-	-
तुलन पत्र को ले जाया गया शेष		2351707	1351971
कुल		2939634	1711035

उक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ-हानि लेखा के अभिन्न अंग हैं।



अनुसूची - 1 शेयर पूँजी

(रूपये हजारों में)

विवरण	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत पूँजी (रु.10/- प्रति शेयर मूल्य के 2,00,00,00,000 शेयर)	20000000	20000000
जारी पूँजी (रु.10/- प्रति शेयर मूल्य के 1,80,72,295 शेयर)	180723	180723
अभिदत्त पूँजी (रु.10/- प्रति शेयर मूल्य के 1,80,72,295 शेयर)	180723	180723
कुल	180723	180723

अनुसूची - 2 आरक्षितियाँ और अधिशेष

(रूपये हजारों में)

	विवरण	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार
I	साविधिक आरक्षितियाँ		
	अथ शेष	1980820	1638613
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	587927	342207
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	0
	कुल	2568747	1980820
II	पूँजी आरक्षितियाँ		
	अथ शेष	49114	32257
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	16857
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	0
	कुल	49114	49114
III	शेयर प्रीमियम		
	अथ शेष	0	0
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	0
	कुल	0	0
IV	धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षितियाँ		
	अथ शेष	0	0
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	0
	कुल	0	0
V	राजस्व व अन्य आरक्षितियाँ		
	अथ शेष	0	0
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	0
	कुल	0	0
VI	लाभ-हानि लेखा में शेष	8816574	6464867
	सकल योग (I, II, III, IV & V)	11434435	8494801



अनुसूची - 3 जमाराशियाँ

(रुपये हजारों में)

	विवरण	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार
A.	I मांग जमाराशियाँ		
	i. बैंको से	0	0
	ii. अन्य से	976338	840123
	II बचक बैंक जमाराशियाँ	37507731	33458720
	III सावधि जमाराशियाँ		
	i. बैंको से	6423012	2927500
	ii. अन्य से	56184426	52696773
	कुल (I II और III)	101091507	89923116
B.	I. भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	101091507	89923116
	II. भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	0	0
	कुल	101091507	89923116

अनुसूची - 4 उधार

(रुपये हजारों में)

	विवरण	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार
I	भारत में उधार		
	i. भारतीय रिजर्व बैंक	0	0
	ii. अन्य बैंक (भारतीय स्टेट बैंक)	157801	0
	iii. अन्य संस्थाएँ व एजेंसी		
	a) नाबार्ड	37524729	38903676
	b) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)	1407240	1666600
	c) मुद्रा	103250	116400
	d) एनएसएफडीसी	151201	97746
II	भारत के बाहर उधार	0	0
	कुल (I और II)	39344221	40784422
	उपर्युक्त (I और II) में शामिल प्रतिभूत उधार	39344221	40784422
	कुल (I और II)	39344221	40784422

अनुसूची - 5 अन्य देयताएँ व प्रावधान

(रुपये हजारों में)

	विवरण	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार
1	देय बिल	278806	262209
2	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	0	91081
3	उपचित ब्याज	167904	282438
4	अन्य (प्रावधानों को मिला कर)		
	मानक अग्रिमो पर सामान्य प्रावधान	285369	244197
	पेंशन और एनपीएस के प्रति प्रावधान	0	165600
	आयकर के लिए प्रावधान	0	0
	अन्य देयताएँ	950591	373655
	कुल	1682670	1419179



अनुसूची - 6

नकदी अधिशेष और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष

(रूपये हजारों में)

	विवरण	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार
I	हाथ में नकदी	620785	594151
II	भारतीय रिजर्व बैंक में अधिशेष		
	i. चालू खातों में	3352276	2538554
	ii. अन्य खातों में	0	0
	कुल (I और II)	3973061	3132705

अनुसूची - 7

बैंकों में अधिशेष और मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

(रूपये हजारों में)

	विवरण	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार
I	भारत में :		
	i) बैंकों में शेष :		
	a. चालू खातों में	522136	1022063
	b. अन्य जमा खातों में	12604674	25447915
	ii) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		
	a. बैंकों में	0	0
	b. अन्य संस्थाओं में	0	0
	i और ii का कुल	13126810	26469978
II	भारत के बाहर :		
	i. चालू खातों में	0	0
	ii. अन्य जमा खातों में	0	0
	iii. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	0	0
	i, ii, iii का कुल	0	0
	सकल कुल (I+II)	13126810	26469978



अनुसूची - 8
निवेश

(रुपये हजारों में)

	विवरण	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार
I	भारत में निवेश		
	i. सरकारी प्रतिभूतियाँ	32795506	22942655
	घटाएं : प्रावधान / मूल्यहास	0	0
	निवल सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर)	32795506	22942655
	ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0	0
	iii. शेयर	0	0
	iv. डिबेंचर और बंध पत्र	452995	452995
	घटाएं : प्रावधान	0	0
	निवल	452995	452995
	v. अनुषंगी और / अथवा अन्य संयुक्त उद्यम	0	0
	vi. अन्य		
	इंदरा विकास पत्र / किसान विकास पत्र आदि	0	0
	म्युचुअल फंड	319984	60000
	घटाएं : प्रावधान	0	0
	निवल	319984	60000
	निवल गैर - एसएलआर	772979	512995
	भारत में कुल निवल निवेश	33568485	23455650
II	भारत के बाहर निवेश	0	0
	घटाएं : प्रावधान / मूल्यहास	0	0
	II का निवल जोड़	0	0
	सकल जोड़ (I+II)	33568485	23455650



अनुसूची - 9 अग्रिम

(रूपये हजारों में)

	विवरण	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार
A	i. क्रय किए गए एवं भुनाये गये बिल	0	0
	ii. नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण	72102813	63714153
	iii. सावधि ऋण	26885498	19746073
	कुल	98988311	83460226
B	i. गोचर आस्तियों द्वारा प्रतिभूतित	98161228	82611083
	ii बैंक और सरकारी गारण्टी द्वारा कवर किए गए	638533	662949
	iii. अप्रतिभूतित	188550	186195
	कुल	98988311	83460226
C	भारत में अग्रिम		
	i. प्राथमिकता क्षेत्र	82671907	73051772
	ii. सार्वजनिक क्षेत्र	0	0
	iii. बैंक	0	0
	iv. अन्य	16316404	10408455
	कुल	98988311	83460226
	भारत के बाहर अग्रिम		
	i. बैंकों से देय	0	0
	ii. अन्यो से देय	0	0
	कुल	0	0
	कुल (C.I और C.II)	98988311	83460226
	सकल अग्रिम	101037578	84879749
	घटाएं : आईएनसीए	0	0
	अ : अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	2049267	1419522
	निवल अग्रिम	98988311	83460226



अनुसूची - 10 अचल परिसंपत्तियाँ

(रुपये हजारों में)

	विवरण	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार
I	भवन		
	31 मार्च को लागत पर	3422	3422
	i. वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	0
	ii. वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	0
	iii. वर्ष के दौरान मूल्यहास	57	57
	iv. 31.03.2021 तक किया गया मूल्यहास	810	753
	कुल I	2612	2669
II	अन्य अचल परिसंपत्तियाँ (फर्नीचर और जुड़नार मिलाकर)		
	31 मार्च की स्थिति की लागत पर	717347	664669
	i. वर्ष के दौरान परिवर्धन	71374	52678
	ii. वर्ष के दौरान कटौतियाँ	2	0
	iii. वर्ष के दौरान मूल्यहास	46113	50942
	iv. दिनांक तक मूल्यहास	474147	428034
	कुल II	314572	289313
III	पूँजीगत कार्य प्रगति पर		
	31 मार्च की लागत पर	0	0
	i. वर्ष के दौरान परिवर्धन	0	2549
	ii. वर्ष के दौरान कटौतियाँ	0	0
	कुल III	0	2549
	कुल I, II & III	317184	291982

अनुसूची - 11

अन्य परिसंपत्तियाँ

(रुपये हजारों में)

	विवरण	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल)	37225	0
II	उपचित ब्याज	917468	914031
III	अग्रिम रूप से प्रदत्त कर स्रोत पर काटा गया कर*	258162	374564
IV	लेखन सामग्री और स्टैम्प	130	239
V	दावों के निपटान के कारण अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियाँ	0	0
VI	अन्य		
	भारत सरकार का ब्याज अधिल्याग खाता (नाबार्ड से प्राप्य ब्याज)	2408936	2650348
VII	विविध आस्तियाँ (धोखा घडियाँ, नकद अपहरण)	0	0
VIII	अन्य (उच्चत उपयोगिता सेवाएं, आदि)	137784	52519
	कुल	3759705	3991700

* प्रावधानों का निवल

अनुसूची - 12

समाश्रित दायित्व

(रूपये हजारों में)

	विवरण	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार
I	बैंक के विरुद्ध दावे, जिन्हें ऋण के रूप में नहीं माना गया है	0	0
II	अंशतः दत्त निवेशों के लिए दायित्व	0	0
III	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण दायित्व	0	0
IV	संघटकों की ओर से दी गयी गारण्टियाँ		
	a. भारत में	95727	113668
	b. भारत के बाहर	0	0
V	स्वीकृतियों, पृष्ठांकन एवं अन्य दायित्व	0	0
VI	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है (डीईएएफ खाता)	22857	3877
	कुल	118584	117545

अनुसूची - 13

अर्जित ब्याज

(रूपये हजारों में)

	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
I	अग्रिमों पर ब्याज / बिलों पर मितीकाटा	9330906	7913268
II	निवेशों पर आय घटाइये : प्रीमियम का परिशोधन	2201419 -9366	1863915 -10647
III	भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य अंतर बैंक निधियों में शेषों पर ब्याज	1356905	1224861
IV	अन्य	16063	112775
	कुल	12895927	11104172

अनुसूची - 14

अन्य आय

(रूपये हजारों में)

	विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
I	कमीशन, विनिमय, दलाली	1203506	1100951
II	निवेशों के विक्रय पर लाभ घटाएं: निवेशों के विक्रय पर हानि	152467	221973
III	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ घटाएं: निवेशकों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	0	0
IV	भूमि, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ घटाएं: निवेशकों के भूमि, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि	0	0
V	विनिमय लेनदेनों पर लाभ घटाएं: विनिमय लेनदेनों पर हानि	0	0
VI	अनुषंगियों / कंपनियों तथा / या विदेश / भारत के संयुक्त उद्यमों से लाभांश के रूप में अर्जित आय, आदि	0	0
VII	विविध आय	1159302	1015738
	कुल	2515275	2338663



अनुसूची - 15			
व्यय किया गया ब्याज		(रुपये हजारों में)	
	विवरण	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार
I	जमाराशियों पर ब्याज	5005191	4757170
II	भारतीय रिजर्व बैंक / अंतर बैंक उधारों पर ब्याज	0	0
III	अन्य		
	a. भारतीय स्टेट बैंक - पुनर्वित्त	2064	6734
	b. नाबार्ड - पुनर्वित्त	2060787	2017794
	c. राष्ट्रीय आवास बैंक - पुनर्वित्त	68987	28321
	d. मुद्रा, एनएसएफडीसी आदि	10798	28746
	कुल	7147827	6838764

अनुसूची - 16			
परिचालन व्यय		(रुपये हजारों में)	
	विवरण	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	2431877	2566722
II	किराया, कर तथा बिजली	152642	140293
III	मुद्रण तथा लेखन सामग्री	10823	12773
IV	विज्ञापन व प्रचार-प्रसार	163	245
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्य ह्रास	46170	50999
VI	निदेशकों का शुल्क, भत्ते और व्यय	0	0
VII	लेखा परीक्षकों का शुल्क एवं व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों का शुल्क एवं व्यय शामिल हैं)	5222	4177
VIII	विधि प्रभार	467	408
IX	डाक व्यय, तार एवं टेलीफोन, आदि	5061	4049
X	मरम्मत और अनुरक्षण	122493	89527
XI	बीमा	153431	115158
XII	अन्य व्यय	533924	514383
	कुल	3462273	3498734

अनुसूची - 17

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारंशः

क. तैयारी का आधारः

बैंक के वित्तीय विवरण, जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न हो, कार्यशील संस्था के लेखांकन हेतु उपचय आधार पर परंपरागत लागत के अधीन तैयार किए जाते हैं और ये भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धान्तों (जी ए ए पी) के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के अनुरूप हैं, जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) / भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 द्वारा निर्धारित विनियामक मानदंड / दिशानिर्देश तथा उनमें किए गए संशोधन एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्था (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए लेखा मानक और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित कार्यप्रणालियां (प्रथाएं) शामिल हैं।

ख. आकलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों की तारीख की स्थिति के अनुसार आस्तियों एवं देयताओं (आकरिमक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गयी राशियों और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रिपोर्ट की गयी आय एवं व्यय के संबंध में प्राक्कलनों एवं धारणाओं पर विचार करना आवश्यक होता है। प्रबंधन का यह विश्वास है कि वित्तीय विवरण तैयार करने के प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकसम्मत एवं उचित हैं तथा वित्तीय विवरणों की तिथि तक संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन पर आधारित हैं। भविष्य में आने वाले परिणाम इनसे कुछ भिन्न हो सकते हैं एवं वास्तविक परिणामों तथा आकलनों के बीच के अंतरों को उस अवधि में अभिज्ञात किया जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात / महत्वपूर्ण होते हैं।

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. राजस्व का निर्धारण

- 1.1) अन्यथा सूचित के सिवाय, आय और व्यय का हिसाब उपचय आधार पर किया जाता है।
- 1.2) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार (i) अनर्जक आस्तियों से आय, इनमें ऐसे ऋण एवं निवेश शामिल हैं जिनकी आय की पहचान वसूली पर की जाती है, (ii) निवेशों पर अतिदेय ब्याज की आय को छोड़कर, लाभ हानि लेखा

में ब्याज / बट्टाकृत यानी मितीकाटा आय की पहचान की जाती है, ज्यो ही यह अर्जित होती है।

- 1.3) निवेश की बिक्री के बाद प्राप्त लाभ/हानि को लाभ हानि लेखा में मान्यता दी जाती है। तथापि, 'परिपक्वता अवधि तक धारित' (एचटीएम) श्रेणी में रखे गए निवेशों की बिक्री पर प्राप्त लाभ (लागू कर का निवल और सांविधिक आरक्षितियों को अंतरित करने के लिए आवश्यक राशि को घटाकर) को "पूँजी आरक्षितियों के खाते" में समायोजित करना है।
- 1.4) निवेशों पर ब्याज को उपचित के आधार पर मान्यता दी जाती है।
- 1.5) "परिपक्वता अवधि तक धारित" (एचटीएम) श्रेणी की आय (ब्याज इतर), जिसे अंकित मूल्य से मितीकाटे पर पाया जाता है, आय को निम्नवत् मान्यता दी जाती है।
 - (i) ब्याज धारक प्रतिभूतियों के मामले में केवल बिक्री या विमोचन के समय उसे मान्यता दी जाएगी।
- 1.6) उपचय के आधार पर लाभांश हिसाब में लिया जाता है, जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया जाता है।
- 1.7) कमीशन व विनिमय एवं लाकर किराया की उगाही के आधार पर पहचान की जाती है।
- 1.8) अतिदेय सावधि जमाओं पर ब्याज को नवीकरण पर लेखांकित किया जाता है।
- 1.9) मुकदमा दायर खातों के मामले में किए गए कानूनी एवं अन्य व्ययों को लाभ हानि लेखा में भारित किया जाता है, और ये व्यय वसूली के समय पर आय के रूप में लेखांकित किए जाते हैं।

2. निवेश :

सरकारी और गैर सरकारी प्रतिभूतियों में लेनदेन "निपटान की तारीख" को रिकार्ड किए जाते हैं।

- 2.1) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, अर्थात् परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस) और व्यापार के लिए धारित (एचएफटी)।
- 2.2) वर्गीकरण का आधार

- बैंक जिन निवेशों को परिपक्वता तिथि तक धारित रखना चाहता है, उन्हें परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है।
 - ऐसे निवेश, जो प्रधानतया क्रय की तिथि से 90 दिनों के अंदर बेचने के लिए धारित किए जाते हैं, व्यापार के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं।
 - जो निवेश उक्त दोनों श्रेणियों में नहीं रखे जाते हैं, उन्हें विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस) श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
 - किसी भी निवेश को खरीदी के समय एचटीएम/एचएफटी/एएफएस में वर्गीकृत किया जाता है, बाद में श्रेणियों में परिवर्तन विनियामक मानदंडों के समनुरूप किया जाता है।
- 2.3) तुलन पत्र में प्रकटीकरण:
- प्रतिभूतियों को सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयर, डिबेंचर और बंध पत्र तथा अनुषंगियों और संयुक्त उद्यमों तथा अन्यो के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
- 2.4) मूल्यांकन
- प्रत्येक श्रेणी की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निम्न प्रकार से किया जाता है
- i) निवेश की अधिग्रहण लागत का निर्धारण करने में
- क. अभिदानों पर प्राप्त दलाली और कमीशन को लागत से घटाया जाता है
- ख. दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर आदि, जिसे निवेशों के अधिग्रहण के समय अदा किया जाता है या प्रारंभ में व्यय किया जाता है, को लागत से हटाया जाता है।
- ग. ऋण लिखतों पर प्रदत्त / प्राप्त खंडित अवधि ब्याज को ब्याज व्यय / आय के रूप में समझा जाता है और लागत या विक्रय प्रतिफल में शामिल नहीं किया जाता है।
- घ. म्यूच्युअल निधियों के अर्जन पर प्रदत्त शुल्क मूल्य को खाताबहियों में क्रय मूल्य या पूँजीकृत के रूप में समझा जाता है।
- ड एएफएस तथा एचएफटी श्रेणी में लागत का निर्धारण निवेशों पर भारित औसत लागत पद्धति पर किया जाता है तथा एचटीएम श्रेणी के निवेशों का लागत निर्धारण एफआईएफओ (पहले आओ पहले जाओ) आधार पर किया जाता है।
- ii) एचएफटी / एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी को प्रतिभूतियों का अंतरण, उस दिन यानी अन्तरण के दिन शेष रहें न्यूनतम अभिग्रहण लागत / बही मूल्य / बाजार मूल्य पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यहास यदि कोई हो, तो उसका पूरा प्रावधान किया जाता है। तथापि एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी को प्रतिभूतियों का अंतरण अधिग्रहण मूल्य / बही मूल्य पर किया जाता है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यांकन तुरंत किया जाता है, परिणाम स्वरूप मूल्यहास यदि कोई हो तो उसका प्रावधान किया जाता है।
- iii) परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी: परिपक्वता के लिए धारित श्रेणी के निवेश अधिग्रहण लागत पर किए जाते हैं जबतक उसका मूल्य अंकित मूल्य से अधिक होता है। ऐसे मामलों में स्थिर प्रतिफल के आधार पर परिपक्वता की शेष अवधि के लिए प्रीमियम का परिशोधन आय पर किया जाता है। प्रीमियम के ऐसे परिशोधन को "निवेशों पर ब्याज" शीर्ष के अंतर्गत आय पर समायोजित किया जाता है।
- iv) अन्य कंपनियों के पूँजी शेयरों के निवेशों का मूल्यांकन परंपरागत लागत पर किया जाता है। अस्थायी मूल्यहासों को छोड़कर, अन्य के संदर्भ में प्रत्येक निवेश के लिए प्रावधान किया जाता है।
- v) बिक्री के लिए उपलब्ध और व्यापार श्रेणियों के लिए धारित - एएफएस और एचएफटी श्रेणियों के अधीन निवेशों का बाजार मूल्य पर या विनियामक मानदंडों के अनुसार निर्धारित उचित मूल्य पर अलग-अलग पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। और प्रत्येक श्रेणी के लिए हर एक ग्रुप के निवल मूल्यहास (यानी, सरकारी प्रतिभूतियों, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों, शेयर डिबेंचर और बंध पत्र, आनुषंगिकी और संयुक्त उद्यम तथा अन्य) प्रावधानित किये जाते हैं और निवल मूल्य-वर्धन की उपेक्षा की जाती है। बाजार को मार्क



- किए जाने के बाद मूल्य हास के प्रावधान के लिए प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य अपरिवर्तित रहता है।
- vi) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को निष्पादित और गैर निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निवेश अनर्जक तब माने जाते हैं, जब
- अ) 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए ब्याज या किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय और बिना भुगतान रहता है।
- आ) ईक्विटी शेयरों के संदर्भ में, अद्यतन तुलन पत्र की अनुपलब्धता के कारण कंपनी शेयरों का मूल्य रु. 1 के रूप में आंका जाता है, ऐसे शेयरों को गैर निष्पादक आस्तियाँ माना जाता है।
- इ) यदि किसी इकाई द्वारा प्राप्त किसी प्रकार की ऋण सुविधा बैंक की बहियों में एनपीए होती है, तो ऐसी इकाई द्वारा जारी किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों में किए गए निवेश को भी एनपीआई एवं विलोमतः माना जाएगा।
- डिबेंचर / बांडों में किए गए निवेशों को, जिन्हें ऋण की किस्म का समझा जाना है, वे भी निवेशों के लिए यथालागू एनपीआई मानदंडों के अधीन हैं।

3. ऋण और अग्रिम और उन पर प्रावधान

भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ऋण और अग्रिम निष्पादित और गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं। ऋण आस्तियों को गैर निष्पादित तब माना जाएगा, जब

- कृषि ऋण मामलों के संदर्भ में
 - i. अल्पावधि फसल ऋणों के मामले में आस्तित्व एन पी ए तब बनती है, जहाँ मूल राशि या ब्याज किस्त दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय रहती है, और
 - ii. लंबी अवधि के फसलों के मामले में जहाँ मूल राशि या ब्याज किस्त एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहती है।
- गैर कृषि ऋण मामलों के संदर्भ में
 - i. मीयादी ऋणों संबंध में, मूलधन पर ब्याज और / अथवा किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है।
 - ii. ओवरड्राफ्ट अथवा नकद ऋण अग्रिमों के संबंध में, यदि खाता 90 दिनों की अवधि के लिए

"अनियमित" रहता है यानी बकाया शेष राशि मंजूरी सीमा अथवा आहरण शक्ति से बढ़ती है अथवा तुलन पत्र की स्थिति के अनुसार लगातार 90 दिनों में कोई राशि जमा नहीं होती है अथवा उसी अवधि के दौरान देय ब्याज को कवर करने के लिए जमा की गई राशि पर्याप्त नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों/निर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किए गए हैं।

अ) सभी अग्रिमों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, यानी, मानक आस्तियाँ, अवमानक आस्तियाँ, संदिग्ध आस्तियाँ और हानि आस्तियाँ।

आ) निवेशों पर प्रावधान निम्नानुसार किए गए हैं

i. मानक आस्तियाँ : मानक आस्तियों के लिए साधारण प्रावधान निम्न दरों पर किया गया है

कृषि एवं एस.एम.ई. क्षेत्र के प्रत्यक्ष ऋणों के लिए	0.25%
वाणिज्यिक रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए	1.00%
उपर्युक्त (1) और (2) में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी अग्रिमों के लिए	0.40%

सामान्य प्रावधान तुलन-पत्र के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची-5 में प्रतिबिंबित है, निवल एनपीए के निर्धारण के लिए इस पर विचार नहीं किया जाता है।

ii. अवमानक आस्तियाँ

कोई भी ऋण आस्तित्व 12 महीनों तक या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रहती हैं तो उसे अवमानक आस्तित्व माना जाता है।

विवरण	आईआरएसी मानदंडों के अनुसार निर्धारित दर (नाबार्ड दिशानिर्देश)	बैंक द्वारा अपनाई गई अतिरिक्त दर
प्रतिभूत भाग	10%	40%
अप्रतिभूत भाग	20%	40%

iii. संदिग्ध आस्तियाँ

कोई एक ऋण आस्तित्व जो 12 महीनों तक की अवधि के लिए अवमानक आस्तित्व बनी रहती है, तो वह संदिग्ध आस्तित्व के रूप में परिवर्तित होगी।



विवरण	आईआरएसी मानदंडों के अनुसार निर्धारित दर (नाबार्ड दिशानिर्देश)	बैंक द्वारा अपनाई गई अतिरिक्त दर
प्रतिभूत भाग	एक वर्ष तक 20%	35%
	एक से तीन वर्ष तक 30%	40%
	तीन वर्ष से अधिक 100%	100%
अप्रतिभूत भाग	100%	100%

iv. हानि आस्तियाँ

हानि आस्ति वह है, जहाँ हानि को पहचाना गया है, लेकिन राशि को पूरी तरह बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

बकाया ऋणों पर 100% प्रावधान

3.3 अग्रिम विशेष ऋण प्रावधानों और वसूल नहीं किया गया ब्याज, प्राप्त ई.सी.जी.सी. दावों का निवल है।

3.4 पुनर्गठित और पुनः अनुसूचित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार किए जाते हैं।

3.5 यदि ऋण खाते एनपीए के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं और यदि ये विनियामकों के द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, तो उन्हें पुनः निष्पादित खाते के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.6 पिछले वर्षों में बट्टे खाते डाले गए ऋणों पर वसूली गई राशि को वसूली वर्ष के राजस्व के अंतर्गत माना जाता है।

3.7 भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलन-पत्र में "अन्य देयताएं और प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची 5 में दिखाए गए हैं और निवल एनपीए की गणना करते समय इन पर विचार नहीं किया जाता है।

3.8 एनपीए पर वसूला गया ब्याज आय खाते में परिगणित किया जाता है बशर्तकि ब्याज के प्रति खाते में की गयी जमा प्रविष्टियाँ संबंधित ऋणकर्ता को मंजूर की गयी नयी / अतिरिक्त ऋण सुविधाओं से संबंधित नहीं हों।

4. अस्थायी प्रावधान

अग्रिमों, निवेशों एवं सामान्य प्रयोजन हेतु अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग के लिए बैंक की अपनी नीति है। सृजित किए जाने वाले अस्थायी प्रावधानों की मात्रा का आकलन प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है।

5. अचल आस्तियाँ, मूल्यहास और परिशोधन

5.1 अचल आस्तियों का मूल्यांकन संचित मूल्यहास / परिशोधन को घटाकर परम्परागत लागत के आधार पर किया जाता है।

5.2 उसे उपयोग में लाने से पहले लागत में क्रय लागत एवं उक्त आस्ति के अधिग्रहण पर प्रत्यक्षतः प्रदान किए गए अथवा उसके संबंध में खर्च हुए समस्त व्यय शामिल है। आस्तियों के उपयोग के सम्बन्ध में वहन किए गए परवर्ती व्यय को तभी पूंजी में परिणत किया जाता है, जब ऐसी आस्तियों से भावी लाभों अथवा उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।

5.3 मूल्यहास / परिशोधन निम्नलिखित दरों के अनुसार सीधी रेखा पद्धति पर किया जाता है।

अचल परिसंपत्ति का विवरण	मूल्यहास / परिशोधन दर
भवन	1.667%
बिजली उपकरणों के अलावा फर्नीचर और जुड़नार	10%
कंप्यूटर: कंप्यूटर साफ्टवेयर, जो कंप्यूटर हार्डवेयर अनिवार्य भाग हैं, कंप्यूटर साफ्टवेयर और साफ्टवेयर विकास लागत जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अंग भूत (अनिवार्य) भाग नहीं है।	33.33%
स्वचलित टेल्लर मशीन / नकद जमा मशीन / कॉइन डिस्पेंसर / कॉइन वेंडिंग मशीन तथा अन्य बिजली उपकरण	20.00%
सर्वर	25.00%
नेटवर्क उपस्कर	20.00%
मोटर गाडियाँ	10.00%
सुरक्षा जमा लाकर, अग्निरोधक डाटा सेफ	5.00%

5.4 वर्ष के दौरान अर्जित की गई आस्तियों के संबंध में, वर्ष के दौरान आस्तियों का उपयोग किए जाने वाले दिनों तक आनुपातिक आधार पर मूल्यहास लगाया जाता है।

5.5 रु.2000/- से कम लागत की आस्तियों को क्रय वर्ष में ही प्रभारित किया जाता है।

6. आस्तियों की हानि

जब कभी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन अपेक्षित होता है कि आस्ति की रखाव राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है, तब हानि के लिए अचल आस्तियों की समीक्षा की जाती है। आस्ति द्वारा सृजित होने वाले अपेक्षित भावी निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह के साथ आस्ति की वहन राशि की तुलना करके रखी एवं प्रयुक्त की जाने वाली आस्तियों की वसूली योग्यता का मापन किया जाता है। यदि ऐसी आस्तियों को दुर्बलता यानी हानि के रूप में समझा जाता है तो पहचान की जाने वाली हानि (दुर्बलता) का मापन उस राशि से किया जाता है, जिससे आस्ति की रखाव राशि आस्तिके उचित मूल्य से बढ़ती है।

7. कर्मचारियों को परिलाभ

7.1 अल्पावधि कर्मचारी परिलाभ

भुनाये नहीं गये अल्पकालिक कर्मचारी लाभ जैसे, चिकित्सा लाभ आदि की राशि को, जिनका भुगतान कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए किया जाना अपेक्षित होता है, कर्मचारी द्वारा सेवा प्रदान की जाने वाली अवधि के दौरान प्रकट किया जाता है।

7.2 दीर्घावधि परिलाभ

i) परिभाषित लाभ योजना

अ) उपदान : सभी पात्र कर्मचारियों के लिए बैंक बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर उपदान देयता का प्रावधान प्रदान करता है। देयता के प्रति निधियों का प्रावधान "तेलंगाना ग्रामीण बैंक कर्मचारी उपदान निधि न्यास" के माध्यम से एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इंडिया फ्रस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड-हनुमकोंडा, भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड-सैफाबाद, हैदराबाद और भारतीय स्टेट बैंक-दिलसुखनगर शाखा को अंशदान के रूप में किया जाता है।

आ) छुट्टी नकदीकरण : उन सभी कर्मचारियों, जिन्होंने पाँच वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली है, उनको बैंक छुट्टी नकदीकरण दायित्व के लिए बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर इसे प्रदान करता है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और इंडिया फ्रस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को बैंक वार्षिक आधार पर अंशदान करता है।

इ) पेंशन : बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है, जो बैंक में 31.03.2010 को या उससे पहले

भर्ती हुए हैं। यह परिलाभ नियमों के अनुसार मासिक भुगतान के रूप में पात्र कर्मचारियों को उनकी सेवा निवृत्ति या सेवा अवधि के दौरान उनकी मृत्यु होने पर या नौकरी की समाप्ति पर प्रदान किया जाता है। नियमानुसार भुगतान विभिन्न चरणों में किया जाता है। बैंक वेतन के 10% का पेंशन निधि में मासिक योगदान करता है। बैंक वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर पेंशन देयता के लिए प्रावधान करता है।

ii) परिभाषित योगदान योजनाएं:

अ) भविष्य निधि : कर्मचारी भविष्य निधि में किए गए योगदानों को व्यय के रूप में माना जाता है और उनको उपचय आधार पर लाभ हानि लेखा को प्रभारित किया जाता है।

आ) राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) : दिनांक 31.03.2018 के बाद कार्यग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए बैंक एक नई पेंशन योजना (एनपीएस) का परिचालन कर रहा है। उन सभी कर्मचारियों जिन्होंने बैंक में 01.04.2010 से 31.03.2018 के बीच बैंक में कार्यग्रहण किया है, उनके लिए स्वैच्छिक रूप से एनपीएस में शामिल होने के लिए विकल्प दिया गया। योजना के अनुसार कवर हुए कर्मचारी अपने मूल वेतन + महंगाई भत्ते का 10% योजना के लिए अंशदान करते हैं, साथ साथ बैंक भी समतुल्य राशि का अंशदान करता है। संबंधित कर्मचारियों की पंजीकरण प्रक्रिया के लंबित रहने तक ये अंशदान बैंक में जमा राशि के रूप में रखे गए हैं। इन पर भविष्य निधि शेष पर दिये जाने वाले ब्याज के समान ब्याज प्रदान किया जाता है। ऐसे वार्षिक अंशदानों तथा ब्याज राशि को बैंक उस वर्ष में हुए व्यय के रूप में मान्यता देता है। स्थायी सेवा निवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) प्राप्त होते ही योगदान की समेकित राशियाँ एनपीएस न्यास को अंतरित की जाती है।

8. आयकर व्यय :

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए यथा लागू आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित कर प्रावधानों के अनुसार आयकर यदि लागू हो की परिगणना की जाती है।

आयकर व्यय, वर्तमान कर और आस्थगित कर की कुल राशि है, वर्तमान करों के व्यय और आस्थगित करों के व्यय का



निर्धारण क्रमशः आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार और लेखांकन मानक 22 - आय पर करों के लिए लेखांकन एवं भारत में प्रचलित कर कानून के अनुसार किया जाता है. आस्थगित कर समायोजनों में अवधि के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या दायित्वों में किए गए बदलाव शामिल होते हैं.

आस्थगित कर आस्तियों और दायित्वों को चालू वर्ष की कर योग्य आय और लेखा आय के बीच समय अंतरों और आगे ले जाई गई हानियों के प्रभाव पर विचार करते हुए मान्यता दी जाती है. आस्थगित कर आस्तियों और दायित्वों की गणना तुलन पत्र की तिथि को लागू या पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों और कर विधियों के आधार पर की जाती है। आस्थगित कर आस्तियों और दायित्वों में किए गए परिवर्तनों के प्रभाव को लाभ हानि लेखा में मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर आस्तियों को प्रबंधन के निर्णयानुसार कि क्या उनकी वसूली समुचित / वस्तुतः. तथ्यपरक है प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को पहचान और पुनः मूल्यांकन किया जाता है.

9. सरकारी अनुदान:

उद्यम यानी बैंक के लिए उपलब्ध सरकारी अनुदानों पर निम्नानुसार विचार किया जाता है :

- जहाँ उसे समुचित आश्वासन मिलता है कि उद्यम उनको संलग्न नियम व शर्तों का अनुपालन करता है.
- जहाँ बैंक द्वारा उन परिलामों का अर्जन किया गया है तथा यह तार्किक रूप से निश्चित है कि अंततः वसूली की जाएगी.

विशिष्ट अचल परिसंपत्तियों के प्रति सरकार से प्राप्त अनुदानों को उनकेबही मूल्य के निर्धारण के समय संबंधित परिसंपत्ति के सकल मूल्य से घटाकर दर्शाया जाता है.

10. आकस्मिक देयताएं और प्रावधान :

आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा मानक 29 प्रावधान,

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते सागर एंड एसोसिएट्स,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या. 003510 एस

(सी. वी. विद्यासागर बाबू)
साझेदार
सदस्यता संख्या : 027357

"आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियों के अनुसार" बैंक प्रावधानों को तभी मान्यता देता है जब उस पर पिछली घटना के परिणाम स्वरूप वर्तमान दायित्व हो। जिसका आर्थिक लाभों में सन्निहित संसाधनों के सम्भाव्य बहिर्गमन पर प्रभाव पड़ेगा, जिसकी दायित्वों को निपटाने के लिए आवश्यकता होगी और तभी दायित्व की राशि का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है।

निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधानों की पहचान नहीं की जाती है.

- कोई संभाव्य दायित्व जो विगत घटनाओं से होता है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल बैंक के नियंत्रण के अंदर पूरी तरह से न होते हुए एक या अधिक अनिश्चित भावी घटनाओं की उपस्थिति से की जाएगी: अथवा
- कोई वर्तमान दायित्व जो विगत घटनाओं से उत्पन्न होता है, लेकिन पहचान नहीं की जाती है क्योंकि :
क. यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों को सन्निहित करते हुए संसाधनों के बहिर्गमन से दायित्व का निपटान किये जाने की आवश्यकता होगी अथवा

ख. दायित्व की राशि का विश्वसनीय प्राकलन नहीं किया जा सकता है।

ऐसी देयताओं को आकस्मिक देयताओं के रूप में रिकार्ड किया जाता है. नियमित अंतरालों में इनका निर्धारण किया जाता है. कुछ ऐसी असाधारण परिस्थितियों में, जहाँ विश्वसनीय आकलन नहीं किया जा सकता, को छोड़कर. देयता के केवल उस अंश के लिए प्रावधान किया जाता है, जिसके संदर्भ में आर्थिक लाभों में सन्निहित संसाधनों के बहिर्गमन की सम्भावना है।

- वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है।

कृते तेलंगाना ग्रामीण बैंक

ह/-
महाप्रबंधक-1

ह/-
अध्यक्ष

TELANGANA GRAMEENA BANK

HEAD OFFICE: HYDERABAD

नाबार्ड के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार प्रकटीकरण
लेखों के अंश बनने वाली महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का अनुलग्नक (अनुसूची-18)

1. पूँजी:

(रुपये लाखों में)

क्र.सं	विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
i)	सीआरएआर (%)	12.55%	11.63 %
ii)	सीआरएआर – टीयर I पूँजी (%)	12.25%	10.44 %
iii)	सीआरएआर – टीयर II पूँजी (%/)	0.30%	1.19%
iv)	निम्नलिखित में शेयर धारिता प्रतिशत		
A	भारत सरकार	50%	50%
B	राज्य सरकार	15%	15%
C	प्रायोजक बैंक	35%	35%

2. अग्रिम:

- 2.1 बैंक के प्रबंधन के द्वारा की गई समीक्षा एवं मूल्यांकन के अनुसार, आईआरएसी मानदंडों के अनुसार 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार अशोध्य और संदिग्ध दिनों के लिए आवश्यक प्रावधान रु. 7867.69 लाख (पिछले वर्ष रु. 6731.10 लाख) है तथा बैंक नीति के अनुसार रु. 14728.26 लाख है। तथापि उच्चतर पीसीआर बनाए रखने की दृष्टि से रखी गई प्रावधान की कुल राशि रु. 20492.67 लाख (पिछले वर्ष रु. 14195.22 लाख) है। चालू वर्ष के लिए किया गया प्रवधान रु. 7890.02 लाख (पिछले वर्ष रु. 3744.00) है।
- 2.2 बैंक के प्रबंधन के द्वारा की गई समीक्षा तथा मूल्यांकन के अनुसार, आईआरएसी मानदंडों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए आवश्यक सामान्य प्रवधान रु. 2853.64 लाख (पिछले वर्ष रु. 2441.97 लाख) है। चालू वर्ष के दौरान मानक आस्तियों के लिए किया गया प्रवधान रु. 411.72 लाख (पिछले वर्ष रु. 521.87 लाख) है। इसे अनुसूची 5 के शीर्ष "मानक आस्तियों पर सामान्य प्रावधान" के अधीन प्रकट किया गया है।
- 2.3 वर्ष के दौरान बैंक ने एक आंतरिक टूल की सहायता से "एकल एनपीए सकल एनपीए / वन एनपीएआल एनपीए" मानदंड के अधीन एनपीए की पहचान की है एवं तदनुसार रु. 2113.85 लाख की सीमा तक के एनपीए की पहचान की है और उन्हें अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया है और उन पर कोई भी वसूल नहीं किया गया ब्याज तथा वसूल नहीं किए गए प्रभार नहीं हैं। बैंक की नीति के अनुसार उन पर रु. 1056.92 लाख तक की सीमा तक के अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान किए गए हैं (उक्त पैरा 2.1 में बताए गए प्रावधान में शामिल हैं)।
- 2.4 कोरोना वायरस (कोविड 19) महामारी के प्रकोप से विश्व में तथा भारत में आर्थिक क्रियाकलाप में अत्यधिक व्यवधान और गति कम हुई है। हमारे व्यवसाय पर कोरोना वायरस का प्रभाव बाहरी गतिविधियों पर निर्भर होगा, जिसकी विश्वसनीय भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। अत्यधिक अनिश्चित आर्थिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए, आगामी अवधि पर प्रभाव का निश्चित निर्धारण उन गतिविधियों पर अत्यधिक आश्रित है, जैसा कि वे उत्पन्न होती हैं। विश्वव्यापी स्वास्थ्य महामारी का प्रभाव इस आंतरिक वित्तीय सूचना के अनुमोदन की तिथि की स्थिति पर अनुमानित से भिन्न हो सकता है और बैंक भावी आर्थिक परिस्थितियों में किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों की निकटता से निगरानी कर रहा है।

2.5 कोविड -19 विनियामक पैकेज के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीओआर संख्या. बीपी.बीसी.47.21.04.048/ 2019-20 के अनुसार, जो 27 मार्च 2020 को जारी किया गया था तथा जिसे 23 मई 2020 तक बढ़ाया गया है। इसका उद्देश्य भारत में व्यवसाय एवं वित्तीय संस्थाओं पर कोविड -19 महामारी के चिरकालिक प्रभाव को कम करना है। बैंक के निदेशक मंडल ने परिपत्र के अनुसार विनियामक पैकेज का अनुमोदन किया है और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दिए गए दिशानिर्देशानुसार राहतों का अनुमोदन किया जो 1 मार्च 2020 से पूर्व प्रभावी हैं तथा इसे 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाया गया।

2.6 बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र डीओआर. संख्या. बीपी.बीसी. 63/21.04.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल 2020 के अनुसार, अग्रिमों के आरिष्ठ वर्गीकरण के लाभ को रु.88087 लाख तक बढ़ाया है, जो 01.03.2020 से 31.08.2020 तक की अवधि के दौरान अनर्जक आस्तियाँ हो गए होते।

सर्वोच्च न्यायालय आदेश दिनांक 03.09.2020 के अनुसार, जो खाते 31.08.2020 तक एनपीए के रूप में घोषित नहीं किए गए थे, आगामी आदेशों तक एनपीए के रूप में घोषित नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में आगामी आदेश दिनांक 10.09.2020, 05.10.2020 तथा 14.10.2020 को दिए गए हैं। बैंक ने 31.03.2021 तक अतिदेय राशियों के भुगतान नहीं किए जाने के कारण, एनपीए के रूप में किसी भी खाते को चिन्हित नहीं किया गया है, जिसके लिए अधिस्थगन लाभ को बढ़ाया गया था।

2.7 आरबीआई परिपत्र संख्या डीओआर संख्या. बीपी.बीसी. 63/21.04.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल 2020 के अनुसार, बैंक ने अग्रिमों के बकाया शेषों पर दिनांक 30.09.2020 की स्थिति के अनुसार रु. 8808.70 लाख का अतिरिक्त प्रावधान सृजित किया है, जो 10% अतिरिक्त प्रावधान होता है, जिनके लिए 01.03.2020 से 31.08.2020 तक की अवधि के दौरान आरिष्ठ वर्गीकरण लाभ बढ़ाया गया था। बैंक ने 31.03.2021 तक खातों के वास्तविक फिसलनों के प्रति अतिरिक्त प्रावधान को समायोजित किया है।

2.8 इसके अतिरिक्त, उक्त संदर्भित परिपत्र दिनांक 23 मई 2020 के अनुसार, बैंक ने ग्राहकों (केसीसी तथा एसएचजी को छोड़कर) को अपने सीसी ओडी खातों पर संचित ब्याज को निधिक ब्याज मीयादी ऋण (एफआईटीएल) में परिवर्तन करने का विकल्प दिया है। 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार ऐसे खातों में बकाया राशि रु. 2129.71 लाख (898 खाते) है। 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार 40 ग्राहकों ने परिवर्तन के विकल्प के रूप में अपनाया है और बकाया राशि रु. 9.76 लाख (17 खाते) है।

2.9 भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र डीओ आर. एसटीआर. आरईसी. 4/21.04.048/2021-22 दिनांक 07.04.2021 के अनुसार "कोविड-19 विनियामक पैकेज की समाप्ति के बाद आरिष्ठ वर्गीकरण एवं आय की पहचान"।

1. **'ब्याज पर ब्याज' की धनवापसी / समायोजन:** भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र संख्या डीओआर.संख्या. बीपी.बीसी. 47.21.04.048/2019-20 दिनांक 27 मार्च 2020 तथा डीओआर.संख्या.बीपी.बीसी.71/21.04.048/2019-20 दिनांक 23 मई 2020 ("कोविड-19 विनियामक पैकेज") के अनुसार दी गई राहतों के आधार पर बैंक ने कुछ उधारकर्ताओं को ब्याज पर ब्याज होने के कारण रु.163.89 लाख की राशि की धन वापसी की है।

2. **आरिष्ठ वर्गीकरण:**

i) कोविड-19 विनियामक पैकेज के अनुसार उन खातों के संबंध में, जिन्हें स्थगन अवधि नहीं दी गई थी, अग्रिमों से संबंधित 1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र आय की पहचान, आरिष्ठ वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड के अनुसार आरिष्ठ वर्गीकरण किया गया है।

ii) उन खातों के संबंध में, जिन्हें कोविड-19 विनियामक पैकेज के अनुसार अधिस्थगन दिया गया था, परिपत्र डी ओ आर संख्या. बीपी.बीसी. 63/21.04.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल 2020 के साथ पठित परिपत्र डीओआर संख्या. बीपी.बीसी.71/21.04.048/2019-20 दिनांक 23 मई 2020 के अनुसार 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक की अवधि के लिए आरिष्ठ वर्गीकरण किया गया है। 1 सितंबर 2020 से प्रारंभ हुई अवधि के लिए, ऐसे सभी खातों के लिए आरिष्ठ वर्गीकरण लागू आईआरएसी मानदंडों के अनुसार किया गया है।

2.10 दिनांक 27.04.2013 के सरकारी आदेश संख्या 639, दिनांक 04.07.2015 के आदेश संख्या 323, दिनांक 25.05.2016 के सरकारी आदेश संख्या 236 और दिनांक 23.06.2017 के आदेश संख्या 369 के अनुसरण में, बैंक ने पात्र ऋणियों को वृद्धि लेनि ऋणालु (वीएलआर) मंजूर की और दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2018 तक ब्याज अनुदान की मांग की। दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2018 तक की अवधि में तेलंगाना राज्य सरकार से रु. 7976.97 लाख की कुल दावित राशि में से रु.6385.33 लाख की ब्याज अनुदान राशि अभी प्राप्त होनी है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के माध्यम से तेलंगाना राज्य सरकार से हुई बातचीत तथा वीएलआर योजना के अंतर्गत देय निधियों को जारी करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए आश्वासन पर विचार करके, इस पर मानक आस्ति के रूप में विचार किया गया तथा तदनुसार रु. 15.96 लाख का प्रावधान किया गया। राशि को अनुसूची-5 अन्य देयताएं के अधीन दर्शाया गया है।

3. निवेश

3.1 निवेशों का मूल्य

(रूपये लाखों में)

क्र.सं	विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
1	निवेशों का मूल्य		
i	निवेशों का सकल मूल्य	335684.85	234556.50
ii	मूल्य हास के लिए किया गया प्रावधान	0	0
iii	निवेशों का निवल मूल्य	335684.85	234556.50
2	निवेशों पर मूल्यहास के लिए किये गये प्रावधानों का उतार-चढ़ाव		
i	आरंभिक शेष	0	0
ii	जोड़ें : 31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0	0
iii	घटाएँ : वर्ष 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बट्टेखाते डाले गये / पुनरंकित किए गए अतिरिक्त प्रावधान / समायोजन	0	0
iv	अंतिम शेष	0	0

3.2 रेपो लेनदेन

(रूपये लाखों में)

	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31 मार्च 2021 को
रेपो के अधीन बेची गयी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
रिवर्स रेपो के अधीन खरीदी गयी प्रतिभूतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

3.3 गैर-एस एल आर निवेश संविभाग:

(i) गैर-एस एल आर निवेशों के जारीकर्ता की संरचना :

(रूपये लाखों में)

क्र.सं	जारीकर्ता	राशि	निजी तौर पर नियोजन की सीमा	निचली निवेश क्षेत्री प्रतिभूतियों की सीमा	बिना रेटिंग की प्रतिभूतियों की सीमा	गैर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की सीमा
1	2	3	4	5	6	7
i)	सार्वजनिक उपक्रम	2547.55	-	-	-	-
ii)	वित्तीय संस्थाएं	0	-	-	-	-
iii)	बैंक	0	-	-	-	-
iv)	निजी कार्पोरेट	1982.40	-	-	-	-
v)	अन्य (म्युचुअल फंड)	3199.84	-	-	-	-
vi)	मूल्यहास हेतु किये गये प्रावधान	-	-	-	-	-
	कुल	7,729.79	-	-	-	-

(ii) अनर्जक, गैर-एस एल आर निवेश

(रूपये लाखों में)

विवरण	राशि
आरंभिक शेष	शून्य
1अप्रैल, 2020 से वर्ष के दौरान परिवर्धन	शून्य
31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान घटाव	शून्य
अंतिम शेष	शून्य
किये गये कुल प्रावधान	शून्य

4. आस्ति गुणवत्ता :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की आस्तियों को 31-03-2021 की स्थिति के अनुसार अर्जक एवं अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और अनर्जक आस्तियों का अलग - अलग विवरण नीचे प्रस्तुत है :

4.1 अनर्जक आस्तियाँ:

(रूपये लाखों में)

क्र.सं	विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
i	ऋणों में निवल अनर्जक आस्ति (%)	0.23	0.41
ii	अनर्जक आस्तियों का उतार - चढ़ाव		
(क)	आरंभिक शेष	17633.33	16555.45
(ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	13910.92	41000.82
(ग)	वर्ष के दौरान कमी	8781.58	39922.94
(घ)	अंतिम शेष	22762.67	17633.33
iii	निवल अनर्जक आस्तियों का उतार - चढ़ाव		
(क)	आरंभिक शेष	3438.11	6056.01
(ख)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	6955.46	11985.56
(ग)	वर्ष के दौरान कमी	8123.56	14603.46
(घ)	अंतिम शेष	2270.01	3438.11
iv	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों का उतार - चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधानों का छोड़कर)		
(क)	आरंभिक शेष	14195.22	10499.74
(ख)	वर्ष के दौरान किये गए प्रावधान	7890.02	3744.00
(ग)	प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान	0.00	0.00
(घ)	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए	1592.57	48.52
(ङ)	अंतिम शेष	20492.67	14195.22

4.2 पुनः संरचना के अधीन ऋण आस्तियों का विवरण :

(रूपये लाखों में)

क्र.सं	विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
i	पुनर्संरचना, पुनर्निर्धारण, पुनः परक्रामण के अधीन ऋण आस्तियों की कुल राशि	446.45	699.99
ii	पुनर्संरचना, पुनर्निर्धारण, पुनः परक्रामण के अधीन मानक आस्तियों की राशि	0	4.60
iii	पुनर्संरचना, पुनर्निर्धारण, पुनः परक्रामण के अधीन अवमानक आस्तियों की राशि	0.95	93.43
iv	पुनर्संरचना, पुनर्निर्धारण, पुनः परक्रामण के अधीन संदिग्ध आस्तियों की राशि	445.50	601.96
	नोट [(i) = (ii) + (iii) + (iv)]		

4.3 प्रतिभूतिकरण (एससी)/ पुनर्निमाण कंपनी (आरसी) को आरित पुनर्निमाण के लिए बेची गयी वित्तीय आस्तियों का विवरण :

(रूपये लाखों में)

क्र.सं	विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
i	कुल खाते	शून्य	शून्य
ii	एससी / आरसी को बेचे गये खातों का कुल मूल्य (प्रावधान का निवल)	शून्य	शून्य
iii	पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
iv	पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किया गया अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
v	निवल बही मूल्य पर कुल लाभ / हानि	शून्य	शून्य

4.4 खरीदी गई / बेची गई अनर्जक आस्तियों का विवरण :

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

(रूपये लाखों में)

क्र.सं	विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
1(क)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख)	कुल बकाया	शून्य	शून्य
2(क)	इनमें से, पुनर्संरचित खातों की संख्या	शून्य	शून्य
(ख)	कुल बकाया	शून्य	शून्य

ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण :

(रूपये लाखों में)

क्र.सं	विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
1	बेचे गए खातों की संख्या	शून्य	शून्य
2	कुल बकाया	शून्य	शून्य
3	प्राप्त सकल प्रतिफल	शून्य	शून्य

4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान :

(रूपये लाखों में)

क्र.सं	विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
1	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	2853.64	2441.97



5. व्यवसाय अनुपात :

क्र.सं	विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
i	कार्यशील निधियों में प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	8.51	8.84
ii	कार्यशील निधियों में प्रतिशत के रूप में गैर ब्याज आय	1.66	1.64
iii	कार्यशील निधियों में प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	3.17	3.26
iv	अस्तियों पर प्रतिलाभ	1.94	1.36
v	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा तथा अग्रिम) (रुपये लाखों में)	1168.38	996.60
vi	प्रति कर्मचारी लाभ (रुपये लाखों में)	16.99	9.76

6. आस्ति देयता प्रबंधन : आस्ति और देयताओं के कुछ मर्दों की परिपक्वता पद्धति :

(रुपये लाखों में)

विवरण	1-14 दिन	15-28 दिन	29दिन - 3महीने	3 महीनों से ज्यादा 6 महीनों तक	6 महीनों से ज्यादा 1 वर्ष तक	1 वर्ष से ज्यादा 3 वर्ष तक	3 वर्ष से ज्यादा 5 वर्ष तक	5 वर्ष से ज्यादा	कुल
जमाराशियाँ	75004.51	21513.17	106610.61	112552.18	180005.37	483823.60	19399.50	12006.13	1010915.07
अग्रिम	134220.65	1312.20	94341.20	161174.47	120369.90	257556.44	91267.47	130292.57	990534.90
निवेश और एसटीडीआर	22199.84	0.00	34101.86	51882.71	28461.44	32660.35	1535.88	290889.50	461731.74
उधार	1578.01	0.00	44680.44	58972.53	84395.19	151751.91	50901.80	1162.52	393442.20
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
विदेशी मुद्रा देयताएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



7. एक्सपोजर

(रुपये लाखों में)

7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र को एक्सपोजर:

क्र.सं	विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
क	प्रत्यक्ष एक्सपोजर		
(i)	आवासीय बंधक आवासीय संपत्ति, जो उधारकर्ता के अधिकार में है अथवा अधिकार में होनेवाली है अथवा किराए पर दी गई है, के बंधक से पूर्णतः रक्षित ऋण (रु.20 लाख तक के वैयक्तिक आवास ऋणों को पृथक रूप से दर्शाया जाए)	98764.24 (51816.21)	81498.03 (46931.89)
(ii)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं पर बंधक द्वारा रक्षित ऋण (कार्यालय भवन, फुटकर, स्थल, बहु प्रयोजन वाणिज्यिक परिसर, बहु पारिवारिक आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाले वाणिज्यिक भवन-औद्योगिक अथवा मालगोदाम स्थल, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण आदि) एक्सपोजर में गैर-निधि (एनएफबी) आधारित सीमाएं शामिल हैं।	731.06	570.34
(iii)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एम बी एस) में निवेश एवं अन्य प्रतिभूतियों का एक्सपोजर		
	क) आवासीय	शून्य	शून्य
	ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	शून्य	शून्य
b	अप्रत्यक्ष एक्सपोजर	शून्य	शून्य
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) एवं आवास वित्त कंपनी (एच एफ सी) पर निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित निवेश	शून्य	शून्य

7.2 पूंजी मार्केट को एक्सपोजर

(रूपये लाखों में)

क्र.सं	विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
1	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल निधियों की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसके कार्पस को पूर्णतः कारपोरेट ऋण में निवेश किया जाता है;	शून्य	शून्य
2	शेयरों (आईपीओ / ईएसपीओ सहित), परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख परस्पर निधियों की इकाइयों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों / बांडों / डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों पर ऋण या बेजमानती आधार पर ऋण;	शून्य	शून्य
3	किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए ऋण, जहां शेयरों अथवा परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल निधियों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है।	शून्य	शून्य
4	शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल निधियों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा रक्षित सीमा तक अन्य प्रयोजनों के लिए ऋण यानी जहाँ शेयरों / परिवर्तनीय बांडों / परिवर्तनीय डिबेंचरों / इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल निधियों की इकाइयों से इतर प्राथमिक प्रतिभूति, ऋणों को पूर्णतः कवर नहीं करती है।	शून्य	शून्य
5	शेयर दलालों को प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं मार्केट शेयरों की ओर से जारी गारंटियाँ।	शून्य	शून्य
6	संसाधन बढ़ाने की प्रत्याशा में नई कंपनी की इक्विटी में प्रवर्तक के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों / बांडों / डिबेंचरों / अथवा अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर या बेजमानती आधार पर कारपोरेट को मंजूर किए गए ऋण;	शून्य	शून्य
7	प्रस्तावित इक्विटी प्रवाहों / निर्गमों के प्रति कंपनियों को पूरक ऋण;	शून्य	शून्य
8	शेयरों के प्राथमिक निर्गम अथवा परिवर्तनीय बांडों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूच्युअल निधियों की इकाइयों के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई हामीदारी वचनबद्धता।	शून्य	शून्य
9	मार्जिन ट्रेडिंग के लिए शेयर दलालों को वित्तपोषण।	शून्य	शून्य
10	उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) में समस्त एक्सपोजर।	शून्य	शून्य
पूंजी मार्केट को कुल एक्सपोजर		शून्य	शून्य



7.3 बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता (एस जी एल), समूह उधारकर्ता सीमा (जी डी एल) के विवरण:

वर्ष तथा 31.03.2021 को समाप्त तिमाही के दौरान एकल उधारकर्ता एवं समूह उधारकर्ता के लिए लागू विवेकपूर्ण एक्सपोजर मानदंड से अधिक संस्वीकृति नहीं की गई है। एकल उधारकर्ता एवं समूह उधारकर्ताओं के लिए लागू विवेकपूर्ण ऋण (एक्सपोजर) मानदंड से अधिक बकाया नहीं हैं।

8. लेखा मानक (एएस) अनुसार प्रकटीकरण

8.1 लेखा मानक - 5: अवधि के लिए निवल लाभ या हानि, पूर्ववर्ती अवधि मर्दे तथा लेखा नीतियों में परिवर्तन

8.1.1 टिप्पणियों (नोट्स) में और कहीं प्रकट की गई उन टिप्पणियों को छोड़कर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के साथ पठित एएस 5 के अनुसार लाभ हानि लेखा में प्रकट करने के लिए अपेक्षित शामिल कोई पूर्व अवधि मर्दे महत्वपूर्ण नहीं है।

8.2 लेखा मानक - 15: "कर्मचारी परिलाभ"

आईसीएआई द्वारा जारी संशोधित लेखा मानक (एएस 15) के अनुसार उपदान, छुट्टी नकदीकरण तथा अन्य दीर्घ अवधि लाभों के लिए प्रावधान किए गए हैं।

क. उपदान:

31.03.2021 के बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार हिसाब में ली गई 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार बैंक की अनुमानित उपदान देयता रु. 6367.28 लाख (विगत वर्ष रु.6610.87 लाख) है। बैंक ने 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान तेलंगाना ग्रामीण बैंक कर्मचारी समूह उपदान न्यास को रु. 485.14 लाख की राशि का योगदान दिया है। निधियों का कुल मूल्य उन पर लगाए गए अनुमानित ब्याज के साथ 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार रु. 6548.17 लाख है।

उक्त ग्रेज्युटी देयता के लिए निधियन (1) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा रु.201.72 लाख की सीमा तक (पिछले वर्ष रु.439.22 लाख) तेलंगाना ग्रामीण बैंक के नाम कार्पस में और (2) रु.254.01 लाख (पिछले वर्ष रु.237.56 लाख) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा भूतपूर्व शातवाहना ग्रामीण बैंक के नाम (3) रु.508.60 लाख (पिछले वर्ष रु.475.65 लाख) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा भूतपूर्व सरस्वती ग्रामीण बैंक के नाम, (4) इंडिया फस्ट बीमा कं.लि. के यहाँ उपलब्ध रु.3911.54 लाख (पिछले वर्ष रु.3652.41 लाख), (5) तेलंगाना ग्रामीण बैंक नल्लकुंटा शाखा के चालू खाते में रु.0.55 लाख (पिछले वर्ष रु.17.07 लाख), (6) कोटक महीन्द्रा बीमा कं.लि. में रु.1294.63 लाख (पिछले वर्ष रु.1219.43 लाख) में रखी निधियां तथा (7) तेलंगाना ग्रामीण बैंक कर्मचारी समूह उपदान न्यास के नाम से भारतीय जीवन बीमा निगम में रखी निधियां रु.377.12 लाख (पिछले वर्ष रु.57.43 लाख) से किया जाता है।

ख) पेंशन

(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी ऐसे पात्र कर्मचारियों को जिन्होंने दिनांक 31.03.2020 को या उससे पहले कार्यग्रहण किया है, पेंशन का भुगतान करने के संबंध में दिनांक 18.12.2018 को भारत सरकार द्वारा जारी असामान्य राजपत्र अधिसूचना संख्या 510 के अनुसरण में):

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से प्राप्त राशि रु. 1960.03 लाख की राशि पर विचार करने के बाद 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार निवल पेंशन देयता रु.35642.79 लाख है। 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार निधियों का कुल मूल्य उन पर अनुमानित ब्याज के साथ रु. 35730.23 लाख है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान रु. 3412.30 लाख का प्रावधान किया है।

उक्त पेंशन देयता का निधियन (i) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास तेलंगाना ग्रामीण बैंक कर्मचारी पेंशन निधि न्यास के नाम से रु.7898.30 लाख (विगत वर्ष 5406.56 लाख), (ii) आदित्य बिल्ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड रु. 5635.22 लाख (विगत वर्ष 4406.35 लाख), (iii) भारतीय जीवन बीमा निगम के पास रु.3796.86 लाख (3177.75 लाख), (iv) इंडिया फस्ट बीमा कं.लि. के पास रखी गई निधियाँ रु.10147.34 लाख (विगत वर्ष 8203.32 लाख), (v) कोटक महीन्द्रा बीमा कं.लि. में रखी गई निधियाँ रु.6151.56 लाख (विगत वर्ष 6871.11 लाख), (vi) आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस के पास उपलब्ध रु.2078.14 लाख (विगत वर्ष 1534.56 लाख), (vii) तेलंगाना ग्रामीण बैंक नल्लकुंटा शाखा में निधियाँ रु.22.73 लाख (विगत वर्ष 81.17 लाख) द्वारा किया जाता है।

ग) छुट्टी नकदीकरण देयत्व:

बैंक ने बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की छुट्टी नकदीकरण देयताओं को पूरा करने / निभाने के लिए 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान रु.248.99 लाख (विगत वर्ष रु. 373.31 लाख) का प्रावधान किया है, जिससे 31.03.2021 की स्थिति पर कर्मचारियों की कुल देयता रु. 3810.71 लाख (विगत वर्ष रु. 3747.62 लाख) रही।

उक्त छुट्टी नकदीकरण दायित्व का निधियन (i) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास तेलंगाना ग्रामीण बैंक की मूल निधि (कार्पस) के रूप में उपलब्ध रु. 957.07 लाख रु.(विगत वर्ष 1132.98 लाख) और (ii) इंडिया फस्ट बीमा कम्पनी लिमिटेड रु. 2769.18 लाख (विगत वर्ष रु.2308.32 लाख) और (iii) तेलंगाना ग्रामीण बैंक नल्लकुंटा शाखा के चालू खाते में उपलब्ध निधियाँ रु. 28.56 लाख (विगत वर्ष रु.41.13 लाख) द्वारा किया जाता है।

घ) वेतन संशोधन:

वेतन संशोधन 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, बैंकों ने X^{IV} द्विपक्षीय समझौते के कारण वेतन संशोधन (नवंबर 2017 से मासिक वेतन बिलों के 15% पर प्राकलित) के प्रति रु.5200.00 लाख की कुल देयता का प्राकलन किया है। बैंक ने 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान रु. 5200.00 लाख का प्रवधान किया है।

8.3 लेखा मानक -17: खंड रिपोर्टिंग

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार, व्यवसाय खंड जिनमें बैंक परिचालन करता है, राजकोषीय परिचालन तथा अन्य बैंकिंग परिचालनों के रूप में निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि बैंक की विदेश में कोई शाखा नहीं है, इसलिए इसका देशी खंड में ही परिचालन किया जाता है।

8.4 लेखा मानक -18: संबंध पार्टी प्रकटीकरण

"संबंध पार्टी प्रकटीकरण" पर आईसाएआई द्वारा जारी लेखा मानक 18 के पैरा 9 के अनुसार, राज्य नियंत्रित उद्यम होने के कारण, बैंक के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वह अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों के साथ संबंध पार्टी संबंधों एवं ऐसे उद्यमों के साथ हुए लेनदेनों को प्रकट करे। तथापि आईसीएआई द्वारा जारी एएस-18 के अधीन प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए संबंध पार्टी के रूप में बैंक ने निम्नलिखित पर विचार किया है:



प्रबंधकीय पारिश्रमिक का विवरण :

(रूपये लाखों में)

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
श्री वी अरविंद, अध्यक्ष	36.88	29.22
श्री नाग श्रीनिवास, महाप्रबन्धक, (III)	27.16	25.67
श्री मुरली मोहन, महाप्रबन्धक -I	27.65	24.49
*श्री वाई रविचंद्रय्या, महाप्रबन्धक-II	5.73	23.46
श्री के सुब्बाराव, महाप्रबन्धक (सतर्कता)	28.44	26.15
श्री वी एस महेश, महाप्रबन्धक (सूचना प्रौद्योगिकी)	26.60	17.99
*श्री सतीश कुमार महाप्रबन्धक-II	18.54	0.00

*प्रस्तुत उक्त पारिश्रमिक दिसंबर 2020 तिमाही तक भुगतान किए गए हैं। जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक देय रु. 55 लाख की राशि के पारिश्रमिकों की प्रायोजक बैंक को अभी तक प्रतिपूर्ति नहीं की गई है।

*श्री वाई रविचंद्रय्या, महाप्रबन्धक-II को दिनांक 20.06.2020 को बैंक से कार्यभारमुक्त कर दिया गया है।

*श्री सतीश कुमार महाप्रबन्धक-II ने 30.07.2020 को बैंक में कार्यग्रहण किया है।

बैंक के निदेशक :

क्रमांक	नाम	नामिती
1	अध्यक्ष - श्री वी अरविंद	भारतीय स्टेट बैंक (प्रायोजक बैंक)
2	श्री पी.एम पात्रो, उमप्र	भारतीय स्टेट बैंक (प्रायोजक बैंक)
3	श्री प्रफुल्ल कुमार जेना, उप महाप्रबन्धक, एलएचओ	भारतीय स्टेट बैंक (प्रायोजक बैंक)
4	श्री जी सन्तानम, उमप्र	नाबार्ड
5	श्री मनभंजन मिश्रा, समप्र	भारतीय रिजर्व बैंक
6	श्री रायी रवि, अपर सचिव वित्त विभाग	तेलंगाना राज्य सरकार
7	डॉ. श्री वी जनार्दन रेड्डी, आईएएस कृषि आयुक्त	तेलंगाना राज्य सरकार
8	रिक्त	भारत सरकार
9	रिक्त	भारत सरकार

संबंधित पार्टी लेनदेनों के विवरण:

(रूपये लाखों में)

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
स्टेट बैंक आफ इंडिया से प्राप्त ओडी सुविधा	6930.00*	5400.00*
एसबीआई को प्रदत्त ब्याज	20.64	67.34
निम्न के साथ किए गए निवेश :		
एसबीआई - अल्पकालिक सावधि जमा रसीदों के रूप में	9546.74	15482.15
एसबीआई से प्राप्त ब्याज	533.76	649.05
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ ग्रेज्युटी निधि में किया अंशदान	201.72	439.22
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ ग्रूप छुट्टी नकदीकरण नीति में किया अंशदान	957.07	1132.98
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ पेन्शन निधि में अंशदान	7898.38	5406.56
एसबीआई में चालू खाता शेष	3074.54	9341.27

* सावधि जमा रसीदों के प्रति ओडी खाता ऋण सीमा राशि को दर्शाता है.

8.5 लेखा मानक - 19: पट्टा

बैंक ने अपने परिचालनों के लिए परिसर पट्टे पर लिए हैं तथा पट्टा अवधि 3 से 5 वर्षों के बीच होती है। जब कभी पट्टे की अवधि समाप्त होती है, परिसरों के मालिकों के साथ परस्पर बातचीत के आधार पर नवीकरण के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी।

8.6 लेखा मानक - 20: प्रति शेयर अर्जन

ए एस-20 बैंकों के लिए लागू नहीं है, क्योंकि यह उद्यम को अधिदेश नहीं देता है, जो न तो इक्विटी शेयर हैं और न ही संभावित इक्विटी शेयर जो प्रति शेयर अर्जन की परिगणना करने तथा प्रकट करने के लिए इस प्रकार सूचीबद्ध किए गए हैं।

8.7 लेखा मानक - 21: समेकित वित्तीय विवरण

बैंक की कोई अनुबंधी नहीं है और इस प्रकार एएस 21 लागू नहीं है।

8.8 लेखा मानक - 22: आय पर करों के लिए लेखांकन

8.8.1 आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं में हुए परिवर्तन शामिल हैं। आस्थगित कर आस्थगित और देयताओं की पहचान चालू वर्ष के लिए कराधान आय और लेखांकन आय के बीच समय अंतरों के प्रभाव पर विचार करके पहचान की जाती है और हानियों को आगे ले जाया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं को कर दरों एवं कर नियमों का प्रयोग करके मापा जाता है, जो तुलन पत्र की तिथि पर अधिनियमित अथवा वास्तविक रूप में अधिनियमित किए गए हैं। आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तन के प्रभाव की लाभ-हानि लेखा में पहचान की जाती है।

31.03.2021 की स्थिति के अनुसार आस्थगित कर देयता लेखाबहियों में रिकॉर्ड किए गए अनुसार मूल्यहास के कारण समय अंतरालों पर तथा आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार रु.50.30 लाख (विगत वर्ष 37.53 लाख) हैं एवं तदनुसार रु. 12.77 लाख



की राशि (विगत वर्ष रु. 22.85 लाख की राशि लाभ-हानि लेखा में जमा) लाभ-हानि लेखा में नामे की गई है।

बैंक ने रु. 10320.00 लाख (विगत वर्ष 9700.00 लाख) का समायोजन करने के बाद आयकर के प्रति भुगतान की गई राशि के संबंध में अन्य चालू आस्तियां शीर्ष के अधीन रु. 2581.62 लाख (विगत वर्ष 3745.65 लाख) का राशि दर्शाई है।

8.9 लेखा मानक - 23: समेकित वित्तीय विवरण में एजेंसियों में निवेशों के लिए लेखांकन

बैंक की कोई अनुषंगी नहीं है और इस प्रकार एएस 23 लागू नहीं है।

8.10 लेखा मानक - 26: अमूर्त आस्तियाँ

सॉफ्टवेर जो हार्डवेयर का अंगभूत / अनिवार्य भाग बनता है, के मूल्यहास की वर्तमान प्रथा @33.33% (एसएलएम आधार पर) का बैंक द्वारा निरंतर अनुपालन किया जा रहा है, जो आईसीएआई द्वारा जारी एएस-26 के अनुरूप है।

8.11 लेखा मानक - 28: आस्तियों की हानि

बैंक के प्रबंधन के विचार से वर्ष के दौरान आस्तियों की कोई हानि नहीं हुई है।

8.12 लेखा मानक - 29: प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्तियाँ

क. 11 वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वेतन संशोधन के लिए भारतीय बैंक संघ से प्राप्त निदेश के अनुसार, वर्ष के दौरान विचाराधीन, बैंक ने कर्मचारियों को एक महीने के वेतन के रूप में 8.70 करोड़ की अंतरिम राशि का भुगतान किया है। बैंक ने वेतन संशोधन के लिए 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार रु. 52 करोड़ का प्रावधान किया है।

ख. 1. जून 2010 से जनवरी 2018 के बीच की अवधि के दौरान बैंक की अजीजनगर शाखा में कुछ अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा रु. 894.88 लाख की धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट की गयी, जिसके संबंध में बैंक ने दिनांक 07.02.2018 को केन्द्रीय जाँच ब्यूरो, एसीबी, हैदराबाद में एफआईआर संख्या आरसी 01(ए) 2018 सीबीआई, हैदराबाद दिनांक 19.02.2018 मुकदमा दायर किया। मामला सीबीआई की जाँच के अधीन है। उक्त धोखाधड़ी के प्रति संभाव्य हानि के लिए बैंक ने रु. 839.21 लाख का प्रावधान किया है। वर्ष 2017-18 के दौरान रु. 839.21 लाख प्रावधान में से प्रभावित जमाकर्ताओं को भुगतान करने हेतु बैंक ने एक समिति का गठन किया। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दावेदारों को रु. 38.15 लाख अदा किए गए। (पिछला वर्ष रु. 602.28 लाख) (चालू तिमाही शून्य)। समिति ने 172 दावों की जाँच की और रु. 699.65 लाख की राशि के 137 दावों को सही मानकर, उनका निपटान किया। विभिन्न कारणवश शेष 35 दावों का अस्वीकरण किया गया, इन में से 8 दावेदारों ने विभिन्न मंचों, यानी, माननीय जिला उपभोक्ता मंच, माननीय राज्य उपभोक्ता मंच, माननीय नगर सिविल न्यायालय, हैदराबाद, में अपील की। तथापि इन अस्वीकृत मामलों के संबंध में बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में ही प्रावधान किया है और शाखा में रखे गए अन्य आस्तियाँ खाते को नामे करके निपटाए गए दावों की राशि के भुगतान के कारण पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रु.38.15 लाख के प्रावधान को शून्य / प्रत्यावर्तित किया गया है।

2. 30 सितंबर 2020 को समाप्त अर्ध वर्ष में रसनम और रेकर्ती शाखाओं में हुई धोखाधड़ियाँ।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए गए प्रतीत होते जाली बेबाकी प्रमाणपत्र सहित ऋण स्वीकृत करने से पूर्व पूछताछ किए बिना रसनम शाखा में फसल ऋण मंजूर किए गए तथा इन ऋणों की मंजूरी में बिचौलियों की संलग्नता थी, जिसके कारण दोहरा वित्तपोषित किए गए थे और बोमरापेट को सूचित किया गया था कि 151 खोते जो उनके द्वारा वित्तपोषित किए गए थे और उनके द्वारा जारी किए गए बेबाकी प्रमाणपत्र भी जाली बताए गए। दिनांक 23.09.2020 को पुलिस में शिकायत की गई जिसकी पंजीकृत एफआईआर संख्या 176/20 है 151 फसल ऋण खातों में शामिल राशि रूपए 147.2 करोड़ लाख है। त्रुटिकर्ता अधिकारी को

14-02-2020 से निलंबनाधीन रखा गया है। अनुशासनिक कार्यवाही की गई और जांच कार्यवाही प्रगति के अधीन है। अभी तक 11 खातों को बंद करने तथा 99 खातों में आंशिक वसूली होने पर रु. 19 लाख की राशि वसूल की गई।

रेकर्ती शाखा : आईकेपी / एमईपीएमए स्टाफ तथा एसएसजी समूह सदस्यों ने उनके फोटो के रूप बदल (मार्फिन) करके अन्य शाखाओं में रखी गई खातों के जाली विवरणों द्वारा शाखा को धोखा दिया। शाखा ने एसएसजी समूह सदस्यों की पहचान, उनका उचित सत्यापन किए बिना ऋण की सिफारिश / मंजूरी की तथा इसकी शुद्धता को सुनिश्चित करने में असफल रहे। 30 एसएसजी खातों में रुपए 199.97 लाख की राशि शामिल है। दिनांक 01.10.2020 को पुलिस को शिकायत दर्ज की गई और पंजीकृत एफआईआर संख्या 181 है। त्रुटिकर्ता अधिकारी को आरोप पत्र दिया गया है और जांच कार्यवाही प्रगति अधीन है। अभी तक 9 एसएसजी खातों में रुपए 1.30 लाख वसूल किए गए हैं।

3. दिसंबर 2020 तिमाही के दौरान धोखाधड़ियाँ:

मनखल शाखा : तिमाही के प्रारंभ के दौरान यानी अक्टूबर 2020 में हैदराबाद-1 क्षेत्र में मनखल शाखा में एक धोखाधड़ी हुई। शाखा मूल्यांकनकर्ता ने जाली / नकली स्वर्ण आभूषणों को शुद्ध स्वर्ण आभूषणों के रूप में प्रमाणित किया, जिसके आधार पर बैंक ने 25 स्वर्ण ऋण रु.52.00 लाख मंजूर किए, जिनमें बकाया रु.54.61 लाख है तथा शाखा स्टाफ को धोखा दिया। महेश्वरम मंडल में पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज की गई और एफ आई आर संख्या 518 / 2020 दिनांक 26-09-2020 अनुसार एफ आई आर यू / एस 154 एवं 157 सी आर पंजीकृत हुई। इसे उच्च मूल्य धोखाधड़ी समिति के समक्ष रखा गया और दिनांक 19-10-2020 को हुई बोर्ड की 91 बैठक में बोर्ड को सूचित किया गया। बोर्ड ने प्रत्येक क्षेत्र के लिए कैरेट गोल्ड मशीन की व्यवस्था करने का सुझाव दिया। तुरंत, हमने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को सभी शाखाओं में दूसरा मूल्यांकन करवाने की सूचना दी और तुरंत इसकी पुष्टि करें। उन्होंने पुष्टि की है कि सभी शाखाओं में सभी स्वर्ण ऋण बिल्कुल ठीक हैं। हमने इसका उल्लेख करते हुए एक परिपत्र भी जारी किया है। विभागीय जांच की गई है और कार्यवाही प्रगति के अधीन है। अभी तक 2 खातों में रुपए 0.13 लाख की सीमा तक वसूलियाँ की गई हैं।

सेन्टेनरी कॉलोनी शाखा : किसानों की सांठगांठ से बाहरी व्यक्तियों द्वारा तैयार की गई नकली पहादार पासबुकों के आधार पर किसानों को 2017 तथा 2018 की अवधि के दौरान सेन्टेनरी कॉलोनी शाखा, तेलंगाना ग्रामीण बैंक में नए फसल ऋणों की मंजूरी के संबंध में एक स्थानीय समाचार पत्र में पेदापल्ली संस्करण में दिनांक 03-03-2020 को एक प्रेस नोट प्रकशित हुआ। तुरंत, हमने क्षेत्रीय प्रबंधक को सूचित किया कि वे सभी स्तरों पर मामलों की विवेकपूर्ण जांच करें और इस पर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। उन्होंने हक अधिकारों तथा भूमि धारियों की शुद्धता की जांच को सुनिश्चित करने के लिए राजस्व अधिकारियों के साथ मामले को उठाया। महामारी की स्थिति के कारण पेदापल्ली जिले के रामगिरी तथा मुथराम मंडलों के राजस्व अधिकारियों ने जो डाटा प्रदान किया है, उसमें उल्लेख किया गया है कि अक्टूबर 2020 में 175 केसीसी खाते नकली राजस्व रिकॉर्ड वाले हैं। दिनांक 22-12-2020 को रामगिरी पुलिस स्टेशन में एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई। एफ आई आर कॉपी अभी प्राप्त होनी है। इसे उच्च मूल्य धोखाधड़ी समिति के समक्ष रखा गया और 175 फसल ऋण खातों में रु.225.88 लाख की धोखाधड़ी घोषित हुई। हमने भी इस विषय पर एक परिपत्र जारी करके सूचित किया है कि नए ऋण मंजूर करते समय सावधान रहें। त्रुटिकर्ता अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। अभी तक 24 खाते बंद करने तथा 5 खातों में आंशिक वसूली होने पर रु.20.99 लाख की राशि वसूली है।

सभी खातों को प्रतिवादित बिलों में अन्तर्गत किय गया है और सभी खातों के लिए 100% प्रावधान किया गया है।



8.12 वर्ष के दौरान लाभ-हानि लेखा में किए गए प्रावधान और आकस्मिकताएं निम्नानुसार हैं: (रूपये लाखों में)

क्र.सं	विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
क	प्रावधान और आकस्मिकताएं		
1	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	411.72	521.87
2	एलपीए के लिए प्रावधान	7890.02	3744.00
3	गैर एसएलआर निवेश के लिए प्रावधान	0.16	0.00
	कुल प्रावधान एवं आकस्मिकताएं	8301.90	4265.87
ख	कर प्रावधान		
	कराधान के लिए प्रावधान	10300.00	9700.00
	कुल कर प्रावधान	10300.00	9700.00
	कुल क एवं ख	18601.74	13965.87

8.13 एस-4 तुलन पत्र के बाद घटित आकस्मिकताएं और घटनाएं: तुलन पत्र की तिथि के बाद कोई घटना नहीं घटी है, जिसकी वित्तीय विवरणों में समायोजन की आवश्यकता होती है। मार्च 2020 को समाप्त तिमाही दौरान, कोविड-19 महामारी के प्रकोप से आर्थिक गतिविधियों में पर्याप्त मंदी आई है। 31.03.2020 को समाप्त वर्ष तथा तिमाही के दौरान सामान्यतः बैंक के वित्तीय परिणामों तथा / या इसकी कार्यप्रणाली पर कोविड-19 का महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं हुआ है। तथापि कोविड-19 का प्रभाव यदि कुछ हुआ तो उसे भविष्य में विधिवत शामिल किया जाएगा।

8.14 मालसूची के मूल्यांकन पर एस-2, विनिर्माण संविदा पर एस-7, विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों के प्रभाव पर एस-11, विलयन के लिए लेखांकन पर एस-14, उधार लागत पर एस-16, उल्लिखित के अधीन प्रकरण एस बैंकों के लिए लागू नहीं है अथवा इन लेखांकन मानकों के अनुसार रिपोर्ट करने के लिए अपेक्षित रिपोर्ट योग्य कोई लेन-देन नहीं है।

9. अतिरिक्त प्रकटीकरण

9.1 चल प्रावधान (रूपये लाखों में)

क्र.सं	विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
क	चल प्रावधान खाते में आरंभिक शेष	0	0
ख	लेखा वर्ष के दौरान किये गये चल प्रावधानों की मात्रा	0	0
ग	लेखा वर्ष के दौरान ड्रा डाउन की गयी राशि	0	0
घ	चल प्रावधान खाते में अंतिम शेष	0	0

9.2 धोखाधड़ियों के प्रति प्रावधान

धोखाधड़ी मामलों के विवरण निम्नानुसार हैं:

(रूपये लाखों में)

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
वर्ष के आरंभ में प्रावधान	344.71	382.86
घटाएं : 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गयी राशियाँ	0.00	0.00
जोड़ें : 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	0.00	0.00
घटाएं : 31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान प्रत्यवर्तित प्रावधान	0.00	38.15
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के अंत की स्थिति पर प्रावधान	344.71	344.71
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के अंत में धोखाधड़ी के मामलों की संख्या	21	21

10. शिकायतों का प्रकटीकरण

10.1 ग्राहक शिकायतें:

क्र.सं	विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
क	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	0	1
ख	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	14	9
ग	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान निपटायी गयी शिकायतों की संख्या	14	10
घ	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के अंत में अनिर्णीत शिकायतों की संख्या	0	0

10.2 बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय :

क्र.सं	विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
क	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित नहीं किये गये अधिनिर्णयों की संख्या	0	14
ख	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	0	2
ग	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	0	16
घ	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किये गये अधिनिर्णयों की संख्या	0	0



11. जमाराशियों , अग्रिमों, जोखिमों एवं अनर्जक अस्तियों का केन्द्रीकरण:

11.1 जमाराशियों का केन्द्रीकरण

(रूपये लाखों में)

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	107438.26	70448.00
बैंक की कुल जमाराशियों में 20 सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	10.62%	7.83%

11.2 अग्रिमों का केन्द्रीकरण

(₹ in Lakhs)

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं की कुल अग्रिम	1990.59	3217.00
बैंक के कुल अग्रिमों में 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिमों का प्रतिशत	0.20%	0.38%

11.3 जोखिमों का केन्द्रीकरण

(₹ in Lakhs)

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के कुल जोखिम	1990.59	3217.00
उधार कर्ताओं / ग्राहकों सम्बन्धी बैंक के कुल जोखिमों (एक्सपोजर) में 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं / ग्राहकों के जोखिमों का प्रतिशत	0.20%	0.38%

11.4 अनर्जक अस्तियों का केन्द्रीकरण

(₹ in Lakhs)

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
उच्च चार एनपीए खातों का कुल जोखिम	107.01	104.00



11.5 क्षेत्र वार एनपीए :

(रूपये लाखों में)

क्र.सं	क्षेत्र	चालू वर्ष 31.03.2021			पिछला वर्ष 31.03.2020		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	क्षेत्र के कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल एनपीए	क्षेत्र के कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का प्रतिशत
क	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियाँ	737266.25	16716.36	2.27	644472	11488	1.78%
	केसीसी	461827.71	10318.55	2.23	428331	5607	1.31%
	एसएचजी	249194.65	4786.90	1.92	208264	3940	1.89%
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के उधार के रूप में पात्र औद्योगिक क्षेत्र को अग्रिम	14092.38	2424.61	17.21	13604	2545	18.70%
3	सेवाएं	2386.33	248.60	10.42	2386	207	8.67%
	नकद ऋण	2322.38	198.23	8.54	2287.63	136.84	5.98%
4	व्यक्तिगत ऋण	100214.55	1166.44	1.16	70046	1440	2.06%
	आवास ऋण	98764.24	940.91	0.95	68923.26	1224.95	1.78%
	उप जोड (क)	853959.51	20556.01	2.41	730508	15680	2.15%
ख	गैर प्राथमिकता क्षेत्र						
1	कृषि एवं संबंधित गतिविधियाँ	-	-	-	-	-	-
2	उद्योग	-	-	-	-	-	-
3	सेवाएं	-	-	-	-	-	-
4	व्यक्तिगत ऋण	156416.27	2206.66	1.41	118289	1953	1.65%
	आभूषण ऋण	96611.70	99.83	0.10	51066.83	4.12	0.01%
	डीएल / सीडीएल	30910.77	242.36	0.78	28117.83	310.58	1.11
	उप जोड (ख)	156416.27	2206.66	1.41	118289	1953	1.65%
	कुल (क+ख)	1010375.78	22762.67	2.25	848797	17633	2.08%

*क्षेत्र कुल के 10% से अधिक बकाया शेषों वाले उप क्षेत्रों को अलग से प्रकट किया गया है।



11.6 जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएफ) को अंतरित

(रुपये लाखों में)

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
डीईएफ को अंतरित राशि का आरंभिक शेष	38.77	25.33
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएफ को अंतरित राशि	189.92	13.44
घटाएं : दावों के लिए डीईएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	0.12	NIL
डीईएफ को अंतरित राशि का अंतिम शेष	228.57	38.77

12. एनपीए में उतार - चढ़ाव:

(रुपये लाखों में)

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
सकल एनपीए (आरंभिक शेष)	17633.33	16555.45
वर्ष के दौरान परिवर्धन (नए एनपीए)	13910.92	41000.82
उप जोड़ (क)	31544.25	57556.27
घटाएं:		
i. कोटि उन्नयन	3012.89	11621.42
ii. वसूलियों (कोटि उन्नयन खातों से हुई वसूलियों को छोड़कर)	4176.11	28253.00
iii. बट्टे खाते डाले गए / समझौता	1592.57	48.52
उप जोड़ (ख)	8781.57	39922.94
सकल एनपीए (अंतिम शेष) (क-ख)	22762.68	17633.33

13. प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर)

विवरण	चालू वर्ष 31.03.2021	पिछला वर्ष 31.03.2020
पीसीआर (%)	90.03%	70%

14. आरक्षिति से आहरण द्वारा कमी

बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सांविधिक और सामान्य आरक्षिति से कोई राशि आहरित नहीं की है।

15. आरबीआई द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

बैंक ने आरबीआई अधिनियम 1934 तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के अनुसार सीआरआर और एसएलआर बनाए रखी हैं और रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान कोई चूक नहीं हुई है।

16. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र (पीएसएलसी) :

बैंक ने 31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित पीएसएलसी के लेनदेन किये. (रूपये लाखों में)

पीएसएलसी की बिक्री		
क्षेत्र	राशि	अर्जित प्रीमियम
पीएसएलसी एसएम	511000.00	9725.15
पीएसएलसी कृषि	70000.00	1007.00
पीएसएलसी सामान्य	77850.00	71.35
पीएसएलसी माइक्रो इंटरप्राइज	16000.00	206.00
कुल	674850.00	11009.50
पीएसएलसी की खरीदी		
क्षेत्र	राशि	अर्जित प्रीमियम
पीएसएलसी सामान्य	324500.00	1617.75
पीएसएलसी कृषि	19000.00	299.00
कुल	343500.00	1916.75

17. अंतर शाखा लेनदेन एंड अंतर कार्यालय खाते

क) सीबीएस अवधि के बाद:

सीबीएस अवधि के बाद से संबंधित अंतर शाखा लेनदेन, अंतर कार्यालय खातों के सम्बन्ध में बकाया प्रविष्टियाँ समाधान / समायोजन की प्रक्रिया के अधीन है। प्रबंधन का मानना है कि इसके अंतर्गत निहित राशियाँ प्रावधान करने के लिए महत्वपूर्ण तथा संदेहास्पद प्रकृति की नहीं हैं।

समाधान के लिए विचाराधीन बकाया प्रविष्टियों का आयु-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं	समयावधि	नामे प्रविष्टियों की संख्या	नामे प्रविष्टियों की राशि	जमा प्रविष्टियों की संख्या	जमा प्रविष्टियों की राशि	जमा निवल स्थिति
1	3 महीने तक	14	714.68	199	342.42	372.26
2	3 से 6 महीनों तक	0	0	0	0	0
3	6 महीनों से एक साल तक	0	0	0	0	0
4	एक साल से 5 साल तक	0	0	0	0	0
5	5 साल से अधिक	0	0	0	0	0
	कुल	14	714.68	199	342.42	372.26



ख) सीबीएस पूर्व अवधि:

सीबीएस पूर्व अवधि से संबंधित अंतर शाखा लेन-देनों संबंधी बकाया जमा प्रविष्टियाँ यानी डीजीबी डीडी तथा डीजीबी जीए रु. 165.58 लाख की राशि अवरूद्ध खाते को अंतरित की गई है और उन प्रविष्टियों में से, जो प्रविष्टियाँ पिछले 10 वर्षों से अधिक की है, उन्हें डीईए फंड को अन्तरित किया गया, जो रु. 5.09 लाख हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी संख्या बीपी.बीसी 73/21.04.18/98 के अनुसार अनुसूची 5 "अन्य देयताएँ" के अधीन शेष राशि प्रकट की गई है।

18. उन आंकड़ों को छोड़कर जहां सूचना उपलब्ध नहीं थी, पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां आवश्यक हो, पुनः समूहित/ पुनः व्यवस्थित किया गया है।

कृते सागर एंड एसोसिएट्स,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या. 003510 एस

ह/-
(सीए. वी. विद्यासागर बाबु)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 027357

कृते तेलंगाना ग्रामीण बैंक

ह/-
महाप्रबंधक-

ह/-
अध्यक्ष



31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का नकदी प्रवाह विवरण

(रुपये हजारों में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2019-20	
परिचालन कार्यप्रणालियों से नकदी प्रवाह :			
कर के साथ नियत स्तर	2939634	1711036	
जोड़े:			
ताम हानि लेखा में नाम किया गया पुन्यहात	46170	50999	
आयकर के लिए प्रावधान	1030000	970000	
आवृत्त कर आसि रत्नायोगन	1278	-2286	
मानक ऋणों के लिए प्रावधान	41172	52188	
आशुता व सदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	789002	374400	
एसएलआर निवेशों के लिए प्रावधान			
एचटीएन निवेशों का परिशोधन	9366	10647	
आरबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, मुद्रा से प्राप्त धन पर प्रवत खान	2142635	2081595	
ग्रेजुटी, छुट्टी नकदीकरण, पेंशन और राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए प्रावधान	8439	243273	
घटाएं:			
निवेशों पर आय	3574386	3201551	
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पहले परिचालन स्तर	3433309	2290301	
कार्यशील पूंजी परिवर्तन :			
जमा राशियों में वृद्धि / (कमी)	11168391	12805854	
देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	-1773026	-3996563	
अशियों में (वृद्धि) / (कमी)	-15528085	-13999054	
अन्य आसियों में (वृद्धि) / (कमी)	116186	2003236	
परिचालकों द्वारा सृजित नकदी	-2583225	-3186528	
घटाएं: प्रवत आयकर	-1032000	-1044441	
परिचालन गतिविधियों से नियत नकदी	A	-1551225	-1940668
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह :			
अपल परिसंपत्तियों की विक्रय / (अप)	-71372	-50128	
निवेशों की विक्रय / (अप)	-10122201	3380074	
निवेशों से प्राप्त आय	2656916	2288766	
निवेश गतिविधियों से नियत नकदी :	B	-7536657	5618712
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :			
भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक तथा अन्य एजेंसियों से प्राप्त निधियों	-1440201	7560933	
भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक को प्रवत खान	-1974731	-1816668	
वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त नियत नकदी :	C	-3414932	5744265
विदेशी धिनियम दरों में परिवर्तनों का प्रभाव			
नकद एवं नकदी संपत्तियों में नियत (वृद्धि) / (कमी) (क+ख+ग)	-12502813	9422310	
जोड़े : प्रारंभिक नकदी एवं नकदी संपत्तियों			
i) हाथ में नकदी	594151	546777	
ii) भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में लेख	3560617	3948497	
iii) बीघादी जमा राशि	25447915	15685100	
कुल	29602684	20180374	
नोट			
अंतिम नकदी और नकदी संपत्तियों			
i) हाथ में नकदी	620785	594151	
ii) भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में लेख	3874412	3560617	
iii) बीघादी जमा राशि	12604674	25447915	
कुल	17099871	29602684	

कृते सागर एंड एसोसिएट्स,
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या. 003510 एस

(सी. वी. विद्यासागर बाबु)
साझेदार
सदस्यता संख्या: 027357

कृते तेलंगाना ग्रामीण बैंक

ह/-
महाप्रबंधक

ह/-
अध्यक्ष



LETTER OF TRANSMITTAL

Date: 13.05.2021

The Secretary,
Department of Financial Services,
Ministry of Finance,
Government of India,
New Delhi.

Dear Sir,

16th ANNUAL REPORT 2020-21 TELANGANA GRAMEENA BANK

In accordance with the provisions of section 20 of the Regional Rural Bank Act, 1976,
I forward herewith the following documents.

- ◆ A report of Board of Directors as to the Bank's working and its activities during the period from 01.04.2020 to 31.03.2021.
- ◆ A copy of the audited Bank's Balance Sheet and Profit & Loss Account for the year ended 31.03.2021.
- ◆ A copy of the Auditor's Report in relation to the Bank's accounts for the period from 01.04.2020 to 31.03.2021.

Yours faithfully,

(V. ARVIND)
CHAIRMAN



Vision, Mission and Values

VISION

To be the premier RRB in the Telangana State providing technologically advanced, committed and quality service in all spheres of banking and be the most Trusted Bank for Rural Development.

MISSION

“Providing transparent and efficient Banking Services at reasonable cost at the doorsteps of our customers by ensuring 100% Financial Inclusion, empowerment of rural customers, promoting Self Help Group (SHG) movement with special emphasis on women and earn continuous profits by having healthy business mix thus becoming a leading Bank in our area of operation”

VALUES

- *Commitment for Rural development*
- *Transparency*
- *Excellence in customer service*
- *Team Spirit*



REGIONAL OFFICES

Regions in Telangana:

ADILABAD

Regional Business Office,
Saraswathi Bhavan,
Near Gandhi Park,
Adilabad - 504 002
Tel: 08732 - 226574, Fax: 08732 - 225250
rmadb@tgbhyd.in

KARIMNAGAR

Regional Business Office,
H.No.2-8-128, Ward No.2,
Besides Seven Hills, Mukarampura,
Karimnagar - 505 002
Tel: 0878 - 2249275, Fax: 0878 - 2242794
rmknr@tgbhyd.in

NIZAMABAD

Regional Business Office,
H. No. 5-4-60/1,
Kishandas Compound, Khaleelwadi,
Nizamabad - 503 002
Tel: 08462 - 227147
rmnzb@tgbhyd.in

HYDERABAD-I

Regional Business Office,
H.No. 9-27/1,
Lalithanagar, Dilsukhnagar,
Hyderabad - 500 060
Fax: 040 - 24065129
rmhyd@tgbhyd.in

MANCHERIAL

Regional Business Office,
H.No. 4-56,
Janmabhumi Nagar, Mancherial
Tel/ Fax: 08736 - 255516
rmmncl@tgbhyd.in

HYDERABAD-II

Regional Business Office,
H.No. 2-1-520, 3rd Floor,
Street No.9, Shankarmutt Road,
Nallakunta, Hyderabad - 500 044
Fax: 040 - 27608545
rmhyd2@tgbhyd.in

JAGTIAL

Regional Business Office,
H.No. 3-6-92, Karimnagar Road,
Opp: Bombay Cloth Show Room,
Jagtial Town, Jagtial
Dist. - 505327
Tel: 08724 - 2253601
rmjgl@tgbhyd.in

BOARD OF DIRECTORS

AS ON 31-03-2021



Shri V Arvind

Chairman

(General Manager on deputation from State Bank of India)

*Nominee Directors of Government of India
under Section 9(1)(a) of RRB Act, 1976*



Vacant.



Vacant.

*Nominee Director of RBI
Section 9(1)(b) of
RRB Act, 1976*



Shri Manbhanjan Mishra

Asst. General Manager
Reserve Bank of India,
Hyderabad.

*Nominee Director of
NABARD Section 9(1)(c) of
RRB Act, 1976*



Shri G. Santhanam

Dy. General Manager
Regional Office,
Telangana State, NABARD
Hyderabad.

*Nominee Directors of Sponsor Bank
Section 9(1) (d) of RRB Act, 1976*



Shri P M Patro

Dy. General Manager (A&S-RRB)
State Bank of India,
Mumbai.



Shri Prafulla Kumar Jena

Dy. General Manager (FIMM)
State Bank of India, LHO,
Hyderabad.

*Nominee Directors of State Government under
Section 9(1) (e) of RRB Act, 1976*



Shri Rayi Ravi

Addl. Secretary
Finance Department,
Govt. of Telangana



Dr. B Janardhan Reddy, IAS

Secretary to Govt. (TS) &
Commissioner of Agriculture
Govt. of Telangana

TOP MANAGEMENT



Shri V Arvind
Chairman



Shri C. Murali Mohan
General Manager-I



Shri S. Satish Kumar
General Manager-II



Shri Naga Srinivas Ch
General Manager-III



Shri D V Subba Rao
General Manager (CVO)



Shri V.S. Mahesh
General Manager (IT)

REGIONAL MANAGERS

Shri K. Raghunandan Reddy
Regional Manager
Adilabad

Shri M Venkateshwarlu
Regional Manager
Karimnagar

Shri P Rajender
Regional Manager
Nizamabad

Shri D. Rammohan Rao
Regional Manager
Hyderabad-I

Shri C Ramana Murthy
Regional Manager
Mancherial

Shri K. Laxmaiah
Regional Manager
Hyderabad-II

Shri S. Ravinder Reddy
Regional Manager
Jagtial

STATUTORY CENTRAL AUDITORS

M/s Sagar & Associates,
Banjara Hills, Hyderabad.

OUR MENTORS



Shri Dinesh Kumar Khara
Chairman
State Bank of India



Shri Ashwini Kumar Tewari
Managing Director
State Bank of India



Shri Devendra Kumar
Chief General Manager, (A&S)
State Bank of India

OUR REGULATORS & SUPERVISORS



Smt. K Nikhila
Regional Director
RBI, RO, Hyderabad



Shri Y K Rao
Chief General Manager
NABARD, TSRO, Hyderabad



BANK'S PERFORMANCE AT A GLANCE 2020-21

I. HIGHLIGHTS	(₹ in Crore)	
	31 st March 2021	31 st March 2020
Branches	424	421
Deposits	10109.15	8992.31
Advances	10103.76	8487.97
Total Business	20212.91	17480.28
Gross Profit	397.09	267.88
Gross NPAs	227.63	176.33
Gross NPA to Aggregate Advances	2.25%	2.08%
Net NPA to Aggregate Advances	0.23%	0.41%
Average cost of Deposits	5.16%	5.80%
Average Yield on Advances	10.40%	10.59%
Average Return on Investments	6.93%	7.77%
Advances under Agricultural Segment	67.99%	75.93%
Advances to Priority Sector	82.37%	86.06%
Credit Deposit Ratio	99.95%	94.39%
Owned funds	1161.51	867.55
Productivity		
a) per branch	47.67	41.52
b) per employee	11.68	9.97
Return on Assets	1.94%	1.36%
Return on Equity	29.74%	21.97%
Net Profit per employee	16.99 lakh	9.76 lakh
Net Interest Margin	4.06%	3.68%
Capital Adequacy Ratio	12.55%	11.63%
Provision Coverage Ratio	90.03%	81%
Cost of Funds	4.72%	5.44%



Chairman's Report

I feel honoured to present the Bank's Annual Report, for the fourth consecutive year, along with the Financial Statements for the year 2020-21.

I am happy to note that during the year 2020-21 Bank's total business has crossed a landmark of ₹20000 crore and stood at ₹20212.91 crore with growth of 15.63% amounting to ₹2732.63 crore from ₹17480.28 crore for FY 2019-20.

Total deposits of the bank were ₹ 10109.15 crore as on 31.03.2021 as against ₹ 8992.31 crore as on 31.03.2020 recording a growth of ₹1116.84 crore. CASA deposits grew by ₹418.53 Crore at 12.20% and reached ₹3848.41 Crore as on 31.03.2021 against ₹ 3429.88 Crore as on 31.03.2020

Bank's advances grew to ₹ 10103.76 crore as on 31.03.2021 from ₹ 8487.97 crore as on 31.03.2020 registering a growth of 19.04%.

Credit support to all farmers with particular focus on small and marginal farmers and weaker sections of society to enable them to

adopt modern technology and improved agricultural practices for increasing agricultural production and productivity continued during the financial year also. Crop loans, SHG and retail products such as Housing Loans, etc were in focus during the financial year. The Bank has recorded a growth of ₹ 1017.74 crore in total priority sector during the FY 2020-21.

Housing Loan portfolio of the bank has increased from ₹ 814.98 crore in FY 2019-20 to ₹987.64 crore in FY 2020-21 registering growth of 21.18% (absolute growth of ₹ 172.66 crore). Personal Gold Loans have increased from ₹ 510.66 crore in FY 2019-20 to ₹966.11 crore in FY 2020-21 registering growth of 89.18% (absolute growth of ₹ 455.45 crore).

Bank NPA stood at ₹ 227.63 crore (Gross) which is 2.25% of total advances as at the end of 31.03.2021. Net NPA has come down from 0.41% as on 31.03.2020 to 0.23% as on 31.03.2021. Bank adopted suitable strategies to address NPAs. All these needed concerted



efforts and focussed approach on the part of our operating functionaries to ensure all-round growth of the Bank. The Non-Performing Assets have increased by ₹51.30 crore from ₹176.33 crore as on 31.03.2020 to ₹227.63 crore as on 31.03.2021. The Bank registered a gross profit of ₹397.09 crore for the FY 2020-21 as against ₹267.88 crore for FY 2019-20 with a growth rate of 48.23%.

Capital adequacy to risk-weighted assets ratio (CRAR) stood at 12.55% as against the indicative level of 9% for Regional Rural Banks which exhibits the strength of the Bank.

“Per Branch business” of the bank increased to ₹ 47.67 crore during the year from ₹41.52 crore in the previous year. Per employee business increased from ₹ 9.97 crore during FY 2019-20 to ₹ 11.68 crore during FY 2020-21.

Cost of Deposits of the Bank stood at 5.16% as on 31.03.2021 as against the MoU target of below 5.45%. Net Interest Margin of the Bank stood at 4.06% as on 31.03.2021 as against the MoU target of above 3.70%. Provision Coverage Ratio of the Bank stood at 90.03% as on 31.03.2021 as against the MoU target of 83.00%. Cost of Fund of the Bank stood at 4.72% as on 31.03.2021 against the level of 5.44% as on 31.03.2020.

To promote “Green Banking”, we have deployed 461 Micro ATMS at the branches with the grant assistance of NABARD under the green channel.

Bank has conducted “Special Financial Literacy Awareness Camps” (FLAC) to empower customers on cash less transactions and to enlighten the people to transform themselves to adopt digital transactions.

We have increased our CD ratio to 99.95% during 2020-21 from 94.39% during 2019-20.

We committed ourselves to continuous innovation and implementation of IT Products and services. I feel happy to inform you that Bank introduced a good number of IT initiatives.

Bank received two awards for its performance during FY 2020-21 from IBA.

1. Winner in Best IT Risk & Cyber Security Initiatives under RRB segment.
2. Runner-Up in Best Digital Financial Inclusion Initiatives under RRB segment.

We are happy that DISA Mobile App for implementing various digital products was launched by Sri Dinesh Kumar Khara, Chairman, State Bank of India on 01.02.2021. Bank has introduced Android Application for Scanning C KYC Documents.

I place on record my sincere gratitude to all our customers, our Sponsor Bank (SBI), NABARD, RBI, Government of India, Government of Telangana and District Administration for their valuable support and patronage for progress and development of the bank during the financial year.

I am thankful to our Board of Directors for their valuable guidance, insights and support all through the Board Meetings.

Further, I am quite sure that bank will scale greater heights with sincere and committed efforts of our staff and I would like to place on record my appreciations for their excellent team spirit.

(V. Arvind)
CHAIRMAN

Visit of Shri Devendra Kumar CGM, A&S, SBI, Mumbai



CGM Addressing the Head Office Staff



General Managers & Head Office Staff



Appreciation Received from Shri. Devendra Kumar, CGM

**Chairman's Meeting with Shri. G R Chinthala, Chairman,
NABARD at TSRO NABARD Hyderabad**



International Women's Day Celebrations at our Bank on 08.03.2021



KEY PERFORMANCE INDICATORS

(₹ in 000's)

SI.NO	PARTICULARS	2018-19	2019-20	2020-21
A	KEY PERFORMANCE INDICATORS:			
1	No.of Districts covered	18	18	18
2	No.of Branches	416	421	424
a)	Rural	304	309	312
b)	Semi-Urban	66	68	68
c)	Urban	33	31	31
d)	Metropolitan	13	13	13
	Ultra Small Branches	436	436	596
3	Total Staff (Excluding Sponsor Bank Staff)	1790	1754	1730
	Of, which officers	1182	1158	1129
4	DEPOSITS	77117262	89923116	101091507
	Growth %	7.40	16.60	12.42
5	Borrowings outstanding	33223490	40784422	39344221
	Growth %	87.49	22.76	(-)3.53%
6	GROSS LOANS & ADVANCES OUTSTANDING	70511116	84879749	101037578
	Growth %	19.44	20.38	19.04
	Of 6 above, loans to priority sector	62379179	73050277	83227767
	Of 6 above, loans to Non-priority sector	8131937	11829471	17809811
	of 6 above, loans to SC/ST	22291881	19681419	18691952
	Of 6 above, loans to SF/MF/AL	35132840	38356097	41877133
	Of above, loans to Minorities	5187400	5922363	6211798
7	C.D.RATIO %	91.43	94.39	99.95
8	Investments outstanding	42531472	23455650	33568485
	SLR Investments outstanding	26393377	22942655	32795506
	NON-SLR Investment Outstanding (including TDRS)	16138095	25960910	772979
B	AVERAGES:			
9	Average Deposits	73962263	82085697	96942557
	Growth %	16.29	10.98	18.10
10	Average Borrowings	26151437	34682017	41786516
	Growth %	54.64	32.62	20.48
11	Average Gross Loans & Advances	63134440	74784647	90130809
	Growth %	19.94	18.45	20.52
12	Average Investments	38604012	41231661	51607682
	Growth %	22.00	6.80	25.16
	Average SLR Investments	26633556	23621867	29546078
	as % to average Deposits	36.01	28.78	30.48
	Average Non-SLR Investments	11970695	1221328	876327
	as % to average Deposits	16.18	1.49	0.90
13	Average Working Funds	111164746	125643504	151503490



SI.NO	PARTICULARS	2018-19	2019-20	2020-21
C	LOANS ISSUED DURING THE YEAR:			
14	LOANS ISSUED DURING THE YEAR :	46655648	55571940	72040604
	Growth % over previous year	5.97	19.12	29.63
	Of 14 above, loans to priority sector	38404796	43183166	53061116
	Of 14 above, loans to Non-priority sector	8246821	12388774	18979488
	Of 14 above, loans to SC/ST	9097065	8032630	11223700
	Of 14 above, loans to SF/MF/AL	35132829	35172396	40111952
	Of 14 above, loans to Minorities	6483723	5157076	5114882
D	PRODUCTIVITY			
15	Per Branch	354876	415209	476720
	Per Staff	82474	99660	116838
	Per Employee Profit(Gross)	377	1527	2295
E	RECOVERY PERFORMANCE:			
16	TOTAL			
	Demand	31455006	40037556	76296510
	Recovery	26942330	33580940	58602913
	Over dues	4512676	6456616	17693597
	Recovery %(June Position)	85.65	83.87	76.81
17	Farm Sector			
	Demand	28998246	36646021	72041114
	Recovery	24985562	30553698	54794082
	Over dues	4012698	6092323	17247033
	Recovery %(June Position)	86.16	83.37	76.06
18	Non-Farm Sector			
	Demand	2456768	3391535	4255396
	Recovery	1956778	3027242	3808831
	Overdues	499990	364293	446565
	Recovery %(June Position)	79.65	89.26	89.51
F	ASSET CLASSIFICATION:			
19	a) Standard	68855572	83116415	98761311
	b) Sub-Standard	533910	644656	1191023
	c) Doubtful	976710	979708	1010796
	d) Loss	144924	138969	74448
	Total	70511116	84879748	101037578
20	Standard Assets as % to Gross Loans & Advances outstanding	97.65	97.92	97.75




SI.NO	PARTICULARS	2018-19	2019-20	2020-21
G	PROFITABILITY ANALYSIS:			
21	Interest paid on			
a)	Deposits	4395116	4757170	5005191
b)	Borrowings	1582094	2081595	2142635
22	Salary & Allowances	1296910	2566722	2431877
23	Other Operating expenses	695524	932012	1030395
24	Provisions made during the year			
a)	Against NPAs	358572	374400	789002
b)	Other Provisions	8487	1047407	41188
c)	Amortization	14031	10647	9366
25	Interest received on			
a)	Loans & Advances	6750069	7913268	9330906
b)	SLR Investments/Approved Securities/Non-SLR/ Money at Call/TDRs with other Banks	2981748	3201551	3574386
26	Miscellaneous Income	1593702	2338663	2515275
27	Loss/Profit	674255	2678750	3970912
H	OTHER INFORMATION			
28	Share Capital Deposit received	0.00	0.00	0.00
29	DI & CGC			
a)	Claims settled cumulative	0.00	0.00	0.00
b)	Claims received but pending adjustment	0.00	0.00	0.00
c)	Claims pending with corporation	0.00	0.00	0.00
30	Cumulative Provision	1280238	1698190	2369102
a)	Against NPAs	1049943	1419522	2049267
	Against Standard Assets	192009	244197	285364
b)	Against Intangible Assets, Frauds etc.	38286	34471	34471
31	Interest Derecognized			
a)	During the year	0	0	0
b)	Cumulative	0	0	0
32	Loans written off during the year			
a)	No. of Accounts	4881	0	3556
b)	Amount	147947	0	154069
33	Reserves & Surplus			
a)	Reserves	1670870	2029934	2617861
b)	Balance in P & L	5112898	6464867	8816574




DEPOSITS

(Rs. in Crores)




ADVANCES

(Rs. in Crores)



BUSINESS

(Rs. in Crores)



BUSINESS PER EMPLOYEE

(Rs. in Crores)



NET PROFIT

(Rs. in Crores)




NET PROFIT PER EMPLOYEE

(Rs. in Lakhs)



BUSINESS PER BRANCH

(Rs. in Crores)



NET PROFIT PER BRANCH

(Rs. in Lakhs)



Board of Directors Report for the year 2020-21

We have pleasure in presenting 16th Annual Report of Telangana Grameena Bank together with the Audited Statement of Accounts, Auditor's report and the Report on Business and Operations of the Bank for the financial year ended on 31st March 2021.

Banks Genesis:

Telangana Grameena Bank was established on 24th March 2006 in the name of Deccan Grameena Bank by amalgamation of four RRBs sponsored by State Bank of Hyderabad. The Bank has been operating in 18 districts of Telangana State (erstwhile five districts namely Adilabad, Nizamabad, Karimnagar, Ranga Reddy and Hyderabad) with a network of 424 branches as on 31.03.2021.

The Government of India vide notification dated 20.10.2014 has changed the name of the Bank to **Telangana Grameena Bank** from Deccan Grameena Bank. The name of Sponsor Bank changed to State Bank of India w. e. f 01.04.2017.

Business Review:

The Bank business has crossed a milestone of ₹ 20,000 crore and reached to ₹ 20212.91 crore as on 31st March 2021 with an absolute growth of ₹ 2,732.63 crore over 31st March 2020 at a growth rate of 15.63%. of which deposits contributed 40.87% with absolute growth of ₹ 1116.84 crore and reached a level of ₹ 10109.15 crore and remaining 59.13% contributed by Advances with absolute growth of ₹1615.79 crore and reached a level of ₹ 10103.76 crore.

(₹ in crore)

Particulars	2020-21	2019-20	Growth	% of growth
Deposits	10109.15	8992.31	1116.84	12.42
Advances	10103.76	8487.97	1615.79	19.04
TOTAL	20212.91	17480.28	2732.63	15.63

Profit Analysis:

The Bank registered a gross profit of ₹397.09 crore for the FY 2020-21 as against ₹267.88 crore for FY 2019-20 with a growth rate of 48.23%.

Interest income increased by ₹179.18 crore (which includes increase in interest income on investments by ₹37.28 crore).

(₹ in crore)

Particulars	2019-20	2020-21	Growth %
Interest income	1110.42	1289.59	16.13
Interest Expenditure	683.88	714.78	4.52
Non-Interest Income	233.87	251.53	7.55
Non-Interest Expenditure	349.83	346.23	-1.03
Provisions and Contingencies	42.66	83.02	94.61
Operating Profit	267.88	397.09	48.23
Deferred Tax Asset & Earlier year adjustments (Excess)	0.22	0.13	-40.90
Tax expenses	97.00	103	6.18
Net Profit	171.10	293.96	71.81

Net Interest Income:

Total interest income earned during the year is ₹1289.59 crore whereas total interest expenditure is ₹714.78 crore. The net interest income has increased to ₹574.81 crore during the year as against ₹426.54 crore in FY 2019-20 with a growth rate of 34.76% (₹148.27 crore).

Interest Expenditure:

- Interest paid on deposit has increased to ₹500.52 crore (FY 2020-21) as against ₹475.72 crore (FY 2019-20).
- The Bank paid ₹214.26 crore towards interest on borrowings (Refinance from NABARD, NHB, MUDRA etc) during the



FY 2020-21 as against 208.16 Core of FY 2019-20 with an increase of 6.10 crore.

Operating expenditure:

Operating expenditure has decreased by ₹3.65 crore to ₹346.23 crore in FY 2020-21 from ₹349.87 crore compared to the previous FY 2019-20.

Interest Income:

- Interest income increased to ₹ 1289.59 crore during FY 2020-21 from ₹ 1110.42 crore during FY 2019-20 with an absolute growth of ₹ 179.16 crore (@ 16.13%).
- The Bank earned an interest income of ₹ 933.09 crore from loans and advances in current fiscal year as against ₹ 791.33 crore in FY 2019-20 with an increase of ₹ 141.76 crore (@17.91%).
- Interest income received on investments has increased by ₹ 37.28 crore to reach ₹ 357.44 crore in FY 2020-21 as against ₹ 320.15 crore in FY 2019-20.

Provision for NPA:

The Bank made a provision of ₹ 78.90 crore on NPA during the year 2020-21, taking the total provision available on non performing assets to ₹ 175.81 crore (including cumulative provision of ₹ 28.54 crore on Standard Assets).

(₹ in crore)

Assets	2019-20		2020-21	
	O/s	Provision	O/s	Provision
Standard	8311.64	24.42	9876.13	28.53
Sub-Standard	64.46	9.27	119.10	62.25
Bad & Doubtful	97.98	44.13	101.08	77.59
Loss	13.89	13.89	7.44	7.44
Total	8487.97	91.71	10103.76	175.81

Share Capital & Paid up Capital:

In terms of RRBs (Amendment) Act, 2015, No.14 of 2015 dated 12/05/2015, the Bank has authorized share capital of ₹2,000 crore. The subscribed paid up share capital is ₹18.07 crore (1,80,72,295 equity shares of ₹10/- each) contributed by Government of India, Sponsor Bank and State Government in the ratio of 50:35:15 respectively.

(₹ in lakhs)

Share Holder	Paid up capital
Govt of India	903.62
Govt of Telangana	271.08
State Bank of India	632.53
TOTAL	1807.23

Reserves and Surplus:

Net Profit (after tax) of ₹293.96 crore earned during this year, an amount of ₹58.79 crore has been transferred to Statutory Reserves, and ₹235.17 crore carried over to Profit and Loss account.

Total reserves and surplus increased to ₹1143.44 crore as at the end of current FY 2020-21 from ₹849.48 crore as at the end of the previous FY 2019-20, registering a growth of 34.61%.

Particulars	31.03.2020	31.03.2021
Share Capital	1807.23	1807.23
Share Capital Deposit	0.00	0.00
Reserves & Surplus	84948.02	114344.25
TOTAL	86755.25	116151.48

Capital Adequacy Ratio :

The Bank has recorded a Capital Adequacy Ratio (CRAR) of 12.55% at the end of the year 31.03.2021 visa.vis 11.63% as on 31.03.2020, well above the 9% stipulated by the RBI, which indicates strength of the Bank.



Deposits:

Deposits registered a growth of ₹1116.84 Crore over March 2020 level at a growth rate of 12.42%. Total deposits as on 31.03.2021 stood at ₹10109.15 Crore as against ₹ 8992.31 Crore as on 31.03.2020.

Deposit Mix:

Current Account Savings Accounts (CASA) deposits grew by ₹418.53 Crore at 12.20% and reached ₹3848.41 Crore as against ₹3429.88 Crore as on 31.03.2020. Term deposits grew by ₹ 698.31 Crore at 12.55% and reached level of ₹ 6260.74 Crore as against ₹ 5562.43 Crore as on 31.03.2020.

(₹. in Crore)

Deposit mix	2019-20	2020-21
Current A/c	84.01	97.64
Growth	-12.72	13.63
Growth %age	-13.15	16.22
Savings Bank A/c	3345.87	3750.77
Growth	621.63	404.90
Growth %age	22.82	12.10
Total CASA	3429.88	3848.41
Growth	608.91	418.53
Growth %age	21.59	12.20
Term Deposits	5562.43	6260.74
Growth	671.67	698.31
Growth %age	13.73	12.55
Total Deposits	8992.31	10109.15
Growth	1280.58	1116.84
Growth %age	16.60	12.42

Borrowings:

The aggregate borrowings of the bank as on 31st March, 2021 stood at ₹ 3934.42 crore as against ₹ 4078.44 crore as on 31 st March 2020.

(₹. in Crore)		
Institutions	Outstanding as on 31.03.2020	Outstanding as on 31.03.2021
NABARD-ST SAO	530.91	350.00
NABARD-Schematic	3059.46	2702.47
NABARD- ASAO	300.00	700.00
MUDRA	11.64	10.32
NSFDC	9.33	12.21
SUB-TOTAL	3911.34	3775.00
NSKFDC	0.00	2.45
NHB	166.66	140.72
NBCFDC	0.44	0.44
TOTAL REFINANCE	4078.44	3918.61
OD on Term Deposits from SBI	0	15.78
Total Borrowings	4078.44	3934.42

The bank has availed refinance against crop loan disbursements from NABARD @20% of loans disbursed. The bank has availed Refinance under LTRCF from NABARD.

Assets:

Investments:

Total investments portfolio- both SLR and Non-SLR of the Bank has increased to ₹ 3,356.85 crore as on 31.03.2021 from previous year's level of ₹ 2,345.56 crore by registering positive growth of 43.11%.



(₹ in crore)		
Particulars	2019-20	2020-21
SLR Investments	2294.26	3279.55
Growth	-345.08	+985.29
Growth %	-13.07	42.95
NON-SLR Investments	51.30	77.30
Growth	6.00	26.00
Growth %	13.25	50.68
TOTAL Investments	2345.56	3356.85
Growth	-339.08	1011.29
Growth %	-12.63	43.11

TERM Deposits with other Banks:

Term deposits with other Banks decreased to ₹1260.47 crore as on 31.03.2021 from previous year's level of ₹ 2,544.79 crore.

Investment Policy:

The Investment Policy of the Bank was formulated and the same was reviewed / revised and approved by the Board from time to time, conforming to the RBI guidelines.

SLR Investments:

In terms of Section 24 of BR Act, 1949 the Bank has maintained investments in the avenues laid down in the policy, to fulfill the SLR requirements. All SLR investments are made in GOI/ State Govt. Securities only. The purchase and sale of Govt. Securities are undertaken by the Portfolio Management Services Department of State Bank of India.

Non-SLR Investments:

Non-SLR investments are invested in Mutual funds and Bonds. The bank has been monitoring and following up for prompt receipt of interest due from Govt. Securities/ Bonds. There was no instance of income leakage from Non-SLR investment portfolio.

CRR and SLR:

The bank has complied with the regulatory requirement of maintenance of adequate balances towards CRR and SLR. There is a well laid down system of assessing the CRR and SLR requirements taking into account the NDTL. There was no default in maintenance of adequate balances during the year. The Bank has kept ₹335.23 crore in CRR and ₹3381.03 crore (which includes SLR Investments, Cash in Hand and net Balances in Current A/Cs) in SLR as on 31.03.2021.

Credit Portfolio

The credit portfolio of the Bank rose by 19.04% to ₹10103.75 crore during the financial year ended 31.03.2021 as against the previous year level of ₹8487.97 crore, thus showing an absolute growth of ₹1615.78 crore as against the target of ₹1273.20 crore. As such, the Bank could achieve 78.79% growth under advances budget.

Credit to Agriculture

During the year, disbursement under farm sector advances grew by 14.40% and reached a level of ₹7372.66 crore as against the level of ₹6444.49 crore during the previous year, with a growth of ₹928.17 crore. Total number of Bank's



borrowers in agriculture sector has increased to 588632 from 552118 of previous year.

More than 75% of the credit to SHG finance is also towards agricultural operations. The Bank has disbursed ₹5061.44 crore to agriculture during the year as against the previous year's disbursement of ₹3996.86 crore.

Crop loans under revised Kisan Credit Card System

As per the directions of Government of India and NABARD, we have implemented revised Kisan Credit Card System for crop loan borrowers from Kharif 2012.

We have issued 472441 Kisan Credit Cards as on 31.03.2021 with an outstanding credit of ₹4682.13 crore as against previous year level of 460284 Kisan Credit Cards for ₹4283.31 crore. During the year 2020-21 we have disbursed an amount of ₹3267.61 crore to 335421 KCC holders as against ₹2765.21 crore to 298504 card holders of previous year.

Self Help Groups

Bank has financed 76892 Self Help Groups (Covering about 9.39 Lakh rural women) with an outstanding portfolio of ₹2491.94 crore as on 31.3.2021 as against previous year level of 76762 Groups with outstanding credit of ₹2082.40 crore. The total loans outstanding under SHG segment increased by ₹409.54 crore at a growth rate of 19.67% during the year 2020-21 against previous year growth of ₹219.54 crore (@11.78%).

The bank has disbursed ₹1617.54 crore to 32694 SHG Groups during the year as against ₹1203.69 crore disbursed to 28006 SHGs during the previous year.

National Rural Livelihood Mission (NRLM) - Aajeevika – Interest Subvention Scheme

Under NRLM all Women SHGs in erstwhile Adilabad and Karimnagar districts have been extended credit at 7% rate of interest up to ₹3.00 Lakhs and Government would subvent to the extent of difference between 7% and actual rate of interest (12.5%) subject to a maximum of 5.5%. Apart from this, prompt paying SHGs will be extended an additional 3% subvention. SERP (Society for Elimination of Rural Poverty) would credit the remaining 4% interest for prompt payers to reduce interest burden to the groups.

Joint Liability Groups (JLG-NGO MODEL)

We have entered into tripartite agreement with NGO-DREAM SOCIETY and NABARD for Financing JLGs covering erstwhile Adilabad including Adilabad, Nirmal, Mancherial and Komaram Bheem Asifabad. Adilabad and Nirmal District branches come under Adilabad Region, Mancherial and Komaram Bheem Asifabad comes under Mancherial Region. During the year 2020-21 we have implemented the scheme in Jagtial region also.

The branches of the regions have started financing under JLG NGO Model from the year 2018-19. During 2020-21 Adilabad region branches have financed to 194 JLG Groups with an amount of ₹2.53 crores, Mancherial Region Branches have Financed 803 Groups with an amount of ₹10.47 crore and newly introduced Jagtial has sourced 20 JLG Groups. A total of 1017 groups with an amount of ₹13.2 crore sanctioned during 2020-21 under this model.



(₹ in crore)

Priority Sector Lending

The Bank's priority sector lending constitutes 82.37% of total advances as against previous year contribution of 86.06%. In absolute terms, total priority sector lending stood at ₹ 8322.77 crore as on 31.03.2021 as against ₹ 7305.02 crore as on 31.03.2020. There is a growth of ₹1017.75 crore @ 13.93%. Loans to weaker sections stood at ₹5696.75 crore, which forms 56.38% of total lending.

Participation in State Credit Plans

The Bank's participation in State Credit Plans is as under:

Sl. No.		2020-21	
		Target	Achievement
1	Crop Loans	2437.62	3267.61
2	Total Agr.& allied activities	1572.34	1793.83
3	Non Farm Sector	186.96	70.26
4	Other Priority Sector	481.02	174.41
	Total Priority Sector	4677.94	5306.11
5	Non Priority Sector	1526.43	1897.95
	Total Loans Disbursed	6204.37	7204.06
	% of achievement		116.11

Loans disbursed during the year:

During the year disbursements under farm sector advances grew by 26.64% and reached a level of ₹5061.44 crore against previous year level of ₹3996.86 crore. Priority sector disbursements grew by 22.87% and reached a level of ₹5306.11 crore against previous year level of ₹4318.31 crore and contribute 73.65% & 77.71% of total disbursements respectively. Total disbursements during the year is ₹ 7204.06 crore and grew by 29.63% over last year disbursement of ₹5557.19 crore.

Retail Lending

During the year, focus increased on retail products of Housing, Education Loans, Mortgage Loans, Personal Gold Loans, MSME etc. Capacity building of the operating staff has been given top priority by conducting training programmes to diversify the credit portfolio to improve the profitability. The performance is as under

(₹ in crore)

S.No.	Segment	O/s As on 31.03.2020		O/s As on 31.03.2021	
		No. of A/cs	Amt.	No. of A/cs	Amt.
1	Housing Loans	7802	814.98	7879	987.64
2	Mortgage Loans	911	72.07	972	90.01
3	Education Loans	554	17.07	453	14.50
4	Demand Loans	19849	281.17	14781	197.15
5	NFS - Term Loan/MSME	34433	160.02	42442	158.40
6	Personal Loans	6672	243.88	6388	259.90
7	Personal Gold Loans	67491	510.66	98909	966.12
	Total	137712	2099.85	171824	2673.72



Loans & Advances:

(₹ in crore)					
Sl. No	Segment	31st March 2020		31st March 2021	
		No. of accounts	Amount outstanding	No. of accounts	Amount outstanding
	A) Farm-sector				
1.	Crop loans	460284	4283.31	472441	4682.13
2.	Agricultural term loans	15072	78.77	39299	198.59
3.	SHG	76762	2082.41	76892	2491.94
	Total farm sector	552118	6444.49	588632	7372.66
	B) Non-Farm sector				
4.	GCC	556	0.99	356	0.64
5.	Term loans (Business)	33352	136.15	41092	134.54
6.	Housing loan	7450	689.23	7268	778.52
7.	Cash Credits	1081	22.88	994	23.22
8.	Education loan	516	11.28	447	13.19
	Total non-farm (priority)	42955	860.53	50157	950.11
	Total priority sector	595073	7305.02	638789	8322.77
	C) Non priority				
9.	Gold loans	67491	510.67	98909	966.12
10.	Demand loans +CK+Staff Loans	26791	656.61	24426	798.34
11.	Others	604	15.67	695	16.52
	Total Non priority	94886	1182.95	124030	1780.98
	Grand Total (A+B+C)	689959	8487.97	762819	10103.75



Central Registry of Securitisation Asset Reconstruction and Security Interest of India (CERSAI)

Bank registered with CERSAI in terms of RBI guidelines and complied with the instructions. Equitable / Registered mortgages and Hypothecation in respect of all loans, which are covered under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) as on 31.03.2017 have been registered with CERSAI.

With this, the details of the security interest created in favour of the Bank is available on a public domain for search by citizens and other Banks / FIs.

Credit Guarantee Fund Trust for Micro & Small Enterprises (CGTMSE)

Our Bank is the member of CGTMSE and availing the credit Guarantee cover to the Loans under MSME.

ISB Sector loans excluding retail trade advances and including Small Road and Transport loans are eligible for guarantee cover of CGTMSE up to a limit of ₹10.00 lakhs, as per the directions of Reserve Bank of India

The details of the loan accounts covered under CGTMSE scheme so far is as under.

(₹ lakhs)			
During the year 2020-21		Cumulative	
No. of A/cs	Amount Rs.	No. of A/cs	Amount Rs
85	274.79	518	937.30

Credit Information Companies

Our bank has been a member of CIBIL (Credit Information Bureau (India) Limited). CIBIL is the First Credit Information Company licensed by the RBI and governed by the Credit Information Companies (Regulation) Act of 2005. CIBIL collects and maintains records of individuals' and non- individuals' (commercial entities) payments pertaining to loans and credit cards from Banks and other lenders on a monthly basis.

Our Bank has been uploading the data regularly and all our Regional Business Offices and branches are accessing the credit history of the loan applicants while taking the credit decisions.

Three other CICs, viz., Equifax Credit Information Services Private Limited, Experian Credit Information Company of India Private Limited and CRIF High Mark Credit Information Services Private Limited have been granted Certificate of Registration by RBI.

Reserve Bank of India vide its letter No.DBR No.CID.BC.60/20.16.056/2014-15 dated 15.01.2015 has advised us that all Credit Institutions have a mandate to become members of all CICs. Accordingly we have become members of the above three CICs also.

Asset Quality- Management of Non Performing Assets:

Bank has made considerable efforts to curtail NPA at ₹ 227.63 crore (Gross) which is 2.25% of total advances at the end of 31.03.2021 as against 2.08% of total advances previous year. Net NPA has come down from 0.41% as on 31.03.2020 to 0.23% as on 31.03.2021. Bank adopted suitable strategies to address NPAs. All these needed concerted efforts and focused approach on the part of our operating functionaries to ensure all-round growth of the Bank. The Non-Performing Assets have increased by ₹51.30 crore from ₹176.33 crore as on 31.03.2020 to ₹227.63 crore as on 31.03.2021.



SARFAESI Act and Suit Filing:

Notices under SARFAESI Act were issued immediately after the account becoming NPA. This was monitored by Regional Business Offices and Head Office at monthly intervals. Our actions in this regard have yielded good results. We have taken demonstrative actions particularly under SARFAESI. One desk officer has been posted at all Regions exclusively for the purpose of monitoring NPAs, who ensures for initiating action under SARFAESI, Suit Filed, Vehicle seizure etc., and also closure of suit filed cases, AUCA recovery etc. Focus was given for recovery of Recalled debts / Suit Filed accounts. Meetings with advocates were conducted in all regions to expedite disposal of suits.

Performance under SARFAESI is as below:

	No. of A/cs	Amount (₹ in Crore)
Total SARFAESI initiated	75	5.01
Regularized	46	3.18
Balance at the end of the year	29	1.83
Out of above	0	
Demand Notices issued	9	0.38
Possession Notices issued	7	0.53
Possession taken	3	0.29

Performance under Suit-filed cases is as under:

	No. of A/cs	Amount (₹ in Lakh)
Suit Filed	511	1266
Decreed	251	554
EP Filed	41	88.24
Recovery after filing suits	46	253

The following strategies were adopted to reduce / contain the NPAs:

1. One desk officer each has been posted at all regions exclusively for the purpose of monitoring NPAs who ensures for initiating action under SARFAESI, Suit Filed, Vehicle seizure etc., and also closure of suit filed cases, AUCA recovery etc.
2. Top 25 NPA branches were monitored personally by Chairman, two General Managers (GM-II and GM-III) for reduction of NPA.
3. Chronic NPA branches have been allotted to officials who are working in Head Office to monitor and reduce the NPAs.
4. NPAs of ₹5.00 Lakh and above are being monitored by General Managers, concerned.
5. Review mechanism has been put in place. Regular review meetings are being conducted for Senior Manager (Business) and Regional Managers.
6. Wide publicity was given highlighting the benefits of timely renewal of crop loans viz., enhanced scales of finance, crop insurance facility, interest subvention incentive from GOI and Vaddi Leni Runalu other Government Sponsored Schemes by way of arranging meetings, displaying wall posters, Banners etc at the villages.
7. Top management has conducted periodical video conferences at frequent intervals with Regional Managers, Senior Managers (Business), Recovery Officers, Branch Managers for monitoring and reduction of NPAs.
8. Five to six clusters in each region have been formed with officials having good track record for capacity building and reduction of NPAs.



9. Conducted auction of gold ornaments pertaining to Personal Gold Loans which became overdue, at monthly intervals.

Asset Classification:

(₹ in Crore)

Assets	2020-21	
	Outstanding	%
Standard	9876.13	97.75
Sub-Standard	119.10	1.18
Bad & Doubtful	101.08	1.00
Loss	7.44	0.07
Total NPAs	227.62	2.25
Total	10103.76	100.00

Capital Adequacy Ratio

The Bank has recorded a Capital Adequacy Ratio (CRAR) of 12.55% at the end of the year 31.03.2021 vis-à-vis 11.63% as on 31.03.2020, well above the 9% stipulated by the RBI, which indicates strength of the Bank.

Internal Control System – Audit & Inspection

All activities of the Bank are subjected to Internal Audit function, which comprises different types of audits:

Risk Focused Internal Audit (RFIA):

The Risk Focused Internal Audit Report System has been implemented in the Bank since October, 2011, as suggested by our Sponsor Bank i.e. State Bank of India. To tighten the criteria to qualify for better ratings, the Bank raised the bench mark for the inspection ratings w.e.f 08.12.2017.

For further strengthening of the audit system a new format of RFIA has been introduced in the Bank w.e.f 08.12.2017 as advised by our Sponsor Bank, with the following rating system parameter wise marks.

Revised Rating		Range of Marks
Well Controlled -	A+	>850
Adequately Controlled -	A	>700 and <850
Moderately Controlled -	B	>600 and <699
Unsatisfactorily Controlled -	C	<600

The marks allotted under each parameter have also been revised as under:

S. No	S.N.Parameter	Revised Format Marks
1	Business Development	100
2	Credit Risk Management	450
3	Operational Risk Management	410
4	External Compliance	30
5	Self-Audit	10

Revised reporting format of Risk Focused Internal Audit (RFIA) has been implemented during the year, incorporating IS & IT Risk scrutiny in it.

Branches with 'Well Controlled – A+' and 'Adequately Controlled - A' ratings are audited within 18 months from the previous audit date while the Branches with 'Moderately Controlled - B' and 'Unsatisfactorily Controlled - C' rated branches are audited within a year.

During the year 306 branches have fallen due for Audit and all 306 branches have been audited. Rating acquired by 306 branches is as under:

Rating		Out of 306 Branches audited during 2020-21
Well Controlled -	A+	137
Adequately Controlled -	A	168
Moderately Controlled -	B	1
Unsatisfactorily Controlled -	C	0
Total		306



The reports submitted by the Auditors have been dealt with by taking corrective measures, wherever necessary. The department has carried out its operations with fairness and without prejudice which helped in strengthening the systems and procedures.

Out of 306 Audit Reports which have fallen due for closure during the year, 305 have been dealt with and remaining only one Report is pending for closure. The report is overdue for closure for less than 1 month.

Concurrent Audit

As a part of internal control system in our Bank, Concurrent Audit is introduced from the financial year 2012-13 as per the policy guidelines issued by NABARD. At present, the Concurrent Audit is being conducted at 78 branches with the help of eighteen (18) Auditors. We have empanelled retired Bank officials to cover at least 50% of the credit and other exposures of the Bank under Concurrent Audit System in compliance with the guidelines issued by NABARD.

The Scope of Concurrent Audit is designed to cover (a) handling of cash (b) safe custody of securities (c) exercise of discretionary powers (d) Sundry and Suspense accounts (e) clearing differences (f) off balance sheet items, security aspects, verification of Assets Quality etc.

Apart from this, the following audits have also been carried out to enhance the efficiency levels:

Compliance Audit:

Compliance Audit was conducted at 38 branches during this year as per the schedule.

Audit of other Administrative Units:

All the Seven (7) Regional Business Offices and other departments i.e. Accounts, Stationery, Fixed Asset & Records Department, Investment

and HRMS have also been audited.

Audit Committee of the Board

The Audit Committee, constituted with one SBI-nominee- director as Chairman and nominee directors of RBI, NABARD and Govt. of India as members met 4 times during the year and reviewed the following areas:

- Position of conducting of different Audits
- Common irregularities observed in (a) Risk Focused Internal Audits (b) Snap Audit Reports (c) Concurrent audit
- Audit of Regional Business Offices, Accounts Department at Head office
- Special Audits
- Review and follow-up action on the Internal Audit Reports, particularly of "Unsatisfactory" branches and large branches and also on Concurrent Audit observations.
- Follow-up action on irregularities pointed out by Internal Auditors at large branches in RFIA and in the Concurrent Audit Reports.
- Branches where audit rating is downgraded. Compliance for NABARD inspection Report, Statutory Audit Report, Management Audit, RFIA, Snap Audit reports. Concurrent Audit Report.
- Fixing accountability for unsatisfactory compliance of Audit reports delay in compliance and non-rectification of deficiencies.
- Review on omissions on the part of Internal Inspecting Officials/ Concurrent Auditors to detect serious irregularities which come to light later
- Periodical review of the accounting policies/systems controls in the Bank with a



view to ensuring greater transparency in the Bank's accounts and adequacy of accounting controls to address the risks faced or likely to be faced by the Bank.

- Financial position – Balance Sheet and Profit & Loss Account statement
- Position of housekeeping and Inter Office reconciliation (BCGA) and outstanding entries.
- Certification of holding securities as reported to the RBI every quarter by Concurrent Auditor.
- Status of frauds surfaced etc.

Management Audit

The Management Audit of our Bank is conducted by our Sponsor Bank, i.e SBI. The latest Management Audit was conducted on 12.08.2020 and the rating was improved to "A". We have submitted our compliance to the Management Audit Report.

NABARD Inspection under Section 35(6) of the Banking Regulation Act 1949:

The NABARD Audit was conducted on 31.03.2020 and the Rating awarded is "Very Good". Final Compliance for the Report Dated 06.10.2020 was submitted on 17.12.2020.

Statutory Audit:

Bank is required to appoint the auditors for conducting Statutory Audit of its accounts, with the approval of Government of India, as per Sub Sec (1) of Sec.19 of RRB Act, 1976.

Accordingly, M/s. Sagar & Associates have been appointed as Statutory Central Auditors for the year 2020-21. The following Chartered Accountants have been appointed for conducting audit of the branches, as per panel of Auditors approved by Govt. of India and communicated by NABARD.

1. D.V.Ramana Rao & Co, Gandhinagar, Hyderabad
2. K.Prahlada Rao & Co, Domalguda, Hyderabad
3. Garre & Co, A.S Rao Nagar, Secunderabad
4. Anjaneyulu & Co, Kavadiguda, Hyderabad
5. J.S.Sundaram & Co, Madhapur, Hyderabad
6. Ramamoorthy (N) & Co, Boggulakunta, Hyderabad
7. Krishna & Prasad, Abids, Hyderabad
8. Luharuka & Associates, M.G. Road, Secunderabad
9. Naroatham Madhav & Ramesh, Opp: Reddy Womens College Gate, Hyderabad.
10. V.Rao & Gopi, Vittalwadi, Hyderabad
11. Siva Krishna & Narayan, Masabtank, Hyderabad
12. S P A D & Associates, Khairatabad, Hyderabad
13. KS Associates
14. Sastri & Shaji
15. G S Madhava Rao & Co
16. S Daga & Co
17. Gandhi & Gandhi
18. Narasimha Rao & Associates.

As per the guidelines communicated by NABARD vide its Lr.No. NB.HO. IDD/01/RRB/323(c)/2020-21. dated 25.04.2020, 298 branches and Head Office were audited by Statutory Auditors and expressed their satisfaction in overall maintenance of books of accounts.



FINANCIAL INCLUSION PLAN:

Performance under various Financial Inclusion Plan (FIP) initiatives as on 31.03.2021 is as under:

FIP initiative	Position as on 31.03.2020	Position as on 31.03.2021
PMJDY accounts (No.)	14,16,250	13,96,036
SB-FI accounts opened (No.)	3,38,606	3,19,586
Rupay Debit cum ATM cards activated (No.)	1,40,076	1,51,031
Amount outstanding in SB-FI accounts (₹ In lacs)	2523.42	3621.14
RuPay – KCC cards issued (No.)	3,62,125	3,62,506
Financial literacy awareness meetings by branches in 2020-21 (In addition to the meeting conducted by FLCs)	1287	1021
PMJJBY – Insurance enrolments	1,92,025	2,13,220
PMSBY – Insurance enrollments	3,42,674	3,71,310
APY – Enrollments- in 2020-21	18,969	19,496
APY enrollments	55,371	74,859

Financial Inclusion Plan:

Inclusive growth is essential for the overall balanced growth of the country. The Bank is actively implementing the Financial Inclusion Plan (FIP) of Government of India. 1526 unbanked villages in Rangareddy, Karimnagar, Nizamabad and Adilabad districts (pre-organization) in the state are covered under FIP of the Bank.

Grant assistance received/Sanctioned from NABARD:

Sl. No.	Programme	Amount of Assistance in ₹
1	173 Micro ATMs	35,67,500.00
2	FIPs	30,28,267.10

Ultra Small Branches (USBs):

Banking services are provided through 596 USBs in the remote and unbanked villages with



the help of Micro-ATMs. Services available at USBs include SB, RD and TDR account opening, cash deposits and withdrawals, fund remittances, DBT, NPA recovery, AUCA recovery, pension and other social security payments of government. Micro ATMs are biometric enabled and undertakes Aadhaar based transactions to avoid malpractices.

Capacity building for CSPs:

Bank has a policy in place to impart adequate and appropriate training to all the CSPs, Customer Service Providers managing the USBs, for smooth and hassle free functioning of the USBs and to render uninterrupted and quality service to our rural customers in unbanked villages.

Financial Literacy Awareness Camps (FLACS)

Branches are conducting awareness camps in FI and other villages to propagate financial literacy. During the F.Y 2020-21, 1021 FLACS are conducted. The Bank is taking all the initiatives at its disposal to propagate Financial literacy among the population in bank's operational area.

Aadhaar & Mobile Number seeding:

To facilitate the transactions under Direct Benefit Transfer (DBT), MGNREGS, Pension and other account transactions the Bank actively involved in Aadhaar seeding to customer accounts - ABPS is being taken up on top priority by the Bank.

PMJDY (Pradhan Mantri Jan Dan Yojana):

PMJDY accounts are being opened as per the household survey and covered all the households in our area of operation. The bank is aiming to cover all eligible customers under Social Security Schemes, viz: Pradhan Mantri Jeevan Jyothi Bima Yojana (PMJJBY) Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) and Atal Pension Yojana (APY).

Digitization/ cash less business:

We are popularizing and encouraging our customers and others to make use of RuPay card and Aadhaar based transactions through MicroATMs.

Bank Sakhis:

Bank has appointed 195 Bank Sakhis against total 596 CSPs/Bank Mithras deployed in USBs. We are planning to appoint more SHG women CSPs in coming days.

ATM Mobile Vans:

Two ATM Mobile vans are purchased in 2019 with the grant assistance of NABARD for demonstrating Banking technologies and to extend Banking services at the door step of customers. The Mobile Vans are plying in the area of erstwhile Adilabad, Karimnagar, Nizamabad, Hyderabad and Rangareddy Districts.

Micro Atms:

173 Micro ATMs are procured with the grant assistance of NABARD, deployed at BC locations.



Performance of the Bank vis-à-vis MoU with Sponsor Bank:

The Bank's position in respect of parameters as per MoU with Sponsor Bank for the year 2020-21 is furnished below.

Achievement vis-à-vis MoU					(₹ in crore)			
S. NO	Particulars	Actuals as on 31.03.2019	Actual as on 31.03.2020		MoU level as on 31.03.2021 over 31.03.2020		Achievement as on 31.03.2021	
		Amount	Amount	% of Growth	Amount	MoU Proposed	Actual Level	Growth
1	Deposits							
	(A) Total Deposits	7711.73	8992.31	16.61%	10071.39	12% over Base Level	10109.15	12.42%
	In which (I) CASA Deposits	2820.97	3429.88				3848.41	
	(B) CASA(%)	36.58%	38.14%		41.14%	41.14%	38.07%	
2	Advances:							
	(A) Total Advances	7051.11	8487.97	20.38%	9761.17	15% over Base Level	10103.76	19.04%
	(B) Minimum Lending to Priority Sector	88.47%	86.06%			75.00%	82.37%	
	(C) Housing Loan	575.34	814.98		1059.47	30% over Base Level	987.64	21.19%
	(D) Gold Loan	355.24	510.64		535.64	Rs.25.00 Cr Fresh Gold Loans	967.02	
3	NPA							
	(A) Gross NPA(%)	2.35%	2.08%		1.58%	1.58%	2.25%	
	(B) Recovery in AUCA/ Written Off (Rs Cr.)	0.92	2.44	165.22%	3.55	15% over Base Level	1.57	0
4	Income & Expenses:							
	(A) Other Income	160.70	205.63	27.96%	246.76	20% over Base Level	251.53	22.32%
5	Profit & Loss:							
	(A) Net Profit/ Loss (After Tax)	42.87	171.10		230.00	230.00	293.96	
6	Critical Ratios & Efficiency Parameters							
	(A) Business per Employee (Rs Cr.)	8.25	9.97		11.08	11.08	11.68	
	(B) Yield on Advances	10.95	10.59%		Above 10.83%	Above 10.83%	10.40%	
	(C) Cost of Deposits	5.94	5.80%		Below 5.45%	Below 5.45%	5.16%	
	(D) Net Interest Margin	3.73	3.68%		Above 3.70%	Above 3.70%	4.06%	
	(E) Provision Coverage Ratio	63.42	82.76%		83.00%	83.00%	91.44%	
	(F) Expenses Ratio	81.64	35.14%		Below 40%	Below 40%	37.77%	



Cross selling

SBI Life Insurance:

The Bank is a corporate agent of SBI Life Insurance Corporation Limited, to meet the life insurance needs of the Bank's customers apart from earning non-interest income. The Bank has mobilized a fresh adjusted rated premium of ₹17.68 Crore against the target of ₹20.53 Crore and earned a commission of ₹2.85 Crore during the FY 2020-21 vis-à-vis the fresh adjusted rated premium of ₹17.61 Crore and commission of ₹2.38 Crore during the previous FY 2019-20.

SBI General Insurance:

The Bank has mobilized ₹11.53 Crore premium against the target of ₹9.97 Crore under SBI General Insurance and earned a commission of ₹1.08 crore during the FY 2020-21 vis-à-vis fresh Premium of ₹7.84 Crore and earned a commission of ₹73.44 lakhs during the previous FY 2019-20.

Security Measures – Installation of CCTVs, Burglar Alarm Systems and Fire Extinguishers:

As part of protecting the Bank assets, Customers and employees in view of increasing incidences of robberies etc, the Bank has provided CCTV systems (Surveillance), Burglar Alarms Systems and Fire Extinguishers to all Branches of the Bank.

INITIATIVES OF IT SERVICES DEPARTMENT DURING THE FY: 2020-21

1. DISA Mobile App

DISA Mobile App for implementing various digital products was launched by Sri Dinesh Kumar Khara, Chairman, State Bank of India on 01.02.2021.

The following functionalities were introduced:-

i. Opening of Insta-Savings Account

Insta-Savings Account is Aadhaar OTP based Account. The details of customer will be fetched from UIDAI. This Account has limits on transactions and balance. Customer has to complete Video-KYC or visit the branch to complete KYC process for conversion of the Account into normal Account.

ii. Opening of Digital Savings Account with Video-KYC

Digital Savings Account is also Aadhaar based Account in combination with Video-KYC making it a full KYC Account. Under the video-KYC process, customer initiates the video call which will be attended by a bank official.

The major features of our V-KYC application are furnished here under.

1. Artificial Intelligence driven face match with Aadhaar Card image.
2. Geo location of the customer is captured and verified to ensure that customer is present within India.
3. OCR technology used for comparing PAN number on PAN card and details entered by the customer.

2. Online Test

We have developed online test application for our employees and officers through our Intranet site Toogle to enable the staff to attend the Test from their respective branches. Management has decided to conduct the test for staff to enhance their banking knowledge. Test has fixed duration after banking hours to enable all the staff to appear in the test.



3. Individual Control Returns

Branches are submitting BMDPs online. Wherever loans are sanctioned with amount greater than 25% Discretionary Power of Branch Manager, they have to submit Individual control return (ICR). Hitherto, Branches used to submit ICR in the form of physical copy. We have developed an In-house tool for submission of ICR through TOOGLE. With this, branches are able to submit ICR on time to their respective controllers.

4. Enhanced FI Dashboard

We have developed a Financial Inclusion Dashboard to monitor the progress related to Financial Inclusion products like Atal Pension Yojana (APY), Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY), Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY), CSP points login status, Number of transaction performed by CSPs and automated regulatory returns for submission to SBI, NABARAD and RBI at Daily, Weekly and Monthly intervals.

We are displaying following reports in our Financial Inclusion Dashboard.

1. APY/PMJJBY/PMSBY Branch wise and Region wise.
2. CSP visits by Branches and Regions.
3. CSPs daily login status and transactions.
4. Green channel counter (Micro ATMs transactions at Branches) transactions.
5. Mobile ATM Vans transactions details.
6. PMJDY Zero balance, Mobile number not seeded, Aadhaar not seeded, Inoperative Accounts and list of total PMJDY accounts.
7. Aadhaar enrolment centers report on updates, new enrolments and amount received in the BGL.

8. APY non persistent report (Non Persistent means irregular APY accounts).
9. Reconciliation of APY, PMJJBY and PMSBY Accounts.

5. Apply Loan in Bank's Website

Customers are given the option of making a loan request on our bank website www.tgbhyd.in (Loan Enquiry). An email and SMS alert will be sent to respective branch and region.

6. Digital Apnayan Campaign Dashboard

Digital Apnayan Dashboard is developed to monitor the progress of Branches for Digital Apnayan Campaign launched by Department of Financial Services.

7. Network Links

We have developed a tool to know the details of various types of network links and also helps us in cross checking the networking invoices raised by the vendor.

8. ADC Dashboard

Alternate Delivery Channel Dashboard displays Category wise and Duration wise Transaction summary for ATM Acquirer, ATM issuer, PoS, E-commerce, AEPS, NEFT, RTGS, IMPS & UPI.

9. PMJJBY and PMSBY- Social Security Scheme Weekly Report

Department of financial Services weekly reports generated based on District wise, Rural/Urban wise, Gender wise. Further, Number of Aadhaar/Mobile Seeded Accounts enrolled under social security schemes are also being provided.



10. Housing Loan Categorisation and PMAY status Dashboard

We have developed a tool to categorize housing loans under different categories viz Urban, Rural, Metro and Semi-urban and eligibility under PMAY. Details of Claim sent and received for PMAY are captured.

11. Android Application for Scanning C KYC Documents

Background: - In respect of Accounts opened after 01.04.2017 as per RBI instructions, scanned images of documents in respect of Photo, Proof of Identity and Proof of Address are to be uploaded in CERSAI portal for generation of C-KYC number.

Challenge: - Webcams at the branches used for Signature Scanning has limitations like image quality, manual compressing, re-sizing the image and merging multiple KYC documents as prescribed by CERSAI. The process was cumbersome and time consuming.

Solution: - C-KYC Mobile App was developed by the IT team which took care of the specifications required viz. Compress / re-size the image, merge multiple KYC documents and ensure that the documents are successfully uploaded into C-KYC portal seamlessly.

Security features have been taken care like whitelisting of mobile ip, end-to-end encryption and Intrusion Prevention System.

Technology Used: - Flutter, Firebase for authentication, SFTP and IPS.

Benefits: - The time taken for scanning documents for a CIF is less than a minute. This App has helped save valuable time and effective use of Manpower at branches. This has resulted in avoiding expenditure on procuring Scanners. Most importantly, it has resulted in near zero rejections by CERSAI.

Results: - A total of 3,50,000 CIFs and about 10,50,000 images have been made available for CKYC updation. This has resulted in a total savings of about Rs.60 lakh for the Bank.

12. Avishkar - Department Request Tracker

An Application to capture the requirements of Departments at Head Office. The various stages of Software Development Life Cycle viz Requirement analysis, Development, User Acceptance Testing and Go-Live are incorporated and tracked.

13. Invoice Management Tool

A tool to capture the details of Invoices submitted by the Service Providers in respect of all the IT services which helps in generating payment notes as well as tracking the invoices with SLAs. MIS in respect of all IT related expenditure.

14. KYC Dashboard

We have developed a tool to display list of pending CKYC accounts, list of Non KYC accounts and accounts opened through E-KYC. This helps branches to comply KYC norms.

15. Online complaint management tool

Customers are given the option of raising their complaints on our Banks website www.tgbhyd.in. An email and SMS alert will be sent to Branch, Region and Head office for Redressal.

IBA Awards 2021 for the period FY 2019-20

- Winner in Best IT Risk & Cyber Security Initiatives under RRB segment.
- Runner-Up in Best Digital Financial Inclusion Initiatives under RRB segment.



Human Resource Management:

As at the end of FY 2020-21, the staff strength (excluding those who exited the Bank service in the month of March 2021 on account of retirements / resignations) and its composition is as under:

S.No	Cadre	31.03.2021
1	Officers Scale-V	5
2	Officers Scale-IV	34
3	Officers Scale-III	137
4	Officers Scale-II	238
5	Officers Scale-I	715
6	Office Assistants	569
7	Office Attendants	33
	Total	1731

COMPARISON OF STRENGTH OF NEW AND OLD STAFF MEMBERS:

YEAR	NEW	OLD	TOTAL
2013-14	154	992	1146
2014-15	412	967	1379
2015-16	529	929	1458
2016-17	565	900	1465
2017-18	636	842	1478
2018-19	987	803	1790
2019-20	1085	669	1754
2020-21	1358	373	1731

During the year, 47 staff members have retired from the Bank's Service. 42 staff members have resigned, 7 staff members taken VRS. 3 staff members were dismissed from service. 5 Staff members expired during the year.

Recruitments

Since 2009-10, the bank has been recruiting staff through IBPS, as per Manpower assessment and requirement undertaken as on 31st March of every year in terms of Thorat Committee recommendations, presently as per Mithra

Committee recommendations approved by GOI.

Last seven years have witnessed mass retirements of those staff members who had joined erstwhile RRBs in late 1980s.

Accordingly, based on the business volumes as on 31.3.2020, the Bank has taken up recruitment exercise for augmentation of staff in various grades, including lateral recruitment of Scale-II and Scale-III Officers in General Banking and with specialization in Law, IT, Marketing, CA etc.

S. No	Cadre	No. of Candidates recruited during the year
1	Office Assistants	58
2	Officers Scale-I	21
3	Officers Scale-II	7
4	Officers Scale-III	3

The Bank has been working continuously to train the new recruits imparting skills and supply inputs in all areas to equip them to handle the day to day functions well & re-train the existing staff members. All the recruitments have been completed through the Common Written Test including interviews conducted by IBPS.

Promotions:

Keeping in view the Bank's policy of giving promotions promptly to staff, we have taken up promotion exercise in terms of manpower assessment as on 31.03.2020 and promoted as many as 78 people in various cadres to next higher grade as under. Written Test for promotion was arranged through IBPS online.



S No.	Promoted to	No. of Posts
1	Officers Scale-I	14
2	Officers Scale-II	23
3	Officers Scale-III	29
4	Officers Scale-IV	10
5	Officer Scale-V	2
6	Office Asst.	0
	Total	78

The Bank has fulfilled the statutory requirement of giving pre- promotion training to all SC/ST candidates, eligible for promotion prior to written test. This has enabled the SC/ST/OBC candidates to prepare themselves better, to take on the written test.

Training - Staff Learning Centre

The Bank had laid down a Training Policy which envisages training to all staff members, at least once in three years. During the year, in view of pandemic COVID-19, our Bank has provided physical/Online training to 216 staff members at various centers. The participants include all cadres of staff (Officers- 162 and Office Assistants 54).

Out of which, the Bank has provided training to 118 Officers, essentially in the higher cadres, at premier training institutions like BIRD (Lucknow), RBI (CAB, Pune), BIRD (Mangalore), SBIRB, Gachibowli, Hyderabad, & Warangal Centres on important subjects like Recovery Management, AML, ALM, KYC, RTI Act, Treasury Management, Business Development, Loan Appraisal Skills to AML-HUB, etc.

Our Bank has been paying consistent attention towards women employees. They constitute 23.66% of total workforce. Bank has taken a number of steps to boost women empowerment

within the Organization. They are talented and highly enterprising. It is very gratifying that most of the women officers volunteered to be the Branch Heads and Field Officers. Contribution of women staff members in the growth story of the bank is significant. We have also extended the exclusive training programme on "Work & Life Balance" for all Women officers at SBICB, Begumpet Hyderabad.

Internal Complaints Committee

We have also put in place a safe working environment for women employees in the Bank by implementing the provisions of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013. We have constituted Internal Complaints Committee at 7 Regional Business Offices and at Head Office to handle the complaints of sexual harassment. We have been sensitizing the employees of both the genders to be fostering a healthy and conducive work environment.

STAFF WELFARE MEASURES-

Mediclaim Policy:

In terms of Government of India Letter no. F.8/1/2015-RRB dated 20.10.2016, our Bank has implemented Medical Insurance Scheme as per 10th Bipartite Settlement to employees and officers along with their dependent family members as detailed in schedule IV. The Scheme covers Employee + Spouse + Dependent Children + 2 Dependent Parents / parents-in-law with a Sum insured of ₹4,00,000 and ₹3,00,000 for Officers and employees respectively. We have also taken a Corporate Buffer to cover additional expenditure up to ₹4.00 Lakhs and ₹3.00 Lakhs for officers and employees respectively, if the hospitalization expenditure exceeds the sum insured. The Scheme, apart from facilitating hassle free admission into the hospital immediately with cash less facility at approved Hospitals



including super specialty hospitals, also covers domiciliary treatment expenses up to 10% sum insured. Around 6712 members including family members of Staff have been covered under the Scheme.

Group Personal Accident Insurance Policy:

Most of our staff members are youngsters and travel by road, frequently for various official works viz., Cash remittance, field visits for recovery and inspection of units, review meetings etc., and are exposed to the risk of road accidents and face a life threat also.

We have taken the Group Personal Accident Insurance Policy for sum insured per employee of ₹15.00 lakhs to create a sense of security among the staff members and to boost the morale of the staff members.

GTLI:

Loan Linked Insurance Policy:

We have covered the Insurance coverage on the Outstanding amounts for the loans availed by the staff members by self funding basis.

Gratuity, Pension and Leave Encashment Fund:

The Bank has taken care of provisional requirements in respect of Gratuity, Pension & Leave Encashment. The total corpus as on 31.3.2021 is to the tune of ₹65.55 Crores towards Gratuity, ₹363.10 Crores towards Pension and ₹37.43 crores towards Leave Encashment.

Industrial Relations:

The Management and Officers Association and Employees Union have worked in tandem for the welfare of the staff members and business development, sorting out amicable solutions for routine issues that cropped up during the year. Cordial and amicable working atmosphere has prevailed during the year.

Welfare of SC/ST and OBC Employees:

The Bank has maintained cordial relations with the SC/ST Welfare Association, OBC Welfare Association and complied with statutory requirements in all aspects of recruitments, promotions etc. The Bank has held regular meetings with the representatives of Welfare Associations and Liaison Officers to redress their grievances. The Bank has taken all steps to keep up the morale and motivation of the employees.

Settlement of Terminal Benefits:

The Bank has made a policy that all terminal benefits are settled on the date of retirement of staff members. The process begins two months in advance of retirement to ensure that all formalities are completed to make payment on the date of retirement.

Payment of Pension to Staff members:

The Bank has implemented the GOI instructions, contained in its letter No.F.20/2010 RRB dated 23rd October, 2018 for payment of Pension to the staff members / retired & deceased member's w.e.f. 01.04.2018. The Bank has provided the provisions (actuarial value) of ₹ 313 crores towards the liability of Payment of Pension.

Scheme of Compassionate Appointment on Compassionate Grounds:

The Bank has implemented the revised Model Scheme for Appointment on Compassionate Grounds as per Scheme in PSBs in accordance to the GOI instructions, contained in its letter No.7/38/2014-RRB, dated 31.12.2018. Our Bank has both the options i.e. Compassionate Appointment/ payment of lump-sum ex-gratia in lieu of compassionate appointment.



Board:

The Bank has convened 6 Meetings of the Board of Directors during the Financial Year 2020-21.

The Board has undergone following changes in the composition on account of transfers/retirement and new directors are nominated in their places,

1. Sri Prafulla Kumar Jena, Deputy General Manager (FIMM), State Bank of India, LHO Hyderabad has been nominated as Director by Sponsor Bank in place of Sri Jyoti Prakash Raman, Deputy General Manager (ABU), State Bank of India, LHO Hyderabad who has been retired from the Bank's service.
2. Smt. J. Savithashree, Asst. General Manager Reserve Bank of India, Hyderabad has been nominated as Director by Reserve Bank in place of Sri C. Nageshwar Rao, Deputy General Manager, Reserve Bank of India on completion of his term.
3. Sri Manbhanjan Mishra, AGM, RBI has been nominated by RBI as Director in place of Smt J. Savithashree, AGM, RBI who has reached abode of God due to unexpected demise.
4. Sri Dinker Argal, Deputy General Manager, State Bank of India, Corp.centre, Mumbai has been nominated as Director by Sponsor Bank in place of Sri S. Ganesan, General Manager (A&S), State Bank of India, Mumbai who has been retired from the Bank's service.
5. Sri P.M. Patro, Deputy General Manager, State Bank of India, (A&S), Mumbai has been nominated as Director by Sponsor Bank in place of Sri Dinker Argal, Dy.. General Manager (A&S), State Bank of India, Mumbai as per SBI orders.

The Bank wishes to place on record its appreciation and gratitude for the valuable services and guidance rendered by the Directors who demitted office during the year under report.

Vigilance Mechanism

For every financial institution vigilance administration plays a key role and we are no different, in the present context as the Bank is growing in size and with the infusion of new and young work force, which now constitute over 80% of the total staff, vigilance plays a prominent role. Preventive Vigilance together with sensitization of staff about importance of adhering to systems and procedures coupled with exercising vigilance over all the activities has been thrust area of the Bank.

The Vigilance Administration in the Bank has slightly undergone change with effect from 15.02.2021 with the appointment of Additional Chief Vigilance Officer (ACVO) at State Bank of India, Corporate Centre, Mumbai to strengthen the vigilance administration in RRBs.

The Vigilance Department is headed by the General Manager (Vigilance) who is appointed by the Sponsor Bank and functions directly under the Chairman. Additional Chief Vigilance Officer at Vigilance Department, SBI, Corporate Centre, Mumbai shall be tendering all advices relating to vigilance cases and looks after the Vigilance administration in the Bank.

Additional Chief Vigilance Officer (ACVO), on a monthly periodicity reviews pendency of vigilance cases, implementation of complaint handling policy and whistle blower policy, pending complaints, PVC meetings, Regular Preventive visits of branches by Vigilance Department Officials, job rotation, submission of assets and liability statements by all officials and will communicate his/her observations, if any. All branches are conducting Preventive

Vigilance meetings once in a quarter as per Vigilance policy.


Bank has launched a Vigilance Portal to disseminate information on PVC guidelines, staff advisories & any other vigilance related activities. Vigilance portal also contains all circulars related to Vigilance Department. Online Quiz on Preventive Vigilance was hosted on the portal for creating awareness among the staff on various banking related issues.

Basing on the minutes of Branches a review will be made by the Regional Offices and on the noting of all the Regional Offices a review will be made at HO level by Head Office PVC Committee once in a quarter. General Manager Vigilance also participated in some of Regional Office PVC meetings virtually and imparted preventive vigilance matters and importance of

following systems and procedures laid down by the bank.

Vigilance Awareness Week 2020-21

The Vigilance Awareness week from 27.10.2020 to 02.11.2020 was conducted with the main theme "Satark Bharat, Samriddh Bharat (Vigilant India, Prosperous India)" with renewed fervour and with greater participation by Head Office, Regional Offices and Branches by displaying banners. All the staff members have undertaken e-pledge during the week. Vigilance Department has conducted Online Exam to staff members through Bank's portal and all the staff members participated in the competition. The bank has conducted several virtual mode meetings at Regional Office Level with the newly recruited staff members to create awareness on the vigilance matters and sensitize all of them in day to day operations.





Acknowledgement

The Board wishes to place on record its appreciation for the efforts put in by the Bank, which has enabled them to exhibit better performance. The Board thanks all the customers for the confidence reposed in the Bank and their continued patronage. The Board renews its commitment for rendering a better service to their customers in future too.

The Board wishes to thank the Government of India, Government of Telangana and State Bank of India for their cooperation at all levels for the growth of the Bank.

The Board also expresses its sincere gratitude to the Reserve Bank of India, National Bank for Agriculture and Rural Development, National Housing Bank for their valuable guidance and support extended to the Bank from time to time.

The Board of Bank also conveys its sincere thanks to the Collector and District Magistrate and District Administration in the erstwhile Districts of Adilabad, Karimnagar, Nizamabad, Ranga Reddy and Hyderabad, for their continuous support to the Bank at all times.

The Board also thanks the Central Statutory Auditors M/s Sagar Associates and Branch auditors for their cooperation, guidance and promptness in completion of Audit in reasonable time.

The Board records its appreciation for all the staff members for their dedicated involvement in the growth and functioning of the Bank. It is due to their unstinted efforts that the Bank could post good performance during this year and could surpass the targets in many parameters under MoU. The Board looks forward for their motivated involvement and sustained efforts for the overall development of the Bank in future also.

For and on behalf of the Board of Directors

(V. ARVIND)
Chairman



Live webinar with Shri Narendra Modi, Prime Minister of India and other Dignitaries on Budget implementation strategies participated by our Chairman



Virtual Inauguration of DISA (Digital Insta Savings Account) app of TGB & APGVB by Shri Dinesh Kumar Khara, Chairman, State Bank of India



Chairman's meeting with Shri Shaji K.V, DMD, NABARD



Felicitation to achievers by SBI Life at Ramoji Film City, Hyderabad
Chairman, General Managers and Regional Managers graced the occasion



Participants and Achievers who attended the Programme



All SBI Life achievers at Bahubali Set, Ramoji Film City



INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To

The President of India

Report on Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

1. We have audited the standalone financial statements of Telangana Grameena Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2021, the Profit and Loss Account and the cash flow statement for the year ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included the returns for the year ended on that date of 25 branches audited by us and 273 branches audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD). Also included in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the cash flow statement are the returns from 179 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 25 percent of advances, 26 per cent of deposits, 25 per cent of interest income and 27 percent of interest expenses.
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Regional Rural Bank Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India (SBI) and National Bank for Agriculture and Rural Development ('NABARD) from time to time and in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles

generally accepted in India and:

- a. The Balance Sheet, read with the notes thereon is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars, is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at 31st March 2021;
- b. The Profit and Loss Account read with the notes thereon shows a true balance of profit/ loss; and
- c. The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matters

4. We draw attention to Note No.17 of Schedule 18 to the financial statements for the year ending 31.03.2021 which describes the pending reconciliation of Inter Branch Transactions, Inter Office Accounts, suspense, sundry deposits, clearing adjustment to the extent of Rs. 372.26 lakhs (debit).



5. We draw attention to Note No. 2.10 of schedule 18 to the financial statements for the year ending 31.03.2021 which describes about the Vaddi Leni Runalu sanctioned to the eligible farmers in respect of which the bank is yet to receive interest subvention amount of Rs. 6385.33 lakhs pertaining to the financial years 2015-16 to 2017-18 and treated the same as fully recoverable from State Government of Telangana.

Our opinion is not qualified in respect of these matters.

Key Audit Matters

6. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Key Audit Matters	How it has been Addressed
<p><u>Classification of Loans and advances, provision thereon and income recognition:</u></p> <p>Classification of Loans and Advances and Identification of and provisioning for non-performing Advances in accordance with the RBI/NABARD guidelines.</p> <p>Advances include Cash credits, Overdrafts loans repayable on demand and term loans.</p> <p>Advances constitute 64% of the Bank's total assets. They are, inter-alia, governed by income recognition, asset classification and provisioning (IRAC) norms and other circulars and directives issued by the RBI/NABARD from time to time which provides guidelines related to classification of Advances into performing and non-performing Advances (NPA). The bank classifies these advances based on IRAC norms detailed in accounting policy No. 3.</p>	<p>Our audit approach towards advances with reference to the IRAC norms and other related circulars/ directives issued by RBI/NABARD and internal policies and procedures of the Bank includes the testing of the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The accuracy of the data input in the system for income recognition, classification into performing and non-performing advances and provisioning in accordance with the IRAC Norms in respect of the branches allotted to us. • Existence and effectiveness of monitoring mechanisms such as Internal Audit, Systems Audit, Credit Audit, Snap Audit and Concurrent Audit as per the policies and procedures of the Bank. • We have examined the efficacy of various internal controls over advances to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and compliance with the observations of the various audits



Identification of performing and non-performing Advances involves establishment of proper mechanism. The Bank accounts for all the transactions related to advances in its Information Technology System (IT System) viz. Core Banking Solutions (CBS) which also identifies whether the advances are performing or non-performing. Further, NPA classification is done through IT System (CBS) and Provisioning on advances (Performing and Non-Performing) as per the Income Recognition and Asset Classification Norms is being done outside the system using tools like Microsoft Excel.

The income recognition asset classification and provisioning if not done properly as per the IRAC norms issued by Reserve Bank of India may materially impact the financial statements of the bank. Hence same was taken as Key Audit Matter.

Classification and Valuation of Investments, Identification of provisioning for Non-Performing Investments.

Investments include investments made by the Bank in various Government Securities, Bonds, Debentures and other approved securities.

Investments constitute 22% of the Bank's total assets.

These are governed by the circulars and directives of the RBI/NABARD. These directions, inter-alia, cover valuation of investments, classification of investments, identification of non-investments, the corresponding non-recognition of income and provision there against.

conducted as per the monitoring mechanism of the Bank and NABARD Inspection.

- In carrying out substantive procedures at the branches allotted to us, we have examined all large advances while other advances have been examined on a sample basis.
- Reliance is also placed on Audit Reports of other Statutory Branch Auditors.
- We have also relied on the reports of External IT System Audit experts with respect to the business logics / parameters inbuilt in CBS for tracking, identification and stamping of NPAs.
- We have performed extensive procedures for verification of the procedure of computation of Provisions outside the IT system, its correctness and the reconciliation of the same with the books of accounts.
- Our audit approach towards Investments with reference to the RBI / NABARD Circulars /directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non Performing Investments.
- We evaluated and understood the Bank's internal control system to comply with relevant RBI/NABARD guidelines regarding valuation, classification, identification of Non Performing Investments.
- We assessed and evaluated the process



The valuation of each category (type) of the aforesaid securities is to be done as per the method prescribed in circulars and directives issued by the RBI/NABARD which involves collection of data/information from various sources such as FIMMDA rates, rates quoted on BSE/NSE. Considering the complexities and extent of judgement in the Valuation, volume of transactions, investments on hand and degree of regulatory focus, this has been determined as a Key Audit Matter.

Accordingly, our audit was focused on valuation of Investments, Classification, Identification of Non-Performing Investments.

Further, the bank has been compiling the investment register in Excel tool and has been making all the calculations using the same tool.

Assessment of Provisions and Contingent Liabilities in respect of certain litigations including Direct Taxes

There is high level of judgement in required in estimating the level of provisioning. The Bank's assessment is supported by the facts of matter, their own judgment, past experience, and advices from legal and independent tax consultants wherever considered necessary. Accordingly, unexpected adverse outcomes may significantly impact the Bank's reported profit and the Balance Sheet.

We determined the above area as a Key Audit Matter in view of associated uncertainty relating to the outcome of these matters which requires application of judgment in interpretation of law. Accordingly, our audit was focused on analysing the facts of subject matter under consideration and judgments / interpretation of law involved.

adopted for collection of information from various sources for determining fair value of these investments.

- For the selected sample of investments in hand, we tested accuracy and compliance with the RBI Master Circulars/NABARD and directions by re-performing valuation for each category of the security. Samples were selected after ensuring that all the categories of investments (based on nature of security) were covered in the sample.
- We tested the mapping of Investments between the Investments (Excel Tool) and the financial statements to ensure compliance with the presentation and disclosed requirements as per the aforesaid RBI/NABARD directions.

Our audit approach involved:

- ▲ Understanding the status of the litigations / tax assessments.
- ▲ Examining recent orders and / or communications received from the various Tax Authorities / Judicial forums and follow up action thereon.
- ▲ Evaluating the merit of the subject matter under consideration with reference to the grounds presented therein and available independent legal / tax advice; and
- ▲ Review and analysis of evaluation of the contentions of the Bank through discussions, collection of the details of the subject matter under consideration, the likely outcome and consequent potential outflows on those issues.



Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

7. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Regional Rural Bank Act, 1976, Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') and National Bank for Agriculture and Rural Development ('NABARD') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error. In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

8. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.
9. As part of an audit in accordance with SAs, we exercise our professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:
 - a. Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 - b. Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
 - c. Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting



- estimates and related disclosures made by management.
- d. Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- e. Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
10. We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.
11. We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.
12. From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.
- Other Matter**
13. We did not audit the financial statements / information of 273 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total advances of Rs. 6,20,203 Lakhs as at 31st March 2021 and total revenue of Rs. 65,868 Lakhs for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.
14. Due to covid-19 restrictions, the audit finalization process, for the year under report, was carried out from remote locations i.e. other than the branches of the Bank, and to the extent data/details available/feasible based on financial information/records remitted by the management through digital medium



Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirement

15. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Form A and Form B respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949;
16. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 4 to 6 above and as required by the Regional Rural Bank Act, 1976, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
- We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

17. We further report that:

- In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us.
- The Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;
- The reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
- In our opinion, the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss Account and the Cash flow statement comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

Place : Hyderabad

Date : 13.05.2021

For **Sagar and Associates**

Chartered Accountants

F.R. No. 003510 S

Sd/-

(CA. V. Vidyasagar Babu)

PARTNER

M.No. 027357

UDIN : 21027357AAAACA9086



BALANCE SHEET AS ON 31.03.2021

(₹ in 000's)

Particulars	Schedule	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
CAPITAL & LIABILITIES			
Capital	1	180723	180723
Reserves & Surplus	2	11434435	8494801
Deposits	3	101091507	89923116
Borrowings	4	39344221	40784422
Other Liabilities & Provisions	5	1682670	1419179
TOTAL		153733556	140802241
ASSETS			
Cash and Balances with RBI	6	3973061	3132705
Balances with Banks and Money at call & short notice	7	13126810	26469978
Investments (Net)	8	33568485	23455650
Advances (Net)	9	98988311	83460226
Fixed Assets	10	317184	291982
Other Assets	11	3759705	3991700
TOTAL		153733556	140802241
Contingent Liabilities	12	118584	117545
Bills for Collection		0	0
Significant Accounting Policies	17		
Notes to Accounts	18		

The schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet.

As per our Report of even date
For *M/s Sagar and Associates*
Chartered Accountants
F.R. No. 003510 S

Sd/-
(CA. V. Vidyasagar Babu)
PARTNER
M.No. 027357

Sd/-
(Dr. B. Janardhan Reddy, IAS)
Director

Sd/-
(Sri G. Santhanam)
Director

Sd/-
(Sri Anil Kumar Kalbhore)
Director

Sd/-
(Sri P.M. Petro)
Director

Date : 13.05.2021
Place : Hyderabad

Sd/-
(Sri Prafulla Kumar Jena)
Director

Sd/-
(Sri Rayi Ravi)
Addl. Secretary
Director

For Telangana Grameena Bank

Sd/-
GENERAL MANAGER-I

Sd/-
CHAIRMAN



PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2021

(₹ in 000's)

Particulars	Schedule	For the year ended 31.03.2021	For the year ended 31.03.2020
I. Income			
(a) Interest earned	13	12895927	11104172
(b) Other income	14	2515275	2338663
TOTAL		15411202	13442835
II. Expenditure			
Interest expended	15	7147827	6838764
Operating Expenditure	16	3462273	3498734
Provisions and contingencies		830190	426588
TOTAL		11440290	10764086
III. Profit / Loss			
Profit / loss (-) for the year- Before Tax		3970912	2678750
Less:PROVISION FOR INCOME TAX		1030000	970000
Less(Add): Deferred Tax Liability / (Asset)		1278	-2286
PROFIT AFTER TAX		2939634	1711035
Appropriation of Profit			
Transfer to Statutory Reserves		587927	342207
Transfer to Capital Reserve		-	16857
Transfer To Revenue & Other Reserves		-	-
Transfer to Special Reserves U/s 36(i)(viii) of IT Act,1961		-	-
Balance Carried over to Balance Sheet		2351707	1351971
TOTAL		2939634	1711035

The schedules referred to above form an integral part of Profit & Loss Account

As per our Report of even date
For M/s Sagar and Associates
Chartered Accountants
F.R. No. 003510 S

Sd/-
(CA. V. Vidyasagar Babu)
PARTNER
M.No. 027357

For Telangana Grameena Bank

Sd/-
GENERAL MANAGER-I

Sd/-
CHAIRMAN

Sd/-
(Dr. B. Janardhan Reddy, IAS)
Director

Sd/-
(Sri G. Santhanam)
Director

Sd/-
(Sri Anil Kumar Kalbhore)
Director

Sd/-
(Sri P.M. Patro)
Director

Sd/-
(Sri Prafulla Kumar Jena)
Director

Sd/-
(Sri Rayi Ravi)
Addl. Secretary
Director

Date : 13.05.2021
Place : Hyderabad



SCHEDULE-1		
SHARE CAPITAL		
	₹ in 000's	
Particulars	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
Authorised Capital (2,00,00,00,000 shares of Rs.10/- each)	20000000	20000000
Issued Capital (1,80,72,295 shares of Rs.10/- each)	180723	180723
Subscribed and Paid up Capital (1,80,72,295 shares of Rs.10/- each)	180723	180723
TOTAL	180723	180723

SCHEDULE-2		
RESERVES & SURPLUS		
	₹ in 000's	
Particulars	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I Statutory Reserves		
Opening Balances	1980820	1638613
Additions during the Year	587927	342207
Deductions during the Year	0	0
Total	2568747	1980820
II Capital Reserves		
Opening Balance	49114	32257
Additions during the Year	0	16857
Deductions during the Year	0	0
Total	49114	49114
III Share premium		
Opening Balance	0	0
Additions during the Year	0	0
Deductions during the Year	0	0
Total	0	0
IV Special Reserve U/s 36(1)(viii)		
Opening Balance	0	0
Additions during the Year	0	0
Deductions during the Year	0	0
Total	0	0
V Revenue and other Reserves		
Opening Balance	0	0
Additions during the Year	0	0
Deductions during the Year	0	0
Total	0	0
VI Balance of Profit & Loss Account	8816574	6464867
TOTAL (I, II, III, IV & V)	11434435	8494801



SCHEDULE-3			
DEPOSITS			
			₹ in 000's
	Particulars	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
A.	I Demand Deposits		
	i. From Banks	0	0
	ii. From Others	976338	840123
	II Saving Bank Deposit	37507731	33458720
	III Term Deposits		
	i. From Banks	6423012	2927500
	ii. From Others	56184426	52696773
	TOTAL of (I II and III)	101091507	89923116
B.	I. Deposits of branches in India	101091507	89923116
	II. Deposits of Branches outside India	0	0
	TOTAL	101091507	89923116

SCHEDULE-4			
BORROWINGS			
			₹ in 000's
	Particulars	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I	Borrowings in India		
	i. Reserve Bank of India	0	0
	ii. Other Banks (SBI)	157801	0
	iii. Other Institutions and Agencies		
	a) NABARD	37524729	38903676
	b) National Housing Bank (NHB)	1407240	1666600
	c) MUDRA	103250	116400
	d) NSFDC	151201	97746
II	Borrowings outside India	0	0
	TOTAL (I & II)	39344221	40784422
	Secured Borrowings included in I and II above	39344221	40784422
	TOTAL OF I & II	39344221	40784422

SCHEDULE-5			
OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS			
			₹ in 000's
	Particulars	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
1	Bills payable	278806	262209
2	Inter Office Adjustment (Net)	0	91081
3	Interest Accrued	167904	282438
4	Others (Including Provisions)		
	General Provision on Standard Advances	285369	244197
	Provision for Pension & NPS	0	165600
	Provision for Income Tax	0	0
	Others Liabilities	950591	373655
	TOTAL	1682670	1419179



SCHEDULE-6			
CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA			₹ in 000's
	Particulars	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I	Cash in hand	620785	594151
II	Balances with Reserve Bank of India		
	i. In Current Accounts	3352276	2538554
	ii. In other Accounts	0	0
	TOTAL (I & II)	3973061	3132705

SCHEDULE-7			
BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE			₹ in 000's
	Particulars	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I	In India:		
	i) Balance with Banks:		
	a. In current Accounts	522136	1022063
	b. In other Deposit Accounts	12604674	25447915
	ii) Money at call and short notice		
	a. With Banks	0	0
	b. With other institutions	0	0
	TOTAL of (i & ii)	13126810	26469978
II	Out side India:		
	i. In current Accounts	0	0
	ii. In other Dep.Accounts	0	0
	iii. Money at call and short notice	0	0
	TOTAL of (I, II, III)	0	0
	GRAND TOTAL (I+II)	13126810	26469978



SCHEDULE-8			
INVESTMENTS			
			₹ in 000's
	Particulars	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I	Investments in India in		
	i. Government Securities	32795506	22942655
	Less: Provision / Depreciation	0	0
	Net SLR	32795506	22942655
	ii. Other approved securities	0	0
	iii. Shares	0	0
	iv. Debentures and Bonds	452995	452995
	Less: Provision	0	0
	Net	452995	452995
	v. Subsidiaries and/or other joint ventures	0	0
	vi. Others		
	IVP / KVP etc.	0	0
	Mutual Funds	319984	60000
	Less: Provision	0	0
	Net	319984	60000
	Net Non-SLR	772979	512995
	TOTAL-NET INVESTMENTS IN INDIA	33568485	23455650
II	Investments outside India	0	0
	Less: Provision / Depreciation	0	0
	TOTAL Net of II	0	0
	GRAND TOTAL (I+II)	33568485	23455650



SCHEDULE-9			
ADVANCES			
			₹ in 000's
	Particulars	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
A	i. Bills purchased and discounted	0	0
	ii. Cash Credits, ODs and loans repayable on demand	72102813	63714153
	iii. Term Loan	26885498	19746073
	TOTAL	98988311	83460226
B	i. Secured by tangible assets	98161228	82611083
	ii. Covered by Bank / Govt. guarantee	638533	662949
	iii. Unsecured	188550	186195
	TOTAL	98988311	83460226
C	Advances in India		
	i. Priority Sector	82671907	73051772
	ii. Public Sector	0	0
	iii. Banks	0	0
	iv. Others	16316404	10408455
	TOTAL	98988311	83460226
	Advances Outside India:		
	i. Due from Banks	0	0
	ii. Due from others	0	0
	TOTAL	0	0
	TOTAL (C.I and C.II)	98988311	83460226
	Gross Advances	101037578	84879749
	Less: INCA	0	0
	Less: Provisions for B&D debts	2049267	1419522
	NET ADVANCES	98988311	83460226



SCHEDULE-10			
FIXED ASSETS			₹ in 000's
	Particulars	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I	PREMISES		
	At cost as on 31st March	3422	3422
	i. Additions during the year	0	0
	ii. Deduction during the year	0	0
	iii. Depreciation during the year	57	57
	iv. Depreciation to date	810	753
	TOTAL I	2612	2669
II	Other Fixed Assets (incl. furniture & fixtures)		
	At cost as on 31st March	717347	664669
	i. Additions during the year	71374	52678
	ii. Deduction during the year	2	0
	iii. Depreciation during the year	46113	50942
	iv. Depreciation to date	474147	428034
	TOTAL II	314572	289313
III	Capital work in progress		
	At cost as on 31st March	0	0
	i. Additions during the year	0	2549
	ii. Deduction during the year	0	0
	TOTAL III	0	2549
	TOTAL I, II & III	317184	291982

SCHEDULE-11			
OTHER ASSETS			₹ in 000's
	Particulars	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I	Inter-Office Adjustments (Net)	37225	0
II	Interest accrued	917468	914031
III	Tax paid in Advances / Tax deducted at source *	258162	374564
IV	Stationery & Stamps	130	239
V	Non-Banking assets acquired in satisfaction of claims	0	0
VI	Others		
	GOI Int. waiver Account (Int Recble from NABARD)	2408936	2650348
	Miscellaneous Assets (Frauds, Cash stolen)	0	0
	Others (suspense utility services etc.)	137784	52519
	TOTAL	3759705	3991700

* Net of Provisions



SCHEDULE-12			
CONTINGENT LIABILITIES			₹ in 000's
	Particulars	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I	Claims against the Bank not acknowledged as debts	0	0
II	Liability for partly paid Investments	0	0
III	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	0	0
IV	Guarantee given on behalf of constituents		
	a. In India	95727	113668
	b. Outside India	0	0
V	Acceptances, Endorsments and other obligations	0	0
VI	Other items for which the Bank is contingently liable (DEAF Account)	22857	3877
	TOTAL	118584	117545
SCHEDULE-13			
INTEREST EARNED			₹ in 000's
	Particulars	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I	Interest on advances /discount on bills	9330906	7913268
II	Income on Investments	2201419	1863915
	Less: Amortisation of Premium	-9366	-10647
III	Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	1356905	1224861
IV	Others	16063	112775
	TOTAL	12895927	11104172
SCHEDULE-14			
OTHER INCOME			₹ in 000's
	Particulars	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I	Commission, exchange and brokerage.	1203506	1100951
II	Profit on sale of Investments	152467	221973
	Less : Loss on Sale of Investments		
III	Profit on revaluation of investments	0	0
	Less : Loss on revaluation of investments		
IV	Profit on sale of Land, Buildings and Other Assets	0	0
	Less:Loss on Sale of Land, Buildings and Other Assets		
V	Profit on exchange transactions	0	0
	Less : Loss on exchange transaction		
VI	Income earned by way of dividends etc., from subsidiaries/ companies and/or joint ventures in abroad/ in India	0	0
VII	Miscellaneous Income	1159302	1015738
	TOTAL	2515275	2338662



SCHEDULE-15			
INTEREST EXPENDED			₹ in 000's
	Particulars	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I	Interest on deposits	5005191	4757170
II	Interest on Reserve Bank of India/ Inter bank Borrowings	0	0
III	Others		
	a. SBI - REFINANCE	2064	6734
	b. NABARD - REFINANCE	2060787	2017794
	c. NHB - REFINANCE	68987	28321
	d. MUDRA, NSFDC etc	10798	28746
	TOTAL	7147827	6838764

SCHEDULE-16			
OPERATING EXPENSES			₹ in 000's
	Particulars	As on 31.03.2021	As on 31.03.2020
I	Payments to and provisions for employees	2431877	2566722
II	Rent, Taxes & Lighting	152642	140293
III	Printing & Stationery	10823	12773
IV	Advertisement & Publicity	163	245
V	Depreciation on Bank's property	46170	50999
VI	Director's fees, allowances and expenses	0	0
VII	Auditors fees and expenses (including branch auditors)	5222	4177
VIII	Law charges	467	408
IX	Postage, Telegrams, Telephones etc.	5061	4049
X	Repairs and maintenance	122493	89527
XI	Insurance	153431	115158
XII	Other expenditure	533924	514383
	TOTAL	3462273	3498734



SCHEDULE-17

Summary of Significant Accounting Policies:

A. Basis of Preparation:

The Bank's financial statements are prepared under the historical cost convention, on the accrual basis of accounting on Going Concern basis, unless otherwise stated and confirm in all material aspects to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise applicable statutory provisions, regulatory norms/guidelines prescribed by the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)/ Reserve Bank of India (RBI), Banking Regulation Act 1949, Regional Rural Bank Act, 1976 and amendments thereto and Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAO), and practices prevalent in banking industry in India.

B. Use of estimates:

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in preparation of the financial statements are prudent and reasonable and are based upon management's evaluation of the relevant facts and circumstances as of the date of financial statements. Future results could differ from these estimates and the differences between the actual results and the estimates are recognized in the period in which the results are known /materialized.

C. Significant Accounting Policies

1. Revenue Recognition:

- 1.1) Income and expenditure are accounted on accrual basis, except otherwise stated.
- 1.2) Interest / Discount Income is recognized in the Profit and Loss Account as it accrues except, (i) Income from Non Performing Assets (NPAs), comprising of advances, and Investments which is recognised upon realization, as per the prudential

norms prescribed by the RBI. (ii) Overdue interest on investments.

- 1.3) Profit/Loss on sale of investments is recognized in the Profit and Loss Account. However, the profit on sale of investments in the "Held to Maturity (HTM)" category is appropriated (net of applicable taxes and amount required to be transferred to statutory reserve) to "capital reserve account".
- 1.4) Interest on investments has been recognized on accrual basis.
- 1.5) Income (Other than Interest) on "Held to Maturity (HTM)" category acquired at a discount to the face value is recognized as follows;
 - (i) on Interest bearing securities, it is recognized only at the time of sale/redemption.
- 1.6) Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.
- 1.7) Commission & Exchange and locker rent have been recognized on realization basis.
- 1.8) Interest on overdue term deposits is accounted for on renewal.
- 1.9) In case of suit filed accounts, legal and other expenses incurred are charged to Profit and Loss Account and at the time of recovery of such expenses is accounted as income.

2. Investments:

The transactions in Government Securities and other than Government Securities are recorded on "Settlement Date".

2.1) Clarification:

Investments are classified into three categories viz., Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Held for Trading (HFT) as per RBI guidelines.

2.2) Basis of Classification:

- Investments that Bank intends to hold till maturity are classified as "Held to Maturity (HTM)".
- Investments that are held principally for resale within 90days from the



date of purchase are classified as "Held for Trading (HFT)". Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as "Available for Sale (AFS)". An investment is classified as HTM /HFT/AFS at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.

2.3) Disclosure in Balance Sheet:

- Securities are classified and disclosed in Balance Sheet as Government Securities, other Approved Securities, Shares, Debentures and Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others.

2.4) Valuation:

The securities in each classification are valued in accordance with RBI guidelines as detailed here under:

- i. In determining the acquisition cost of an investment:
 - (a) Brokerage / Commission received on subscriptions is reduced from the cost.
 - (b) Brokerage, Commission, Security Transaction Tax etc paid in connection with the acquisition of investments or expensed upfront and excluded from cost.
 - (c) Broken period interest paid/received on debt instruments is treated as interest expense / income and is excluded from cost or sale consideration.
 - (d) Stamp duty Value paid on acquisition of Mutual Funds is considered as purchase value or capitalized in books of account.
 - (e) Cost is determined on the weighted average cost method for investments under AFS and HFT category and FIFO basis (First in First Out) for investments under HTM category.
- ii. Transfer of securities from HFT /AFS category to HTM category is carried out at the lower of acquisition cost

/book value /market value on the date of transfer. The depreciation, if any, on such transfer is fully provided for. However, transfer of securities from HTM category to AFS category is carried out at acquisition price / book value. After transfer, these securities are immediately revalued and resultant depreciation, if any, is provided.

- iii. **Held to Maturity category:** Investments under Held to Maturity category are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized over the remaining period of maturity on constant yield basis. Such amortization of premium is adjusted against income under the head "Interest on Investments".
- iv. Investments in equity shares of other companies are valued at historical cost. A provision is made for diminution, other than temporary, for each investment individually.
- v. **Available for Sale and Held for Trading Categories:** Investments under AFS and HFT category are individually revalued at market price or fair value determined as per regulatory guidelines, and only the net depreciation of each group for each category (viz., Government Securities, other Approved Securities, Shares, Debentures and Bonds, Subsidiaries and Joint Ventures and Others) is provided for and net appreciation, is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual security remains unchanged after marking to market.
- vi. Investments are classified as Performing and Non-performing, based on the guidelines issued by the RBI. Investments become non performing where:
 - (a) Interest/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90days.



- (b) In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Rs.1/- per company on account of the non availability of the latest balance sheet, those equity shares will be reckoned as NPI.
- (c) If any credit facility availed by any entity is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same entity would also be treated as NPI and vice versa.
- (d) The investments in debentures / bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.

3. Loans or Advances and Provisions thereon:

3.1 Loans and advances are classified as performing and non performing, based on the guidelines issued by the RBI. Loan assets become Non Performing Asset (NPA) where:

- In respect of agriculture advances:
 - i) For short duration crops, where the installment of principal or interest remains overdue for two crop seasons and
 - ii) For long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.
- In respect of Non Agriculture advances:
 - i) In respect of term loans, interest and /or installment of principal remains overdue for a period of more than 90days.

In respect Overdraft or Cash Credit Advances, the account remains "out of order", i.e. if the outstanding balance exceeds sanctioned limit or drawing

power continuously for a period 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance sheet, or if the credits are not adequate to cover the interest due during the same period.

3.2 Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines/directives prescribed by the RBI:

- a) All advances have been classified under four categories i.e., Standard Assets, Sub-standard Assets, Doubtful Assets and loss Assets.

b) Provisions on Advances are made as under:

i. Standard Assets: General Provision for Standard Assets at the following rates:

Direct advances to Agriculture and SME sectors at 0.25%

Commercial Real Estate sector at 1%

All other advances not included in (1) & (2) above at 0.40%

This general provision is reflected in schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other liabilities and provisions – other provisions" and is not considered for arriving at the net NPAs.

ii. Sub-Standard Assets:

A loan asset that has remained non performing for a period less than or equal to 12months.

Particulars	Rates prescribed as per IRAC Norms (NABARD Guidelines)	Additional Rates Adopted by the Bank
Secured Portion	10%	40%
Unsecured Portion	20%	40%



iii. Doubtful Assets:

A loan asset that has remained in the substandard category for a period of 12 months.

Particulars	Rates prescribed as per IRAC Norms (NABARD Guidelines)	Additional Rates Adopted by the Bank
Secured Portion	Upto one Year 20%	35%
	One to three Years 30%	40%
	More than three Years 100%	100%
Unsecured Portion	100%	100%

iv. Loss Assets:

A loan asset where Loss has been identified but the amount has not been fully written off.

100% Provision on outstanding advances.

- 3.3 Advances are net of specific loan provisions, unrealized interest, ECGC claims received.
- 3.4 For Restructured / rescheduled assets, provisions are made in accordance with the extant guidelines issued by the RBI.
- 3.5 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as performing asset if it confirms to the guidelines prescribed by the regulators.
- 3.6 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognized as revenue in the year of recovery.
- 3.7 General provisions made for Standard Assets as per extent RBI guidelines are reflected in Schedule 5 of the Balance Sheet under the head "Other Liabilities & Provisions" & are not considered for arriving at the net NPAs.
- 3.8 Interest realized on NPAs are taken into income account provided the credits in the

account towards interest are not out of fresh/additional credit facilities sanctioned to the borrower concerned.

4. Floating Provisions:

The Bank has a policy for creation and utilization of floating provisions for advances, investments and general purpose. The quantum of floating provisions to be created is assessed at the end of the each financial year.

5. Fixed Assets, Depreciation and Amortization:

- 5.1 Fixed Assets are carried at historical cost less accumulated depreciation / amortization.
- 5.2 Cost includes cost of purchase and all expenditure directly attributable to or incur in connection with acquiring the said asset before it is put to use. Subsequent expenditure incurred on the assets put to use are capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.
- 5.3 Depreciation / amortization is provided on straight line method as per the rates stated below.

Description of Fixed Assets	Depreciation/ amortization rate
Buildings	1.667%
Furniture & Fixtures other than Electrical Equipment	10%
Computers: Computers Software forming an integral part of the Computer hardware does not form an integral part of Computer hardware and cost of Software Development.	33.33%
Automated Teller Machine/ Cash Deposit Machine/Coin Dispenser/ Coin Vending Machine and other Electrical Equipment	20.00%
Servers	25.00%
Network Equipments	20.00%
Motor Vehicles	10.00%
Safe Deposit Lockers, Fire Proof Data Safe	5.00%



- 5.4 In respect of assets acquired during the year, depreciation is charged on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year.
- 5.5 Assets costing less than Rs.2000/- each are charged off in the year of purchase.

6. Impairment of Assets:

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to future Net Discounted Cash Flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

7. Employee Benefits:

7.1 Short Term employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits etc., which are expected to be paid for the services rendered by employees, are recognised during the period when the employee renders the service.

7.2 Long Term employee Benefits:

i) Defined Benefit Plans:

a) Gratuity: For all the eligible employees, the bank provides for Gratuity liability based on actuarial valuation. Liability is funded by way of contribution made to SBI Life Insurance Company Limited, India First Life insurance Company Limited, Life Insurance Corporation of India-Hanmakonda, Life

Insurance Corporation of India- Saifabad-Hyderabad and State Bank of India-Dilsukhnagar Branch through "Telangana Grameena Bank Employees Gratuity Fund Trust".

b) Leave Encashment: For all the employees who have completed five years of service, the Bank provides for Leave Encashment liability based on actuarial valuation. Bank contributes to SBI Life Insurance Company Limited and India First Life insurance Company Limited on annual basis.

c) Pension: The Bank provides for pension to all eligible employees who have joined the Bank on or before 31.03.2010. The benefit is in the form of monthly payments as per rules to vested employees on retirement or on death while in employment, on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes monthly contributions to the pension fund at 10% of the salary. The Bank provides for this liability based on the actuarial valuation.

ii) Defined Contribution Plans :

a) Provident Fund: Contributions made to Provident Fund are recognized as an Expense and charged to the Profit and Loss Account on accrual basis.

b) National Pension Scheme (NPS): The Bank operates a new pension scheme (NPS) for all the employees who have joined the Bank after 31.03.2018. The employees who have joined the Bank between 01.04.2010 to 31.03.2018, have been given an option to join NPS voluntarily. As per the scheme, the covered employees contribute 10% of their basic pay plus dearness allowance to the scheme together with a matching



contribution from the Bank. Pending completion of registration procedures of the employees concerned, these contributions are retained as deposits in the Bank and earn interest at the same rate as that of the current account of Provident Fund balance. The Bank recognizes such annual contributions and interest as an expense in the year to which they relate. Upon receipt of the Permanent Retirement Account Number (PRAN), the consolidated contribution amounts are transferred to the NPS Trust.

8. Income Tax Expense:

The Income Tax, if any applicable, is computed in accordance with relevant tax provisions under the Income Tax Act, 1961 as applicable to Regional Rural Banks.

Income Tax expense is the aggregate amount of current tax and deferred tax. Current tax expense and deferred tax expense are determined in accordance with the provisions of the Income tax Act, 1961 and as per the Accounting Standard 22- Accounting for taxes on income respectively and tax laws prevailing in India. Deferred tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the period.

Deferred tax assets and liabilities are recognized by considering the impact of the timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the Balance Sheet date. The impact of changes in Deferred tax assets and liabilities is recognized in the Profit and Loss Account. Deferred Tax assets are recognized and reassessed at each reporting date, based upon management's

judgment as to whether their realization is considered as reasonably / virtually certain.

9. Government Grants:

Government grants available to the enterprise are considered for :-

- i) Where there is a reasonable assurance that the enterprise will comply with the conditions attached to them.
- ii) Where such benefits have been earned by the enterprise and it is reasonably certain that the ultimate collection will be made. conditions attached to them.

Grants received from the government towards specific fixed assets, are shown as deduction from the gross value of the asset concerned in arriving at its book value.

10. Contingent Liabilities & Provisions:

In conformity with AS-29 "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent assets", issued by ICAI, the bank recognizes the provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and would result in probable outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

No provision is recognized for:

- i) Any possible obligation that arises from past events and existence of which will be confirmed only by the occurrence or non occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the bank.
- ii) Any present obligation that arises from



past events but is not recognised because

- a) It is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation or
- b) A reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as

As per our Report of even date
For *M/s Sagar and Associates*
Chartered Accountants
F.R. No. 003510 S

Sd/-
(CA. V. Vidyasagar Babu)
PARTNER
M.No. 027357

Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

- iii. Contingent Assets are not recognized in the financial statements.

For Telangana Grameena Bank

Sd/-
GENERAL MANAGER-I

Sd/-
CHAIRMAN



TELANGANA GRAMEENA BANK

HEAD OFFICE: HYDERABAD

DISCLOSURES AS PER NABARD GUIDELINES

ANNEXURE TO NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS (SCHEDULE – 18)

1. Capital:

Sl.No.	Particulars	Current Year 31.03.2021	Previous Year 31.03.2020
i)	CRAR (%)	12.55%	11.63 %
ii)	CRAR – Tier I capital (%)	12.25%	10.44 %
iii)	CRAR – Tier II Capital (%)	0.30%	1.19%
iv)	Percentage of share holdings of the		
A	Government of India	50%	50%
B	State Government	15%	15%
C	Sponsor Bank	35%	35%

2. Advances:

- 2.1 As per the review and the assessment by the management of the Bank, the provision required towards Bad & Doubtful Debts as on 31.03.2021 as per IRAC Norms is 7,867.69 lakhs (Previous year Rs. 6,731.10 lakhs) and as per banks policy is Rs. 14,728.26 lakhs. However, in order to maintain higher PCR, the aggregate amount of provision maintained is Rs. 20,492.67 lakhs (Previous Year Rs. 14,195.22 lakhs). The provision made during the current year is Rs 7,890.02 lakhs (previous year Rs. 3,744.00 lakhs).
- 2.2 As per the review and the assessment by the management of the Bank, the general provision required towards Standard Assets as per IRAC Norms is 2,853.64 lakhs (Previous year Rs 2,441.97 lakhs). The provision for standard assets made during the current year is Rs 411.72 lakhs (previous year Rs. 521.87 lakhs). The same is disclosed under the head "General Provision on Standard Advances" of Schedule 5.
- 2.3 During the year, the Bank has identified NPAs under the "One NPA All NPA" norm with the help of an in-house tool and accordingly identified NPAs to the extent of Rs 2,113.85 lakhs and classified them as Sub Standard and there is no unrealised interest and unrecovered charges thereon. Provision for Bad Debts to the extent of Rs 1,056.92 lakhs has been created thereon as per bank's policy (included in the provision stated in para "2.1" above).
- 2.4 The outbreak of Corona virus (Covid-19) pandemic globally and in India is causing significant disturbance and slowdown of economic activity. The impact of corona virus on our business will depend on future developments that can't be reliably predicted. In view of the highly uncertain economic environment, a definitive assessment of the impact on the subsequent periods is



highly dependent upon circumstances as they evolve. The impact of Global Health pandemic might be different from that estimated as at the date of approval of this interim financial information and the Bank is closely monitor any material changes to Future Economic Conditions.

2.5 As per the RBI Circular DOR. No. BP.BC.47/21.04.048/2019-20 aimed at alleviating the lingering impact of Covid19 Pandemic on the business and financial institutions in India issued on 27th March, 2020 and extended on 23rd May 2020 relating to the Covid19 Regulatory Package, the Board of the Bank has approved the Regulatory Package as per the Circular and extended the relaxations as per the directions given by RBI retrospectively with effect from 1st March, 2020 and extended upto 31st August, 2020.

2.6 The Bank has extended the benefit of asset classification to advances to the extent of Rs. 88,087 lakhs in accordance with the RBI Circular DOR.NO.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 dated April 17, 2020 which would have become Non-performing during the period 01.03.2020 to 31.08.2020.

In accordance with the Supreme Court order dated 03.09.2020 that the accounts which were not declared as NPA till 31.08.2020 shall not be declared as NPA till further orders and the subsequent orders dated 10.09.2020, 05.10.2020 and 14.10.2020, the Bank has not marked any account, for which the moratorium benefit was extended, as NPA, due to non-payment of overdue amounts, till 31.03.2021.

2.7 The Bank has created additional provision of Rs. 8,808.70 lakhs as on 30.09.2020 being 10% additional provision on the outstanding balances of advances to which asset classification benefit was extended during the period 01.03.2020 to 31.08.2020 as per the RBI Circular DOR.NO.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 dated April 17, 2020. The Bank has adjusted the addition provision against the actual Slippages of accounts upto 31.03.2021.

2.8 Further, in accordance with the above stated Circular dated 23rd May 2020, the Bank has given an option to customers (other than KCC and SHGs) to opt for conversion of the accumulated interest on their CC/OD Accounts into Funded Interest Term Loan (FITL). The outstanding amount in such accounts as on 31.03.2020 is Rs.2,129.71 lakhs (898 Accounts. as on 31.03.2021, 40 customers has opted for conversion and outstanding amount is Rs 9.76 lakhs (17 accounts).

2.9 In accordance with RBI circular DOR.STR.REC.4/21.04.048/2021-22 dated 07.04.2021 "Asset Classification and Income Recognition following the expiry of Covid-19 regulatory package".

1. **Refund/adjustment of 'interest on interest':** The Bank has refunded an amount of Rs. 163.89 lakhs being the interest on interest to certain borrowers based on the reliefs given as per the RBI Circular No. DOR. No.BP.BC.47/21.04.048/2019-20 dated March 27, 2020 and DOR.No.BP.BC.71/21.04.048/2019-20 dated May 23, 2020 ("Covid-19 Regulatory Package).

2. **Asset Classification :**

i) In respect of accounts which were not granted moratorium in terms of the Covid-19 Regulatory Package, asset classification is made as per the Master Circular - Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances dated July 1, 2015 .



ii) In respect of accounts which were granted moratorium in terms of the Covid19 Regulatory Package, the asset classification for the period from March 1, 2020 to August 31, 2020 is done in terms of the circular DOR.No.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 dated April 17, 2020, read with circular DOR.No.BP.BC.71/21.04.048/2019-20 dated May 23, 2020. For the period commencing September 1, 2020, asset classification for all such accounts is done as per the applicable IRAC Norms.

2.10 Pursuant to the G.O number. 639 Dt.27-04-2013, G.O Number: 323 dt.04-07-2015 and G.O Number: 236 dt.25-05-2016 and G.O Number:369 dt. 23-06-2017, the bank has sanctioned Vaddi Leni Runalu (VLR's) to the eligible borrowers and claimed Interest subvention since 01.04.2015 to 31.03.2018 and the bank is yet to receive Interest Subvention of Rs.6,385.33 lakhs out of claim of Rs. 7,976.97 lakhs from the State Government of Telangana from 01-04-2015 to 31.03.2018. Considering the discussions with the State Government of Telangana through SLBC and the assurances given by the State Government for the release of funds due under VLR Scheme, the same are treated as Standard Advances and provision of Rs 15.96 lakhs was created accordingly. The amount is disclosed under Schedule -5 Other Liabilities.

3. Investments :

3.1 Value of Investments

(₹ in Lakh)

Sl.No.	Particulars	Current Year 31.03.2021	Previous Year 31.03.2020
1	Value of investments		
i	Gross value of investments	335684.85	234556.50
ii	Provisions for Depreciation	0	0
iii	Net Value of investments	335684.85	234556.50
2	Movement of provisions held towards depreciation on investments		
i	Opening Balance	0	0
ii	Add : Provisions made during the year ended 31.03.2021	0	0
iii	Less: Write off / write back of excess provisions / adjustments during the year ended 31.03.2021	0	0
iv	Closing Balance	0	0

3.2 Repo Transaction:

(₹ in Lakh)

	Minimum outstanding during the year 31.03.2021	Maximum outstanding during the year 31.03.2021	Daily Average outstanding during the year 31.03.2021	As on 31st March 2021
Securities sold under Repos	NIL	NIL	NIL	NIL
Securities purchased under reverse repos	NIL	NIL	NIL	NIL



3.3 Non – SLR investment portfolio:

(i) Issuer composition of Non SLR Investments:

(₹ in Lakh)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of private placement	Extent of below investment grade securities	Extent of unrated securities	Extent of unlisted securities
1	2	3	4	5	6	7
i)	PSUs	2547.55	-	-	-	-
ii)	FIs	0	-	-	-	-
iii)	Banks	0	-	-	-	-
iv)	Private Corporate	1982.40	-	-	-	-
v)	Others (MF)	3199.84	-	-	-	-
vi)	Provisions held towards depreciation	-	-	-	-	-
	TOTAL	7,729.79	-	-	-	-

(ii) Non – performing Non-SLR Investments:

(₹ in Lakh)

Particulars	Amount
Opening Balance	NIL
Additions during the year since 1st April 2020	NIL
Reductions during the year ended 31.03.2021	NIL
Closing balance	NIL
Total provisions held	NIL

4. Asset Quality :

In tune with guidelines issued by Reserve Bank of India, the Assets of the bank have been classified as Performing and Non-performing Assets as on 31-03-2021 and the breakup of Non-performing assets is furnished hereunder:



4.1 Non – Performing Asset:

(₹ in Lakh)

Sl.No.	Particulars	Current Year 31.03.2021	Previous Year 31.03.2020
i	Net NPA to Advances (%)	0.23	0.41
ii	Movement of NPAs		
(a)	Opening Balance	17633.33	16555.45
(b)	Additions during the year	13910.92	41000.82
(c)	Reductions during the year	8781.58	39922.94
(d)	Closing balance	22762.67	17633.33
iii	Movement of Net NPAs		
(a)	Opening balance	3438.11	6056.01
(b)	Additions during the year	6955.46	11985.56
(c)	Reduction during the year	8123.56	14603.46
(d)	Closing balance	2270.01	3438.11
iv	Movement of provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a)	Opening balance	14195.22	10499.74
(b)	Provisions made during the year	7890.02	3744.00
(c)	write-back of excess provisions	0.00	0.00
(d)	Write-off/Compromise	1592.57	48.52
(e)	Closing balance	20492.67	14195.22

4.2 Details of loan assets subject to restructuring:

(₹ in Lakh)

Sl.No.	Particulars	Current Year 31.03.2021	Previous year 31.03.2020
i	Total amount of loan assets subject to restructuring, rescheduling, renegotiation	446.45	699.99
ii	The amount of standard assets subjected to restructuring, rescheduling, and renegotiation.	0	4.60
iii	The amount of Sub-standard assets subjected to restructuring, rescheduling, and renegotiation.	0.95	93.43
iv	The amount of Doubtful assets subjected to restructuring, rescheduling, and renegotiation.	445.50	601.96
	NOTE [(i) = (ii) + (iii) + (iv)]		



4.3 Details of financial assets sold to Securitisation (SC) / Reconstruction Company (RC) for Assets Reconstruction.

Sl.No.	Particulars	Current Year 31.03.2021	Previous Year 31.03.2020
i	No. of accounts	NIL	NIL
ii	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/ RC	NIL	NIL
iii	Aggregate consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL
iv	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years.	NIL	NIL
v	Aggregate gain /loss over net book value	NIL	NIL

4.4 Details of Non-performing financial assets purchased / sold:

A. Details of Non-performing financial assets Purchased

(₹ in Lakh)

Sl No.	Particulars	Current Year 31.03.2021	Previous year 31.03.2020
1(a)	No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
(b)	Aggregate outstanding	NIL	NIL
2(a)	Of these, number of account restructured	NIL	NIL
(b)	Aggregate outstanding	NIL	NIL

B. Details of Non-performing financial assets Sold

(₹ in Lakh)

Sl.No.	Particulars	Current Year 31.03.2021	Previous year 31.03.2020
1	No. of accounts sold	NIL	NIL
2	Aggregate outstanding	NIL	NIL
3	Aggregate consideration received	NIL	NIL

4.5 Provisions on Standard Assets

(₹ in Lakh)

Sl. No.	Particulars	Current Year 31.03.2021	Previous year 31.03.2020
1	Provisions towards Standard assets	2,853.64	2,441.97



5. Business Ratio

Sl.No.	Particulars	Current Year 31.03.2021	Previous year 31.03.2020
i	Interest income as a percentage to working Funds	8.51	8.84
ii	Non-interest income as a percentage to working Funds	1.66	1.64
iii	Operating profit as a percentage to working funds	3.17	3.26
iv	Returns on Assets	1.94	1.36
v	Business (Deposits plus advances) per employee (in lakhs)	1,168.38	996.60
vi	Profit per employee (in lakhs)	16.99	9.76

6. Asset Liability Management - Maturity pattern of certain items of assets and liabilities:

(₹ in Lakhs)

Particulars	1-14 days	15-28 days	29days – 3months	Over 3 months and up to 6 months	Over 6 months and 1 yr	Over 1 yr and up to 3yrs	Over 3yrs to and up to 5 yrs	Over 5 yrs	Total
Deposits	75004.51	21513.17	106610.61	112552.18	180005.37	483823.60	19399.50	12006.13	1010915.07
Advances	134220.65	1312.20	94341.20	161174.47	120369.90	257556.44	91267.47	130292.57	990534.90
Investments & STDRs	22199.84	0.00	34101.86	51882.71	28461.44	32660.35	1535.88	290889.50	461731.74
Borrowings	1578.01	0.00	44680.44	58972.53	84395.19	151751.91	50901.80	1162.52	393442.20
Foreign currency assets	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Foreign currency liabilities	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL



7. Exposure

7.1 Exposure to Real Estate sector:

(₹ in Lakh)

Sl. No	Category	Current Year 31.03.2021	Previous Year 31.03.2020
A	Direct Exposure		
(i)	Residential Mortgages Lending fully secured by mortgages on residential properties that is or will be occupied by the borrower or that is rented (individual housing loan up to Rs.20 lakh)	98764.24 (51,816.21)	81498.03 (46,931.89)
(ii)	Commercial Real Estate Lending secured by mortgages on commercial real estates (Office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction etc) Exposure would also include Non-fund based (NFB) limits ;	731.06	570.34
(iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securities exposure		
	a. Residential	NIL	NIL
	b. Commercial Real Estate	NIL	NIL
B	Indirect Exposure	NIL	NIL
	Fund-based and Non-fund based exposure on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	NIL	NIL



7.2 Exposures to Capital Market

(₹ in Lakh)

Sl. No	Category	Current Year 31.03.2021	Previous Year 31.03.2020
1	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is exclusively invested in corporate debt;	NIL	NIL
2	Advances against shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	NIL	NIL
3	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	NIL	NIL
4	Advance for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e., where the primary security other than shares/ convertible bonds/convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	NIL	NIL
5	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market shares	NIL	NIL
6	Loans sanctioned to corporate against the security of shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	NIL	NIL
7	Bridge loans to companies against expected equity flows/ issues;	NIL	NIL
8	Underwriting commitments taken up by the banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	NIL	NIL
9	Financing to stockbrokers for margin trading;	NIL	NIL
10	All exposures to venture Capital Funds (both registered and unregistered)	NIL	NIL
Total Exposure to Capital Market		NIL	NIL



7.3 Details of Single Borrower (SGL), Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank.

There are no sanctions over and above the prudential exposure norms applicable to single borrower and group borrowers during the year and quarter ended 31.03.2021. There are no outstanding over and above the prudential exposure norms applicable to single borrower and group borrower.

8. Disclosure as per Accounting Standard (AS)

8.1 Accounting Standard-5: Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in accounting policies

8.1.1 There are no material prior period items included in Profit & Loss Account required to be disclosed as per AS-5 read with RBI guidelines except those disclosed elsewhere in the notes.

8.2 Accounting Standard-15: "Employee Benefits"

Provisions for Gratuity, Leave Encashment and Other long term benefits have been made in accordance with the Revised Accounting Standard (AS-15) issued by the ICAI.

a. Gratuity:

The estimated Gratuity Liability of the Bank as on 31.03.2021 taken as per the actuarial valuation of 31.03.2021 is Rs. 6,367.28 lakhs (previous year Rs. 6,610.87 lakhs). The bank has contributed an amount of Rs. 485.14 lakhs to the Telangana Grameena Bank Employee's Group Gratuity Trust during the year ended 31.03.2021 The total value of funds along with the projected interest thereon as on 31.03.2021 is Rs. 6,548.17 lakhs.

The above gratuity liability is funded through i) SBI Life Insurance Co., Ltd., in the name of corpus of TGB to the extent of Rs 201.72 lakhs (Previous Year Rs. 439.22 Lakhs), and through ii) LIC held in the name of erstwhile Shathavahana Grameena Bank to the extent of Rs.254.01 lakhs (Previous Year Rs. 237.56 Lakhs), iii) LIC held in the name of erstwhile Saraswathi Grameena Bank to the extent of Rs 508.60 lakhs (Previous Year Rs. 475.65 Lakhs), and v) Funds held with India First Insurance Co. Ltd. to the extent of Rs 3,911.54 lakhs (Previous Year Rs 3,652.51 Lakhs) vi) Funds with TGB Nallakunta Branch in current account to the extent of 0.55 lakhs (Previous Year Rs.17.07lakhs) vii) Funds held with Kotak Mahindra Insurance Co. Ltd. to the extent of Rs.1,294.63 lakhs (Previous Year Rs.1,219.43 lakhs) and viii) Funds held with LIC in the name of Telangana Gramena Bank Employees' Group Gratuity Trust to the extent of Rs 377.12 lakhs (Previous Year Rs.57.43 lakhs).

b. Pension:

Pension (pursuant to Extra Ordinary Gazette notification no.510 issued by Central Government dated 18.12.2018 for payment of pension for all the eligible employees who have joined on or before 31.03.2010 of Regional Rural Banks.):-

The estimated net pension liability of the bank as on 31.03.2021 after considering the amount receivable from Employees Provident Fund Organization of Rs. 1,960.03 lakhs is Rs. 35,642.79 lakhs. The total value of funds along with the projected interest thereon as



on 31.03.2021 is Rs. 35,730.23 lakhs. The Bank has made provision of Rs 3,412.30 lakhs during FY 2020-21.

The above pension liability is funded through i) SBI Life Insurance Co., Ltd., in the name of TGB Employees Pension Fund Trust to the extent of Rs 7,898.38 lakhs (Previous Year Rs 5,406.56 lakhs) ii) Funds held with Aditya Birla Sun Life Insurance Co Ltd to the extent of Rs.5,635.22 lakhs(Previous Year Rs 4,406.35 Lakhs.), iii) Funds held with LIC to the extent of Rs. 3,796.86 lakhs (Previous Year Rs 3,177.75 Lakhs), iv) Fund with India First Insurance Co Ltd Rs 10,147.34 lakhs (Previous year Rs. 8,203.32 lakhs), v) Kotak Mahindra Insurance Co Limited Rs 6,151.56 lakhs (Previous year Rs. 6,871.11 lakhs), vi) Funds with ICICI Prudential Life Insurance Rs 2,078.14 lakhs (previous year Rs 1,534.56 lkhs), Funds with TGB Nallakunta Branch Rs 22.73 lakhs(Rs 81.17 lakhs).

c. Leave Encashment Liability:-

The bank has made a provision of Rs. 248.99 lakhs during the year ended 31.03.2021 (previous year Rs.373.31 lakhs) to meet the Leave Encashment Liability of the employees as on 31.03.2021 based on the Actuarial Valuation whereby the total liability of the employees as at 31.02.2021 stood at Rs.3,810.71 lakhs (previous year Rs.3,747.62 lakhs).

The above Leave Encashment Liability is funded through (i) SBI Life Insurance Co Ltd in the name of Corpus of TGB to the extent of Rs.957.07 lakhs (Previous Year 1132.98 lakhs) and (ii) Funds held with India First Insurance Co Ltd to the extent of Rs.2,769.18 lakhs (Previous Year Rs 2,308.32 lakhs) and (iii) Funds held with Current Account of TGB Nallakunta Branch to the extent of Rs.28.56 lakhs (Previous Year 41.13 lakhs).

d. Wage Revision:

As on 31.03.2021, the Bank estimates a total liability of Rs.5,200.00 lakhs towards Wage Revision (estimated at 15% of Monthly Wage bills from November,2017) on account of the XIth BI-Partite Settlement. The Bank has made provision of Rs. 5,200.00 lakhs during the year ended 31.03.2021.

8.3 Accounting Standard-17: Segment Reporting

As per guidelines from RBI the business segments in which the bank operates has been determined as Treasury operations and other Banking operations. Since the bank has no foreign branches, it is considered to operate only in the Domestic segment.

8.4 Accounting Standard-18: Related party disclosures

As per Para 9 of the Accounting Standard 18 issued by the ICAI on "Related party disclosures" the Bank, being a state-controlled enterprise is not required to make disclosures of related party relationships with other state-controlled enterprises and transactions with such enterprises. However, the Bank has considered the following as related parties for the purpose of disclosure under AS-18 issued by the ICAI:



Managerial Remuneration:-

(₹ in Lakhs)

Particulars	Current Year 31.03.2021	Previous year 31.03.2020
Shri V. Arvind, Chairman	36.88	29.22
Shri Naga Srinivas, General Manager -III	27.16	25.67
Sri C.Murali Mohan, General Manager-I	27.65	24.49
@Sri Y Ravi Chandraiah, General Manager-II	5.73	23.46
Sri K Subba Rao, General Manager (Vigilance)	28.44	26.15
Sri. V. S Mahesh, General Manager (IT)	26.60	17.99
*Sri Satish Kumar, General Manager-II	18.54	0.00

* The above remuneration furnished is paid remuneration up to December, 2020 quarter and the remuneration payable from Jan 2021 to March 2021 amounting to Rs.55 lakhs is not yet reimbursed to Sponsor Bank.

@ Sri Y Ravi Chandraiah, General Manager-II relieved from the bank w.e.f 20.06.2020.

* Sri Satish Kumar, General Manager-II joined the bank on 30.07.2020.

Directors of the Bank :-

Sl.No.	Name	Nominee
1	Chairman —Sri V. Arvind	State Bank of India (Sponsor Bank)
2	Sri P.M Patro, DGM	State Bank of India (Sponsor Bank)
3	Sri Prafulla Kumar Jena, DGM, LHO	State Bank of India (Sponsor Bank)
4	Sri G Santhanam, DGM	NABARD
5	Sri Manbhanjan Mishra, AGM	Reserve Bank of India
6	Sri Rayi Ravi, Addl. Secretary, Department of Finance	Government of Telangana
7	Dr.B. Janardhan Reddy, IAS, Commissioner of Agriculture	Government of Telangana
8	Vacant	Government of India
9	Vacant	Government of India

**Particulars of related party account transactions:**

(₹ in Lakhs)

Particulars	Current Year 31.03.2021	Previous year 31.03.2020
OD facility from State Bank of India	6930.00*	5400.00*
Interest paid to SBI	20.64	67.34
Investments made with:		
SBI-in the form of STDRs	9546.74	15482.15
Interest received from SBI	533.76	649.05
Contribution to gratuity fund with SBI Life Insurance Co Ltd.	201.72	439.22
Contribution to Group Leave Encashment Policy with SBI Life Insurance Co Ltd.	957.07	1,132.98
Contribution to Pension Fund with SBI Life Insurance Co Ltd.	7898.38	5406.56
Current account balance with SBI	3074.54	9341.27

* indicates the limit figure in OD against TDR

8.5 Accounting Standard-19: Leases

The Bank has leased premises for its operations and the lease period varies from 3 to 5 years. As and when the period of lease is ended, suitable actions will be taken for renewals based on the mutual negotiations with the owners of premises.

8.6 Accounting Standard-20: Earning Per Share

AS-20 is not applicable to the banks, as it does not mandate an enterprise, which has neither equity shares nor potential equity shares which are so listed, to calculate and disclose earning per share.

8.7 Accounting Standard-21: Consolidated Financial Statement

The Bank does not have any subsidiary and as such AS 21 is not applicable.

8.8 Accounting Standard-22: Accounting for Taxes on Income

8.8.1 Deferred Tax adjustments comprises of changes in the deferred tax assets or liabilities during the year. Deferred tax assets and liabilities are recognised by considering the impact of timing differences between taxable income and accounting income for the current year, and carry forward losses. Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the balance sheet date. The impact of changes in deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.



Deferred Tax liability as on 31.03.2021 on the timing difference on account of depreciation as per book records and as per the Income Tax Act, 1961 is Rs.50.30 lakhs (Previous Year Rs 37.53 lakhs) and accordingly an amount of Rs.12.77 lakhs (Previous Year Rs 22.85 Lakhs credited to the P/L A/c) has been debited to the Profit and Loss account.

The Bank has shown a sum of Rs. 2,581.62 lakhs(Previous Year Rs 3,745.65 lakhs) under the head Other Current Assets in respect of amount paid towards income tax after netting off Rs. 10,320.00 lakhs (Previous Year Rs 9,700.00 lakhs).

8.9 Accounting Standard-23: Accounting for Investments in Associates in consolidated Financial Statement

The Bank does not have any subsidiary and as such AS 23 is not applicable.

8.10 Accounting Standard-26: Intangible Assets

The present practice of depreciating software which forms integral part of hardware @33.33% (on SLM basis) is being followed by the Bank consistently, which is in line with the AS-26 issued by ICAI.

8.11 Accounting Standard-28: Impairment of Assets

In the opinion of Bank's Management, there is no impairment of the Assets during the year.

8.12 Accounting Standard-29: Provisions, Contingent Liability and Contingent Assets.

- (a) During the year under consideration, as per the instruction from Indian Bank's Association for wage revision as per the 11th pay commission report, the bank has paid an interim amount of Rs.8.70 crores as one month salary to the employees. Bank has made provision of Rs 52 Crore as on 31.03.2021 on account of Wage Revision.
- (b) 1. Fraud was perpetuated by certain officers/employees of Aziz agar Branch of the Bank between June, 2010 to Jan, 2018, for a reported sum of Rs 894.88 lakh, in respect of which the Bank has filed a case with Central Bureau of Investigation (ACB, Hyderabad) on 07.02.2018 with FIR No. RC 01(A)/2018 CBI HYD dated 19.02.2018 and the same is under investigation of CBI. The Bank has made provision of Rs 839.21 lakh against the probable loss in respect of the said fraud. Bank has formed committee for payment to the affected depositors out of the provision of Rs. 839.21 lakhs made during year 2017-18. During the F.Y 2019-20, Rs. 38.15 Lakh paid to claimants (Previous year Rs.602.28 Lakh) (Current Quarter NIL).The Committee has scrutinized 172 claims and settled 137 claims amounting to Rs. 699.65 lakhs which were found genuine. The balance 35 claims were rejected on account of various reasons, of which 8 claimants approached different forums i.e. Hon'ble district Consumer Forum, Hon'ble state Consumer Forum & Hon'ble City Civil Court, Hyderabad. However, the Bank has already made provision in respect of these rejected claims in the financial year 2017-18 and Rs. 38.15 lakhs provision is reversed during the Previous Financial Year 2019-20 due to payment of settled claims amount by debiting 'Other Assets Account' held at the Branch.
2. Frauds at Rasnam and Rekurthy branches were surfaced in the first year ended 30th September 2020.



At Rasnam branch crop loans were sanctioned without conducting pre-sanction inspection enquiry with fabricated no due certificates purported to have been issued by State Bank of India and involvement of middlemen in sourcing/sanctioning of loans, which led to double finance. SBI, Bomraspet was informed that 151 accounts which were also financed by them and no due certificates said to be issued by them are fabricated. A police complaint was lodged on 23.09.2020 and registered FIR bearing number 176/2020. The amount involved is Rs.147.2 lakhs in 151 crop loans accounts. The erring official was kept under suspension with effect from 14.02.2020. Disciplinary Proceedings initiated and enquiry proceedings under progress. So far an amount of Rs.19 lakhs recovered on closure of 11 accounts and partial recovery in 99 accounts.

At Rekurthy branch, IKP/MEPMA staff and SHG group members cheated the branch by morphing their photos, forging statements of accounts maintained with other banks. Branch recommended/sanctioned without proper verification, identification of the SHG group members and failed to ensure its genuineness. 30 SHG accounts are involved with Rs. 199.97 lakhs. A police complaint was lodged on 01.10.2020 and registered FIR bearing number 181. The erring officials were charge sheeted and Enquiry proceedings under progress. So far, Rs.1.30 lakhs recovered in 9 SHG accounts.

3. FRAUDS DURING THE QUARTER (DECEMBER, 2020)

Mankhal Branch: A fraud surfaced in Mankhal branch in Hyderabad-I region during beginning of the quarter i.e. in the month of October, 2020. Branch appraiser certified spurious gold ornaments as pure gold ornaments, on which branch had sanctioned (25) gold loans Rs.52.00 lakhs with outstanding Rs. 54.61 lakhs and cheated the branch staff. A complaint was lodged with Pahadi Shareef police station in Maheswaram Mandal and registered FIR u/s 154 and 157 Cr.P.0 vide FIR No. 518/2020 dated 26.09.2020. The same has been placed before High Value fraud Committee and apprised to the Board in its 91st meeting held on 19.10.2020. Board suggested for arranging Carat gold machine one each for region. Immediately, we advised all the Regional Managers to conduct second appraisal at all the branches and confirm, in turn they confirmed that at all the branches all gold ornaments are intact. We have also issued a circular on this referring the previous circulars. Departmental enquiry has been initiated and the proceedings are under progress. So far there were recoveries made to the extent of Rs. 0.13 lakhs in 2 accounts.

Centenary colony Branch: A press note was published on 03.03.2020 in one of the local newspaper in Peddapalli edition about sanction of new crop loans in Centenary colony branch, Telangana Grameena Bank during the period 2017 and 2018 to the farmers against fake pattadar passbooks perpetrated by the outsiders in collusion with farmers. Immediately, we advised regional manager to make discreet enquiry in the matter at all levels and instructed to submit the detailed report. They referred the matter with Revenue Authorities to ascertain the genuineness of titles and land holdings. Due to pandemic situation, the revenue authorities of Ramagiri and Mutharam mandals of Peddapalli district has provided data mentioning that 175 KCC accounts with fake revenue records in October, 2020. A police complaint was lodged on 22.12.2020 with Ramgiri Police station. FIR copy yet to be received. The same has been placed before High Value fraud Committee and declared fraud of Rs. 225.88 lakhs in 175 Crop loans accounts. We have also issued a



circular on the issue advising to be cautious while sanctioning fresh loans. Explanations were called from the erring officials. So far an amount of Rs.20.99 lakhs recovered on closure of 24 accounts and partial recovery in 5 accounts.

All the accounts have been transferred to protested bills account and 100% provision has been made for all accounts.

8.12.1 Provisions & Contingencies of Profit & Loss Account made during the Year is as under:

(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Current Year 31.03.2021	Previous year 31.03.2020
A	Provisions & Contingencies		
1	Provision for Standard Assets	411.72	521.87
2	Provision towards NPA	7890.02	3744.00
3	Provision for Non SLR Investment	0.16	0.00
	Total of Provisions & Contingencies	8301.90	4265.87
B	Tax provisions		
	Provision for taxation	10300.00	9700.00
	Total Tax Provisions	10300.00	9700.00
	Total of A and B	18601.74	13965.87

8.13 AS-4 Contingencies and Events occurring after Balance Sheet: There are no events occurring after the Balance Sheet date which needs adjustment in the financial statements. During the quarter ended March'20, there was considerable slowdown in economic activities following the outbreak of COVID-19. Bank has not faced any significant impact of COVID-19 on its financial results and/or its functioning in general during the year ended and quarter ended 31.03.2021. However, impact of COVID-19, if any, will be duly incorporated in future.

8.14 AS- 2 on Valuation of Inventory, AS -7 on Construction Contract, AS-11 on the effects of Changes in Foreign Exchange Rates, AS- 14 on the accounting for the Amalgamation, AS- 16 on the Borrowing Cost,. Disclosures under the mentioned AS are not applicable to the Bank or there are no reportable transactions required to be reported in accordance with these Accounting Standards.

9. Additional disclosures

9.1 Floating Provisions

(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Current Year 31.03.2021	Previous year 31.03.2020
a	Opening Balance in floating provision account	0	0
b	The Quantum of floating Provision made in the year	0	0
c	Amount of draw down made during the year	0	0
d	Closing balance in the floating provision account	0	0



9.2 Provision against Frauds

The detail of Fraud cases are as under:

(₹ in Lakhs)

Particulars	Current Year 31.03.2021	Previous year 31.03.2020
Provision at the beginning of the year	344.71	382.86
Less: Written off during the Year ended 31.03.2021	0.00	0.00
Add: Additional provisions created during year ended 31.03.2021	0.00	0.00
Less: Provision reversed during the year ended 31.03.2021	0.00	38.15
Provision as at the year ended 31.03.2021	344.71	344.71
Number of fraud cases at the year ended 31.03.2021	21	21

10. Disclosure of complaints

10.1 Customer Complaints:

Sl. No.	Particulars	Current Year 31.03.2021	Previous year 31.03.2020
A	No. of complaints pending at the beginning of the year	0	1
B	No. of complaints received during the year ended 31.03.2021	14	9
C	No. of complaints redressed during year ended 31.03.2021	14	10
D	No. of complaints pending at the end of 31.03.2021	0	0

10.2 Award passed by the Banking Ombudsman:

Sl. No.	Particulars	Current Year 31.03.2021	Previous year 31.03.2020
A	No. of unimplemented awards at the beginning of the year	0	14
B	No. of Award passed by the Banking ombudsman during the year ended 31.03.2021	0	2
C	No. of Awards implemented during the year ended 31.03.2021	0	16
D	No. of unimplemented awards at the end of the year ended 31.03.2021	0	0



11. Concentration of Deposits, Advances, Exposures and NPAs

11.1 Concentration of Deposits:

(₹ in Lakhs)

Particulars	Current Year 31.03.2021	Previous year 31.03.2020
Total Deposits of twenty largest depositors	107438.26	70448.00
Percentage of Deposits of Twenty largest depositors to total deposits	10.62%	7.83%

11.2 Concentration of Advances:

(₹ in Lakhs)

Particulars	Current Year 31.03.2021	Previous year 31.03.2020
Total Advances to twenty largest borrowers	1990.59	3217.00
Percentage of Advances of Twenty largest Borrowers to total advances	0.20%	0.38%

11.3 Concentration of Exposures

(₹ in Lakhs)

Particulars	Current Year 31.03.2021	Previous year 31.03.2020
Total Exposures of Twenty largest borrowers/Customers	1990.59	3217.00
Percentage of Exposures of Twenty largest borrowers/Customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/Customers	0.20%	0.38%

11.4 Concentration on NPAs:

(₹ in Lakhs)

Particulars	Current Year 31.03.2021	Previous year 31.03.2020
Total Exposure to top four NPA accounts	107.01	104.00



11.5 Sector wise NPAs:

(₹ in Lakhs)

Sl. No.	Sector*	Current Year 31.03.2021			Previous Year 31.03.2020		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in Sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total advances in that sector
A	Priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	737266.25	16716.36	2.27	644472	11488	1.78%
	KCC	461827.71	10318.55	2.23	428331	5607	1.31%
	SHG	249194.65	4786.90	1.92	208264	3940	1.89%
2	Advances to Industries sector eligible as priority sector lending	14092.38	2424.61	17.21	13604	2545	18.70%
3	Services	2386.33	248.60	10.42	2386	207	8.67%
	Cash Credit	2322.38	198.23	8.54	2287.63	136.84	5.98%
4	Personal Loans	100214.55	1166.44	1.16	70046	1440	2.06%
	Housing Loan	98764.24	940.91	0.95	68923.26	1224.95	1.78%
	Sub-total (A)	853959.51	20556.01	2.41	730508	15680	2.15%
B	Non-priority Sector						
1	Agriculture and allied activities	-	-	-	-	-	-
2	Industry	-	-	-	-	-	-
3	Services	-	-	-	-	-	-
4	Personal Loans	156416.27	2206.66	1.41	118289	1953	1.65%
	Jewellery Loan	96611.70	99.83	0.10	51066.83	4.12	0.01%
	DL/CDL	30910.77	242.36	0.78	28117.83	310.58	1.11
	Sub-total (B)	156416.27	2206.66	1.41	118289	1953	1.65%
	Total (A+B)	1010375.78	22762.67	2.25	848797	17633	2.08%

*Sub-sectors with outstanding balances more than 10% of the Sector total are disclosed separately.

**11.6 Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)**

(₹ in Lakhs)

Particulars	Current Year 31.03.2021	Previous year 31.03.2020
Opening Balance of amounts transferred to DEAF	38.77	25.33
Add: Amounts transferred to DEAF during the year	189.92	13.44
Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	0.12	NIL
Closing balance of amounts transferred to DEAF	228.57	38.77

12. Movement of NPAs:

(₹ in Lakhs)

Particulars	Current Year 31.03.2021	Previous Year 31.03.2020
Gross NPAs (Opening balance)	17633.33	16555.45
Additions (Fresh NPAs) during the year	13910.92	41000.82
Sub-total (A)	31544.25	57556.27
Less:		
i. Up gradations	3012.89	11621.42
ii. Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	4176.11	28253.00
iii. Write-offs / compromise	1592.57	48.52
Sub-total (B)	8781.57	39922.94
Gross NPAs (Closing Balance)(A-B)	22762.68	17633.33

13. Provisioning Coverage Ratio (PCR)

Particulars	Current Year 31.03.2021	Previous Year 31.03.2020
PCR (%)	90.03%	70%

14. Draw Down from Reserve

The Bank has not drawn down any amount from Statutory and General Reserve during the current financial year.

15. Disclosure of Penalties imposed by RBI

The Bank has maintained CRR and SLR as per RBI Act 1934 and Banking Regulation Act 1949 and not defaulted during the financial year under report.

**16. PRIORITY SECTOR LENDING CERTIFICATES:**

Bank has transacted the following PSLCs for the year ended 31.03.2021

(₹ in Lakhs)

Sale of PSLC		
Segment	Amount	Premium Earned
PSLC SM	511000.00	9725.15
PSLC Agriculture	70000.00	1007.00
PSLC General	77850.00	71.35
PSLC Micro Enterprise	16000.00	206.00
TOTAL	674850.00	11009.50
Purchase of PSLC:		
Segment	Amount	Premium Paid
PSLC GENERAL	324500.00	1617.75
PSLC Agriculture	19000.00	299.00
TOTAL	343500.00	1916.75

17. Inter Branch Transactions & Inter Office accounts

a) Post CBS Period:

The outstanding entries relating to inter branch transactions, inter office accounts pertaining to the Post CBS period are in the process of reconciliation / adjustment. The management considers that the amounts involved are not material and are not suspicious in nature and substance for considering provision.

The age-wise break-up of the outstanding entries pending reconciliation is stated below:

(₹ in Lakhs)

Sl. No	Time Period	No of Dr Entries	Amount Of Dr	No of Cr Entries	Amount Of Cr	Net Dr Position
1	Upto 3 months	14	714.68	199	342.42	372.26
2	3 to 6 months	0	0	0	0	0
3	6 months to 1 year	0	0	0	0	0
4	1 Year to 5 years	0	0	0	0	0
5	Above 5 years	0	0	0	0	0
	Total	14	714.68	199	342.42	372.26



b) Pre CBS Period:

The outstanding Credit entries relating to inter branch transactions pertaining to the pre-CBS period i.e. DGB DD and DGB GA amounting to Rs 165.58 lakhs are transferred to Blocked Account and out of which entries which are more than 10 years transferred to DEA Fund amounting to Rs 5.09 lakhs and remaining amount disclosed under Schedule 5 - "Other Liabilities" as per the RBI Circular DBOD No BP.BC.73/21.04.018/98.

18. The figures of the previous year have been re-grouped/re-arranged wherever necessary except where information was not available.

As per our Report of even date
For *M/s Sagar and Associates*
Chartered Accountants
F.R. No. 003510 S

Sd/-
(CA. V. Vidyasagar Babu)
PARTNER
M.No. 027357

For Telangana Grameena Bank

Sd/-
GENERAL MANAGER-I

Sd/-
CHAIRMAN



CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2021

(₹ in 000's)

PARTICULARS	FY 2020-21	FY 2019-20
Cash Flows from Operating Activities:		
Net Profit after Tax	2939634	1711036
Add:		
Depreciation debited to P & L	46170	50999
Provision for Income Tax	1030000	970000
Deferred Tax Asset Adjustment	1278	-2286
Provision for Std debts	41172	52188
Provision for B & D	789002	374400
Provision for SLR Investments	0	0
Amortization of HTM investments	9366	10647
Interest Paid on Funds received from RBI, NABARD, SBI, MUDRA	2142635	2081595
Provision for Gratuity, Pension, Leave Encashment & NPS	8439	243273
Less:		
Income on Investments	3574386	3201551
Operating profit before working capital changes	3433309	2290301
Working Capital Changes:		
Increase / (Decrease) in Deposits	11168391	12805854
Increase / (Decrease) in Liabilities and Provisions	-1773026	-3996563
(Increase) / Decrease in Advances	-15528085	-13999054
(Increase) / Decrease in Other Assets	116186	2003236
Cash generated from Operations	-2583225	-3186528
Less: Income Tax Paid	-1032000	-1044441
Net cash from Operating Activities	A -1551225	-1940668
Cash Flows from Investing Activities:		
Sales / (Purchase) of fixed assets	-71372	-50128
Sales / (Purchase) of Investments	-10122201	3380074
Income from Investments	2656916	2288766
Net cash from Investing Activities	B -7536657	5618712
Cash Flows from Financing Activities:		
Funds from SBI, NABARD, NHB and other agencies	-1440201	7560933
Interest paid to SBI, NABARD, NHB	-1974731	-1816668
Net cash from Financing Activities	C -3414932	5744265
Effect of Foreign Exchange Rate Changes		
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C)	-12502813	9422310
Add: Opening cash and cash equivalents		
i) Cash on hand	594151	546777
ii) Balances with Reserve Bank of India & other Banks	3560617	3948497
iii) Term Deposit	25447915	15685100
Total	29602684	20180374
Note:		
Closing Cash and Cash Equivalents		
i) Cash on hand	620785	594151
ii) Balances with Reserve Bank of India & other Banks	3874412	3560617
iii) Term Deposit	12604674	25447915
Total	17099871	29602684

As per our Report of even date
For M/s Sagar and Associates
Chartered Accountants
F.R. No. 003510 S

Sd/-
(CA. V. Vidyasagar Babu)
PARTNER
M.No. 027357

For Telangana Grameena Bank

Sd/-
GENERAL MANAGER-I

Sd/-
CHAIRMAN

SBI General Claim amount paid to Nominee at Laxmipur Branch, Cheque handed over by Shri S. Ravinder Reddy, RM, Jagtial Region



Loan to Mobile Rice Mill sanctioned by our Hazipur Branch. Shri S. Satish Kumar GM, Shri C. Ramana Murthy RM, Mancherial handed over the machine to Customer.

Digital Banking awareness programme conducted at our Kothulanaduma Branch. Shri S. Sathish Kumar, GM, Sri Venkateshwarlu, RM, Karimnagar, Shri Srinivasulu, PDDRDA, IKP, Warangal (Urban) and villagers attended the programme.





Indian Banks' Association



Award Category
**Best IT Risk & Cyber Security
Initiatives**

Winner



Shri V Arvind
Chairman

Telangana Grameena Bank

Knowledge Partner: **Capgemini**

Winner among all RRBs for **Best IT Risk & Cyber Security Initiatives** from Indian Bank's Association.



తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంక్ తెలంగాణ గ్రామీణ బేంక్
TELANGANA GRAMEENA BANK

(SPONSORED BY STATE BANK OF INDIA)

HEAD OFFICE :

2-1-520, 2nd Floor, Vijayasrisai Celestia,
Street No.9, Shankarmutt Road, Nallakunta,
Hyderabad - 500 044. T.S. India

Tel. No.'s: 040-27602091 FAX No.: 040-27661742

e-mail: tgbho@tgbhyd.in website: www.tgbhyd.in